



योजना

अक्टूबर 2019

विकास को समर्पित मासिक

₹ 30



अनमोल विरासत

स्वदेशी और स्वराज के पारिस्थितिकीय
तंत्र में संभावना
सुदर्शन अयंगर

वैकल्पिक दृष्टि की खोज
एम पी मथैं

स्वयं से हटकर दूसरों की चिंता
प्रेम आनंद मिश्रा


फोकस

जन शक्ति के ज़रिए बदलाव
पी ए नाज़रेथ

विशेष आलेख

स्वच्छाग्रह की रोशन होती मशाल
अक्षय राउत

उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के चुने हुए भाषणों के दूसरे खंड का विमोचन किया



(फोटो: फोटो डिविजन, पीआईबी)


उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु 6 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों की दो पुस्तकों 'द रिपब्लिकन एथिक' (वॉल्यूम-2) और 'लोकतंत्र के स्वर' (खंड-2) का विमोचन करते हुए। साथ में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना रात भी हैं।

उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु ने 6 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों पर आधारित दो पुस्तकों 'द रिपब्लिकन एथिक (वॉल्यूम-2)' और 'लोकतंत्र के स्वर (खंड-2)' का विमोचन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना रात और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

उपराष्ट्रपति ने महामहिम राष्ट्रपति के भाषणों के संकलन को सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रकाशित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रकाशन विभाग की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए जीवन-मूल्यों और नैतिकता की रक्षा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका स्वयं का और माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का इस बारे में दृढ़ विश्वास है और राष्ट्र को लेकर उनकी प्राथमिकताएं "स्वच्छ भारत, शिक्षित और कौशल संपन्न भारत, नवाचार संपन्न भारत, फिट इंडिया और मजबूत, अधिकार संपन्न व तादात्म्य संपन्न भारत जैसे कई मुद्दों पर एकसमान हैं।"

केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपना जीवन सामाजिक न्याय को समर्पित कर दिया है जो इन पुस्तकों में संकलित भाषणों में भी परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि श्री राम नाथ कोविंद 'जनता के राष्ट्रपति' हैं। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सुशासन, समावेशी विकास, गरिबों और उपेक्षितों के उत्थान जैसे कई पहलुओं और क्षेत्रों को रेखांकित किया जिन पर राष्ट्रपति ने अपने भाषणों में जोर दिया है।

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति के सरोकारों को रेखांकित किया। श्री जावड़ेकर ने बताया कि भारत के भविष्य के बारे में श्री कोविंद के मन में स्पष्ट परिकल्पना और अहसास हैं और वे मानते हैं कि भविष्योन्मुख शिक्षा के जरिए समाज में आमूल परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सांसदों, राजनयिकों, सचिवों और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। □



प्रधान संपादक : राजेंद्र भट्ट
 वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
 संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
 लोधी रोड, नवी दिल्ली-110 003
 दूरभाष (प्रधान संपादक) : 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : बी के मीणा

आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आधिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जल्दी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें

एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने वा पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक (प्रमाण एवं विज्ञापन)

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
 प्रकाशन विभाग,

कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
 सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
 नवी दिल्ली-110003



इस अंक में

| | | |
|--|--|----|
| स्वदेशी और स्वराज के पारिस्थितिकीय तंत्र में संभावना | पुस्तक चर्चा..... | 44 |
| सुदर्शन अयंगर..... | राष्ट्र के पुनर्निर्माण की राह ए अन्नामलै..... | 53 |
| वैकल्पिक दृष्टि की खोज | स्वावलंबन और स्वराज के लिए स्वदेशी की आवश्यकता | |
| एम पी मर्थई..... | निमिषा शुक्ला..... | 59 |
| स्वयं से हटकर दूसरों की चिंता | भूख की समस्या और भोजन का प्रबंध | |
| प्रेम आनंद मिश्रा..... | विनय कुमार सक्सेना..... | 67 |
| समतावादी समाज की ओर रामचंद्र प्रधान..... | रचनात्मक अभियान में महिलाओं की भूमिका | |
| डी जॉन चेल्लादुरै..... | अपर्णा वसु..... | 70 |
| सतत विकास की अवधारणा | व्यक्तित्व का समग्र विकास | |
| दीपंकर श्री ज्ञान..... | शलंदर शर्मा..... | 73 |
| महात्मा गांधी के 11 संकल्प (एकादश ब्रत)..... | गांधी जी और सर्वोदय | |
| मेरा जीवन ही मेरा संदेश है | आर एस भट्टाचार..... | 77 |
| वाई पी आनंद..... | सरकार के 100 दिनों का लेखा-जोखा..... | 82 |

फोकसः

| | | |
|-------------------------------|--|----|
| जन शक्ति के ज़रिए बदलाव | | |
| पी ए नाज़रेथ..... | | 45 |
| स्वच्छाग्रह की रोशन होती मशाल | | |
| अक्षय रात..... | | 63 |

क्या आप जानते हैं?

| | | |
|-----------------------------|--|----|
| अंधकार भरे आकाश में विशुद्ध | | |
| आध्यात्मिक प्रकाश..... | | 40 |



उम अकार में प्रकाशित अधिकारा चित्र प्रकाशन विभाग की पृष्ठके सत्पाग्रह, विष्णु इन मन्दिर तथा महात्मा गांधी-विद्वान जीवन गाथा में लिये गये हैं।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

| | | | |
|--------------|---|--------|--------------|
| नवी दिल्ली | पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड | 110003 | 011-24367260 |
| दिल्ली | द्वाल सं. 196, पुराना सचिवालय | 110054 | 011-23890205 |
| नवी मुंबई | 701, सी-विंग, सातवां मंजिल, केंद्रीय सदन, नेलापुर | 400614 | 022-27570686 |
| कोलकाता | 8, एसएसएनेड ईंटर | 700069 | 033-22488030 |
| चेन्नई | 'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर | 600090 | 044-24917673 |
| तिरुअनंतपुरम | प्रेस रोड, नवी नवर्नेमेंट प्रेस के निकट | 695001 | 0471-2330650 |
| हैदराबाद | कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादियाँडा सिकंदराबाद | 500080 | 040-27535383 |
| बैंगलुरु | फस्ट फ्लॉर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला | 560034 | 080-25537244 |
| पटना | बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ | 800004 | 0612-2683407 |
| लखनऊ | हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगढ़ | 226024 | 0522-2125455 |
| आहमदाबाद | द्वितीय तल, अलखनदा हॉल, भद्रा, मदर टेरेसा रोड | 380052 | 079-26588669 |

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आस्था के प्रकाश-पुंज

महान लोगों की जयतियां व्यक्तियों, समाज और राष्ट्रों की जीवन यात्रा में मील के पत्थर की तरह होती हैं जिनसे इन महापुरुषों के संदेशों और उनकी समसामयिक प्रासांगिकता का पुनर्मूल्यांकन करने तथा उसी के अनुसार बाहित सुधार करके बेहतर व खुशहाल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा मूल्यांकन करने में हम कितने सक्षम हैं। शायद सटीक मूल्यांकन के लिए एक खास तरह की सर्वव्यापकता यानी हर पल, हर स्थान पर मौजूद हो सकने और समसामयिक तथा भविष्य के स्तर पर घटनाओं के मूल्यांकन की क्षमता होना जरूरी होता है। इसलिए गांधी जी का समग्र मूल्यांकन करने के लिए हमें एक ओर तो नमक सत्याग्रह के बक्त के उल्लासमय जोश को ध्यान में रखना पड़ेगा तो दूसरी ओर देश के विभाजन से पहले हुई हिंसा की मायूसी के क्षणों के साथ जुड़ना होगा। इसके अलावा हमें एक तरफ तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे युगदृष्टा तथा दूसरी ओर वर्तमान युग की मलाला यूसुफजई की विचारधारा के साथ चलना होगा। मगर हम इंसानों में इतनी क्षमता कहां कि हम दिक्काल की सीमाओं को पार कर सकें। इसीलिए हम किसी महापुरुष का समग्रता में मूल्यांकन नहीं कर पाते। हम नहीं बता पाते कि महात्मा गांधी जैसे दैदीप्यमान नक्षत्र के उदय होने और ऐतिहासिक परिदृश्य से उनके विदा हो जाने का समाज के लिए क्या मतलब है। बहरहाल इस तरह के मील के पत्थर हमें इन महापुरुषों को याद करने और समय की रेत पर बने उनके पद चिह्नों को फिर से खोजने का अवसर तो प्रदान करते ही हैं, ताकि हम अपने जीवन को उदात्त बना सकें। 'योजना' के इन पृष्ठों के माध्यम से हमने जो कुछ भी किया है उसे गांधी जी के पुण्य स्मरण और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के हमारे विनम्र प्रयासों के रूप में देखा जाना चाहिए।

20वीं सदी के पूर्वार्ध में गांधी जी ने प्रेम, सत्य और अहिंसा के अपने अनोखे हथियारों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से सफलतापूर्वक लोहा लेने में देश का नेतृत्व किया। मगर इसी दौरान दुनिया को दो विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा और स्वयं महात्मा गांधी भी हत्यारे की गोलियों का शिकार हो गये। उनकी मृत्यु के बाद हमारे समाज के सामने शीत युद्ध के दौर से लेकर सदी के परिवर्तन के समय हुए 9/11 जैसे कई आकुल करने वाले क्षण उपस्थित हुए और दुनिया भर में संघर्ष एवं अशांति के नये गुबार उत्पन्न हुए।

गांधी जी के संदेश के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अन्याय, उपेक्षा, आपदा और असमानता के कई उदाहरण मिले। लेकिन जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, अगर हमें सर्वव्यापी होने की क्षमता होती तो हमने जमाने की तमाम मायूसियों के बीच न्यायोचित और चिरस्थायी समाज के निर्माण के लिए सौमनस्य और प्रेम का संदेश दे रहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्विन टॉफ्लर, एकरिक फ्रॉम और अन्स्टर्ट फ्रॉडिक शुमाकर जैसे महापुरुषों का भी सही-सही आकलन कर लिया होता।

खैर, संघर्ष जारी है, लेकिन 'सत्यमेव जयते' की आशा भी बनी हुई है। अगर हमें धरती पर जीवन के बने रहने का भरोसा है तो इस आशा को जिलाए रखने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है। और शायद यही गांधी जी की प्रासांगिकता का सार है। जिस तरह ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, उसी तरह गांधी जी का संदेश भी केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। मानवता के स्वस्थ विकास के लिए यह समग्र रूप में अभिव्यक्त हुआ है। राजनीति, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और सत्याग्रह का सदाचार, रचनात्मक कार्यक्रम, ट्रस्टीशिप (न्यासिता), स्वदेशी और खादी, बुनियादी शिक्षा, सत्य और अहिंसा, एकादश व्रत, शांति और मानव समाज का चिरस्थायित्व-गांधी जी ने जिस तरह के सौमनस्यपूर्ण, न्यायोचित और सहानुभूतिपूर्ण समाज की परिकल्पना की थी उसके निर्माण में इन सब का योगदान है। आगे के पृष्ठों पर विभिन्न लेखों में हमने अपने विनम्र तरीके से इन पहलुओं की थाह लेने की कोशिश की है।

जैसा कि शुरू में कहा था मील के पत्थर हमें सिंहावलोकन, अंतरावलोकन और अपनी संभावनाओं के आकलन का अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि यह कार्य हम अपनी सीमाओं के अंतर्गत ही कर पाते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रकाशित किया जा रहा 'योजना' का यह विशेषांक इसी तरह का एक छोटा-सा प्रयास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित यह अंक हमारी इस आस्था की अभिव्यक्ति है कि 'मन में है विश्वास' कि 'होगी शांति चारों ओर एक दिन' और 'हम होंगे कामयाब एक दिन'। □


स्वदेशी और स्वराज के पारिस्थितिकीय तंत्र में संभावना

सुदर्शन अयंगर

का

स्पोरेट रोशल रिस्पासिभिलिटी (सी.एस.आर. यानी कंपनियों की राष्ट्राजिक जिमोरी) आजकल कारपोरेट जगत और सरकार के मूलमंत्र बन गये हैं। कारोबार और आम जनता, दोनों में से कुछ लोगों को यह लगता है कि सरकार कानून बनाकर कारपोरेट और कारोबारी जगत को अपने मुनाफे का दो प्रतिशत सामाजिक बेहतरी के लिए खर्च करने को मजबूर कर रही है। ऐसा लगता है कि इससे ट्रस्टीशिप (न्यासिता) के गांधी जी के विचार ने जड़ें जमा ली हैं। इसे आज सी.एस.आर. कहा जा रहा है। लेकिन गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार का कहीं ज्यादा गहरा अर्थ है। गांधी जी के पास नैतिकता और कारोबार के बारे में भी कहने को कुछ था। उन्हें इस बात का निश्चित रूप से अहसास था कि वाणिज्य और व्यवसाय में लगे लोगों को किस तरह कार्य करना चाहिए और किस तरह वे राष्ट्रनिर्माण तथा सामंजस्यपूर्ण अहिंसक समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। उन्होंने व्यापारिक समुदाय को बता दिया था कि उनकी स्पष्ट जिम्मेदारी क्या है। 29 जून, 1919 को अहमदाबाद में बनिता विश्राम नाम के अनाथाश्रम की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा था:

“यहां यह शिकायत की जाती है कि अहमदाबाद में बणिक-बुद्धि बहुत है, किंतु मुझे इससे दुःख नहीं होता। अलबच्चा बणिक-बुद्धि के साथ-साथ साहस, ज्ञान और सेवा अर्थात् क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र-बुद्धि होनी चाहिए। देश के लिए सही अर्थों में धन देने वाला भी बणिक ही है। फिर शुद्ध बणिक तो अपने व्यापार को देश के लिए समर्पित कर देता है। उसे अपना व्यापार इसी भावना से चलाना चाहिए। और देश हित की भावना शुद्ध धार्मिकता की भावना के बिना नहीं आती। जिस समझाव के संबंध में गीता में शिक्षा दी गयी है उसका अर्थ मैं तो



समसामयिक कारपोरेट माहौल में आशावादी अर्थनीति का दबदबा मूल्यों की बहिर्जात प्रकृति की स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है जिसका मतलब है मूल्यों पर अलग से और बाहरी तौर पर विचार किया जाए। यह सही नहीं है क्योंकि वास्तविक मानवीय व्यवहार इस तरह की मूल्य प्रणाली से रहित नहीं होता। बाजार की विफलता आर्थिक मनुष्य के रूप में कार्य करने में विफलता का संकेत देती है। असलियत यह है कि आर्थिक मनुष्य की अवधारणा खंडित हो जाती है और किताबी बुनिया में अकेले खड़ी दिखाई देती है।

यही समझता है कि हमारे आसपास जो दृष्टि मनुष्य दिखाई दें हमें उनके दुख दूर करने के लिए अपना तन, मन और धन उत्सर्जन कर देना चाहिए।”

एक अन्य स्थान पर गांधी जी ने टिप्पणी की है:

“सामान्यतया यह मान्यता है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये दो परम्परा भिन्न और विरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापार में धर्म का अनुसरण करना पागलपन है, ऐसा करने से दोनों विप्रादते हैं। यह मान्यता अगर छूटी न हो तो कहना होगा कि हमारे भाग्य में केवल निराशा ही लिखी हुई है। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं है जिससे हम धर्म को दूर रख सकें।”

गांधी जी ने पूँजीवाद और साम्यवाद के विकल्प के रूप में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विकास किया। 1990 से यह दुनिया बदल गयी। साम्यवाद के प्रयोग का दौर लगभग खत्म हो गया है।

ऐसा लग रहा था कि पूँजीवाद ही मानवता का एकमात्र मसीहा है और इसका कोई विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में गांधी जी के ट्रस्टीशिप यानी न्यासी के विचार को समझना महत्वपूर्ण होगा। गांधी जी ने जब इस धारणा का विकास किया, वह बुनियादी तौर पर एक सैद्धांतिक मामले पर तर्क देने का प्रयास कर रहे थे।

बुनियादी तर्क

इस संबंध में उन्होंने जो बुनियादी और मूल तर्क दिया वह यह था कि पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों हिंसा की नींव पर टिके थे। पूँजीवाद में संपत्ति के सृजन में हिंसा का उपयोग होता है। समता की बात करने वाले साम्यवाद में भी हिंसा का सहारा लिया जाता है। इन दो विचारधाराओं के विपरीत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा है। इस तरह की समता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज को जिस तरह के प्रयास करने होते हैं वे हिंसा नहीं हैं। इसलिए चिरस्थायी समाज के लिए गांधी जी का तर्क है कि सैद्धांतिक तौर पर ट्रस्टीशिप की

“पूर्ण न्यासीवाद यूक्लिड की एक बिंदु की परिभाषा की भाँति एक काल्पनिक बिंदु है और उतनी ही अप्राप्य है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो उसके जरिए हम पृथ्वी में किसी भी अन्य तरीके की अपेक्षा इस तरीके से समानता स्थापित करने की दिशा में अधिक दूरी तक जा सकेंगे।”

सीडब्ल्यूएमजी, वॉल्यूम-59, पृ. 318, 9/10.11.1934

बेहतर संभावनाएँ हैं। अजित दासगुप्ता ने इस बात को बड़े दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया है: “लेकिन ट्रस्टीशिप ही वह सिद्धांत, वह विचार और वह सामाजिक व नैतिक मानदंड था जिसको लेकर वह चिंतित थे।” मिसाल के तौर पर ट्रस्टीशिप पर आधारित समाज के बारे में वह इस तरह से बताते थे: “संपत्ति धनी व्यक्ति के पास ही रहेगी जिसका उपयोग वह बहुत जरूरी होने पर ही करेगा। वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को युक्तिसंगत तरीके से पूरा करेगा और बाकी संपत्ति का वह ट्रस्टी यानी न्यासी होगा जिसका उपयोग समाज के लिए और समाज के द्वारा किया जाएगा।”

इस सिद्धांत की मूल परिकल्पना न्यासी की ईमानदारी और निष्ठा पर आधारित है। परिकल्पना का अवास्तविक होना उसके मार्ग में बाधा नहीं बनेगा क्योंकि इसका विचार मूल रूप से सैद्धांतिक मॉडल के स्वरूप में ही अंतर्निहित है। इस तर्क की कई व्याख्याएँ आईं। जानेमाने विद्वान् प्रो. दातवाला का मत था कि ट्रस्टीशिप के नैतिक सिद्धांतों और अर्थिक विकास तथा व्यावसायिक प्रबंधन प्रणाली के बीच अंतर करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में ट्रस्टीशिप एक ऐसा सिद्धांत है जिससे अन्य सिद्धांतों का निगमन किया जा सकता है और इसके लिए गांधी जी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस बात पर जोर देना जरूरी है क्योंकि जाने-माने विद्वानों का कहना है कि अवधारणा के तौर पर ट्रस्टीशिप सम्पूर्ण नहीं है बल्कि यह समय, स्थान और समाज की आवश्यकताओं पर आधारित है। दातवाला अन्य विद्वानों से असहमत भी हैं। यह सिद्धांत सम्पूर्ण था मगर इसपर अमल सापेक्ष तरीके से हो सकता है—इसमें जो कुछ सापेक्ष या अस्थायी है वह इस नैतिक दर्शन पर आधारित राजनीतिक/अर्थिक व्यवस्था का प्रारंभिक कार्य है। इससे पहले कि हम इस पूरे सिद्धांत को खारिज कर दें ‘सिद्धांत के सिद्धांत’ की पड़ताल की जानी चाहिए।

उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। अगर अपरिग्रह की इस मानक प्रवृत्ति को मुख्यधारा के आर्थिक विश्लेषण में स्वीकार किया जाता है तो अपरिग्रही व्यक्ति तैयार करना एक प्रमुख कार्य बन जाता है। गांधी जो का मानना था कि अपरिग्रह के महत्व को भारतीय संस्कृति में समाहित किया गया है।

समसामाजिक कारपोरेट माहौल में आशावादी अर्थनीति का दबदबा मूल्यों की विर्जित प्रकृति की स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है जिसका मतलब है मूल्यों पर अलग से और बाहरी तौर पर विचार किया जाए। यह सही नहीं है क्योंकि वास्तविक मानवीय व्यवहार इस तरह की मूल्य प्रणाली से रहित नहीं होता। बाजार की विफलता आर्थिक मनुष्य के रूप में कार्य करने में विफलता का संकेत देती है। असलियत यह है कि आर्थिक मनुष्य की अवधारणा खोड़ित हो जाती है और किताबी दुनिया में अकेले खड़ी दिखाई देती है।

कारपोरेट व्यवहार में अक्सर तर्कहीनता की स्थिति रहती है और मुनाफे से इतर को महत्व दिया जाता है। अगर इस तरह के मूल्य के लिए जगह बनानी है तो यह संभव है कि अपरिग्रह को संचालन मूल्य के रूप में स्थान दिया जाए। ट्रस्टीशिप की धारणा इसी पूर्वशर्त पर आधारित है। अगर इसी बात को कुछ आगे बढ़ाया जाए तो व्यावहारिक परिणामों को समझा जा सकता है। अगर अपरिग्रह को अपनाया जाना है तो उत्पादन प्रणाली को देखने का तरीका अलग होगा। इतना ही नहीं, उत्पादन प्रणाली के अंदर क्या पैदा किया जाए और कितना पैदा किया जाए जैसे मुद्दों पर अलग परिणेक्षण में विचार करना जरूरी होगा। समाज को जनता की संप्रह करने की प्रवृत्ति में बदलाव लाकर उसे कमी लाने के तौर-तरीके ढूँढ़ने होंगे। इसका एक समाधान तो यही है कि शिक्षा के माध्यम से जनता के जीवन में अपरिग्रह के नैतिक मूल्य को स्थापित किया जाए। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है।

अहिंसा पर आधारित है ट्रस्टीशिप

ट्रस्टीशिप बुनियादी तौर पर अहिंसा के विचार पर आधारित है। अहिंसा की स्वाभाविक परिणत सत्याग्रह है। यानी अगर धनी व्यक्ति और पूंजीपति स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को नहीं छोड़ते तो सत्याग्रह के हथियार का उपयोग किया जाना चाहिए। गांधी जी से बार-बार यह सवाल पूछा गया कि ट्रस्टीशिप को कैसे

हासिल किया जाए। इस पर गांधी जो का कहना था कि समझा-बुझाकर और असहयोग के जरिए ट्रस्टीशिप को लाया जा सकता है। उनसे यह भी पूछा गया कि अगर ट्रस्टी, ट्रस्टी को तरह व्यवहार करने में असफल रहता है तो ऐसे में राज्य उसे उसकी संपत्ति से वचित करदें तो क्या यह उचित होगा। गांधी जो का उत्तर 'हाँ' में था। "असल में राज्य वे सभी वस्तुएं ले लेगा और मेरा मानना है कि अगर राज्य न्यूनतम हिंसा का प्रयोग करे तो यह औचित्यपूर्ण होगा।" यहां गौर करने वाली दिलचस्प बात यह है कि गांधी जो राज्य की भूमिका के बारे में भी सोचते थे। उन्होंने समाज में किसी व्यक्तिगत नैतिक मूल्य को स्थापित करने की लंबी प्रक्रिया का भी अहसास था। राज्य की भूमिका केवल अल्पकालिक है। दांतवाला ने सही झिगत किया है कि अगर राज्य की प्रकृति स्पष्ट न हो तो और जब राज्य को प्रकृति शोषणकारी और दमनकारी हो, जैसा कि सामान्य रूप से होता है तो इस मॉडल के तहत भी समाज राजनीतिक पूँजीवाद की ओर धकेल दिया जाएगा।

ट्रस्टीशिप के एक रूप का परीक्षण आचार्य विनाबा भावे ने आजादी के तुरंत बाद किया जो ज़मीन से संबंधित था। यह भूदान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1947 में आजादी के तुरंत बाद तेलंगाना में वामपंथी अतिवादी, ज़मीदारों की हत्याएं कर जबरन भूमि हड्डप रहे थे। इसी दौरान भारत सरकार ने देश में कई भूमि सुधार लागू किये। इनमें ज़मीदारी

उन्मूलन अधिनियम, भूमि किरायेदारी कानून और भूमि की अधिकतम सीमा कानून शामिल थे। विनोबा के लिए जबरन ज़मीन हथियाना और अप्रत्यक्ष टकराव हत्या की ही तरह थे और सरकार कानून के जरिए जो कुछ करने का प्रयास कर रही थी वह कानून था। उन्होंने पहले लोगों से दान में ज़मीन मांगना शुरू किया और इस तरह मिली ज़मीन को भूमिहीन किसानों में बांट दिया। वह नैतिक आधार पर लोगों को समझा-बुझाकर अपना कार्य करते थे और इसे करुणा कहते थे। यहां यह बात बड़ी दिलचस्प है कि इस स्थिति में गांधी जो करुणा से कुछ आगे चले जाते। यानी अगर ज़मीदार करुणा से द्रवित नहीं होता तो वे अपना कर्तव्य पूरा करते अर्थात् सत्याग्रह का सहारा लेते। 1950 के दशक में जब कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र बनी हुई थी और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। भूमि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण घटक था और किसी परिवार की आजीविका चलाने में ज़मीन के स्वामित्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। भूमि के स्वामित्व में असमानता से समाज में संपत्ति और आमदानी के वितरण में असमानताएं उत्पन्न होती थीं। ज़मीदारों को धनासेठ और देश के आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में ताकतवर तबका माना जाता था।

औद्योगीकरण के बाद ही कारपोरेट जगत उभर कर सामने आया। इसलिए अगर कारपोरेट जगत ट्रस्टी के रूप में कार्य करने

को सहमत नहीं होता तो उन्हें नैतिक तरीके से समझाने-बुझाने का रास्ता अपनाया जाता और इसके बाद सत्याग्रह का सहारा लिया जाता। यह बिन्दु प्रासांगिक और महत्वपूर्ण है। स्थिति में सुधार न होने पर और कारपोरेट क्षेत्र को बेलागाम बढ़ने दिया जाता तो असमानताएं और अधिक बढ़ जातीं जिसके गंभीर दुष्परिणाम होते। अगर कारपोरेट जगत ने ट्रस्टी के रूप में काम करना न शुरू कर दिया होता तो सम्पत्ति का बल पूर्वक अधिग्रहण और जब्ती की मानसिकता एक वास्तविकता बन जाती। हिंसा और हत्या से हटकर गांधीवादी तरीके में ज़रूरी है कि कारपोरेट क्षेत्र ट्रस्टी की तरह अधिक बने और अपनी संपत्ति का उपयोग सबके फायदे के लिए करें।

ट्रस्टीशिप में सम्पत्ति सूजन की इजाजत

संपत्ति कैसे और कितनी अर्जित करें यही बुनियादी तौर पर ट्रस्टीशिप है। यह संपत्ति के सूजन और स्वामित्व के खिलाफ नहीं है। ट्रस्टीशिप की व्यवस्था में सम्पत्ति का सूजन और स्वामित्व न्यायोचित है। गांधी जी जब अहमदाबाद वापस आए तो जिस एक समस्या का उन्हें सामना करना पड़ा वह थी वहां कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल। उस समय श्रमिक यूनियनों जैसे संगठन समूचे औद्योगीकृत विश्व में मजबूत रूप ले चुके थे। सरकार और मजदूर संगठनों के बीच बातचीत तो होती थी लेकिन इनमें श्रमिक यूनियनें विरोधी की भूमिका में रहती थीं। इनमें एक-दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता का माहौल रहता था। गांधी जी बदलाव लेकर आए और उन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा को शामिल किया। "इसलिए कपड़ा मिल हड़ताल में मैं आपसे जिस चीज की अपेक्षा करता हूं वह यह है कि आप अपनी सारी संपत्ति का ट्रस्ट बना दीजिए जिसका उपयोग आपके लिए पसीना बहाने वाले मेहनतकश लोगों के लिए हो। क्योंकि आप जिस धन-संपत्ति के मालिक हैं वह सारी की सारी इन्हीं लोगों की मेहनत-मजदूरी की बदौलत है।" मैं चाहता हूं कि आप अपने मजदूरों को अपनी संपत्ति का साझेदार बनाएं... जबतक आप अपने मजदूरों को अपना हिस्सेदार नहीं समझोगे, आप असलियत में ट्रस्टी के सांचे में नहीं ढल पाएंगे इसलिए आप हमेशा टकराव की स्थिति में रहेंगे।

हो सकता है कि कारपोरेट जगत गांधी जी के कहे से सहमत न हो और मजदूरों



दिल्ली में जमनालाल बजाज के साथ (1940)

“मित्तिक्यत फसादों का कारण बनती है और हमारे पास अक्तंत्व भी करवाती है उसे छोड़ देना और जब तक उसको हम पूर्णतया तैयार नहीं हैं तब तक उसका व्यय परमार्थिक भाव से-ट्रस्टी की हैसियत से करना है और अपने भाग के लिए उसका उपयोग कम से कम करना।”

सीडब्ल्यूएमजी, बॉल्ट्यूम-26, पृ. 364, 22.3.1925

के गैर-जिम्मेदारी व्यवहार का उदाहरण देते हुए बहस करे और एमिट पॉलिसी को आवश्यकता पर जोर दे। हिंसक घटनाओं को भी आशंका है क्योंकि कारपोरेट जगत अपने श्रमिकों को धौतिक लक्ष्यों का ऐसा आधान भर मानता है जिसका कोई मानवों चेहरा नहीं है और जो उत्पादन के घटक हैं। नव कलानिकल अर्धशास्त्र में श्रम के जीवन-मूल्यों को अप्रत्यक्ष रूप से आत्मसात करने और लागत को कम से कम करने की जरूरत पड़ती है। तभी श्रम शक्ति का उपयोग धौतिक रूप में और कियायती तरीके से किया जा सकता है। वास्तविक स्थिति ऐसी ही होती है जो गैर-जिम्मेदारी को प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में मजदूरों से कार्यकुशल बनने की और उत्पादन के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त करने को उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर मजदूर का उत्पादन प्रक्रिया से कोई संरक्षकार न हो और उत्पादन इंकाई या उसके पर्यावरण में भी उसका कोई हिस्सा न हो तो वह समूची उत्पादन प्रक्रिया से अलग-थलग पड़ जाएगा और उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उत्पादन की समूची प्रक्रिया में श्रमिकों को समुचित मजदूरी का भुगतान न होने से प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसी तरह की परिस्थितियां समाज और राज्य पर भी जबरन थोपी जा रही हैं। अगर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को ट्रस्टी के तौर पर इन परिस्थितियों पर लागू किया जाना है तो उत्पादक के रूप में कारपोरेट क्षेत्र को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल अपने साधियों के सामने अच्छे जीवन स्तर का प्रस्ताव रखना चाहिए। इस संदर्भ में अच्छे जीवन स्तर का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ट्रस्टीशिप के विचार के साथ ही ये प्रावधान भी किये जाने चाहिए।

शुद्ध आर्थिक शब्दावली में सिर्फ औसत लागत पर विचार करना कोई उत्तर नहीं है। कारपोरेट क्षेत्र ने समाज पर जो बाहरी प्रावधान

(एक्स्टर्नलिटी) धोप दिये हैं उन्हें आत्मसात करना जरूरी है। बाजार, आपूर्ति और मांग के अद्युत्य हाथों ने बाहुदात के इस गंभीर मुद्दे की डपेंशा की है। अकेली फर्म और समूचे उद्योग में इन बाहरी प्रावधानों के लिए तुलनपत्र में कोई जगह नहीं है और इसे राज्य और समाज पर टाल दिया जाता है। जहां तक विकल्पों और उन्हें लागू करने में भ्रष्टाचार का सवाल है राज्य और समाज, दोनों के पास बटिया विकल्प है। इसलिए औद्योगिक प्रक्रिया में कुल मिलाकर जो नकारात्मक बाह्य प्रावधान उत्पन्न हो जाते हैं वे बाहरी वित्तीय प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे जिन्हें समाज को सौंप दिया जाएगा जिससे सामाजिक स्तर पर और भी व्यापक बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी।

ट्रस्टीशिप और प्रकृति

उत्पादन का दूसरा आधान है प्रकृति। प्राकृतिक संसाधनों का खत्म होना और उनमें गिरावट अपेक्षाकृत हाल की परिषट्टना है। प्राकृतिक संसाधनों और आधानों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। कारपोरेट सेक्टर के रूप में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और परिवहन की लागत को कम से कम किया जाए। कारपोरेट ढांचे में प्राकृतिक संसाधन की वास्तविक लागत की गणना नहीं की जा रही है। संसाधन का उपयोग न होने की लागत वह लागत है जो सिर्फ हमारे लिए उपयोगी है औरों के लिए नहीं। आम तौर पर हम केवल उन चीजों पर विचार करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं और प्रकृति के लिए उपयोगी नहीं होतीं, मगर हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, भले ही इस समय हम इसे नहीं समझ पा रहे हों। फर्म के विश्लेषण से भी यह बात उभर कर सामने नहीं आ पाती बल्कि बहिर्भाव को सरकार, समाज या प्रकृति पर छोड़ दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण पहलू है। यहां जंगल की मिसाल दी जा सकती है।

लकड़ी को मांग अपलक्ष रूप से बन की ही मांग है जबकि लकड़ी के लिए भुगतान में पेड़ को काटने और उसके परिवहन की लागत को भी शामिल किया जाता है। लेकिन यह लकड़ी को वास्तविक लागत नहीं है। एक पेड़ को काटने से जंगल का एक समूचा हिस्सा हट जाता है। उस हिस्से में तमाम पारिस्थितिकीय सेवाएं होती हैं जिनमें वहां या आस-पास रहने वाले परिवारों की आजीविका भी शामिल है। पारिस्थितिकीय सेवाओं की यह लागत चुकता नहीं हो पाएगी और उपभोक्ता भी इस बोझ को नहीं उठाएंगे। यह बाह्यता भी राज्य और समाज पर डाल दी जाती है। ट्रस्टीशिप का गांधीवादी सिद्धांत, प्रकृति के साथ बरताव और अपनी उत्पादन प्रणाली में प्रकृति का इस्तेमाल भिन तथा अधिक संरक्षण/परिरक्षण मूलक हो सकता है। अगर उद्योग समग्र रूप से अधिक उपयुक्त मूल्य निर्धारण का निर्णय करते हैं तो उस बस्तु की मांग होने पर ही उसका उत्पादन किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि फर्म/उद्योग के स्तर पर काटने का फैसला कर लिया जाए या फिर तमाम लागत को समाज पर डाल दिया जाए। इस संबंध में कार्बन ट्रेडिंग बहुत बटिया विकल्प है, हालांकि कोई अन्य विकल्प न होने से कुछ विकल्प होना बेहतर है। तीसरा मुद्दा प्रदूषण का है। प्रदूषण स्वाभाविक रूप से उत्पादन का परिणाम होता है। उपयुक्त टेक्नोलॉजी के चुनाव से भी ट्रस्टी बना जा सकता है। उत्पादन के मामले में गांधी जी सुसंगत लगते हैं।

गांधी जी का मशीनों का विरोध जग जाहिर है। वह मशीनों और टेक्नोलॉजी के अंधाधुंध और बेमतलब उपयोग के विरोधी थे। वह चाहते थे कि टेक्नोलॉजी का युक्तिसंगत उपयोग हो। समसामयिक बोलचाल में इसे ईको-फ्रेंडली (पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल) टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। इसी की व्याख्या ट्रस्टीशिप के रूप में की जा सकती है। इसलिए उत्पादन के क्षेत्र में भी ट्रस्टीशिप की पर्याप्त गुणालेश है।

उपयोग में ट्रस्टीशिप

संपत्ति और उत्पादों को पैदा करने के बाद उनके उपयोग का मुद्दा आता है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के उदाहरण सर्व विदित हैं। हालांकि कारपोरेट सोशल रिस्पासिबिलिटी एक नयी अवधारणा के रूप में बड़ी तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है, इसे परोपकार

कहना सबसे अच्छा होगा। भारतीय सभ्यता में भी यह विद्यमान है। दान के रूप में परोपकार लोकेषण से प्रेरित होता है जिसका मतलब है समाज में लोकप्रिय होने की भावना। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है धन अर्जित करने के बाद व्यक्ति को समाज में नाम कराने के लिए दान करना चाहिए। बिल गेट्स और वर्णेन बफेट का उल्लेख करने के बाद हमें भामाशाह को भी नहीं भूलना चाहिए जो एक महाजन या श्रेष्ठि थे जिन्होंने अपनी कमाई सारी संपत्ति राणा प्रताप को दान कर दी ताकि वे बेहतर तरीके से शासन चला सकें। जाहिर है कि परोपकार और द्रस्टीशिप के मामले में भारत पहले ही बड़ी ऊंचाइयां छू चुका है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिससे पता चलता है कि गांधी जी जो कुछ कह रहे थे वह कोई कपोल कल्पना नहीं थी। उन्होंने भारत की संस्कृति को आत्मसात किया था। लेकिन अवधारणा का दूसरा हिस्सा अधिक महत्वपूर्ण है जो उपभोग में द्रस्टीशिप के बारे में है।

उपभोग के दो अलग-अलग स्तर होते हैं: व्यक्तिगत और समाज संबंधी। व्यक्तिगत स्तर पर द्रस्टीशिप व्यक्ति की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं और जरूरतों को कहते हैं। अपरिग्रह या असंग्रह के सिद्धांत के अंतर्गत ऐसी चीजें हासिल करने और उनका उपयोग करने की मनाही है जो किसी व्यक्ति के लिए किसी काम की नहीं हैं। यहाँ पर गांधी जी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सीमित करने की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। कोई विवेकानन्द द्रस्टी अपने उपभोग को विनियमित और नियत्रित करेगा। यहाँ यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि गांधी जी भीषण गरीबी के कभी समर्थ नहीं रहे। समाजनक आजीविका की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वाकी संपत्ति को सामाजिक भलाई के कार्यों में खर्च की जानी चाहिए। यही पर विकल्प का प्रश्न उत्पन्न होता है। गांधी जी दान देकर परोपकार करने के खिलाफ थे। दान देने वाले परोपकारी और महाजन में अंतर होता है। महाजन परम्परा की शुरुआत खास तौर पर गुजरात और राजस्थान से हुई है। महाजन एक ऐसा न्यासी है जो अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति अर्जित करता और रखता है, उसे इसका अहसास होता है। वह बेहद साधारण जीवनशैली अपनाता है और अपनी संपत्ति का उपयोग सामाजिक रूप से उत्पादक



**इस प्रक्रिया की शुरुआत
अपरिग्रह यानी धन-दौलत के
न्यासियों, निर्माताओं और स्वामी
द्वारा किसी भी चीज का संग्रह
न करने के बुनियादी सिद्धांत से
करते हुए वह कहते हैं कि इससे
समूचे समाज को सकारात्मक
लाभ मिलेगा।**

कार्यों में करता है। यही कार्य अगर परलोक में अपनी स्थिति सुधारने को ध्यान में रखकर नहीं किये जा रहे हों तो इसे परोपकार कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट लोगों की नैतिकता की धारणा के प्रचलन के बाद परिशमी जगत ने परलोक की परवाह करने की धारणा को तिलांजलि दे दी थी। प्रोटेस्टेंट नैतिकता में सबकुछ इसी दुनिया के लिए होता है। गांधी जी का सरोकार भी इसी 'लोक' को लेकर है, मगर कुछ दूसरे तरीके से। उनका द्रस्टी अपनी संपत्ति का उपयोग सामाजिक दृष्टि से उत्पादक उद्देश्यों के लिए करता है। इस तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग की परिभाषा के अनुसार उत्पादन करते हुए कुछ बाहरी जिम्मेदारियां भी पैदा होंगी और इन अवाञ्छित व अपरिहार्य जिम्मेदारियों को सीएसआर के तहत निपटाया जाएगा।

सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त ऐसी गतिविधियां जिन्हें कोई व्यक्ति नहीं चला सकता या संसाधनों की कमी की वजह से राज्य सरकारें संचालित नहीं कर सकतीं उन्हें महाजन द्वारा निपटाया जाना चाहिए। गुजरात में

महाजनों ने कई धैर्यक साम्बांडी और स्वामी देखभाल इकाइयों को भग उगलावा कराया है। अभी ताल भी ताल ये भारी शूलक नहीं लेते थे, बल्कि भीरे-भीरे ते भिजी और मोता मुनाफा कमाने वाली संस्थाएं बन गये हैं। एक ताल ये ये भी न्याय है और सामाजिक दृष्टि से उत्पादक तरीके ये सीएसआर के दायरे में आते हैं। सीएसआर की गौजूदा अवधारणा अपने मुनाफे का एक हिस्सा व्यापक समाज के लिए देने और वाकी ये गंतव्य रहने पर आधारित है। महाजन परम्परा हमसे अलग थी और उससे बहुत कम नुकसान होता था। आज का कारपोरेट थेट्र प्रजिट नीति की मांग करता है। यह प्रकृति और श्रम का दोहन करता है और इसका एकमात्र सरोकार मुनाफा कमाने से है। इस प्रक्रिया में कारपोरेट सेक्टर के अलावा हर किसी को नुकसान होता है। इस नुकसान को कम से कम करने के लिए, जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं का अवाञ्छित प्रतिकल होता है, श्रम और प्रकृति के बारे में अधिक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना आवश्यक है। गांधीवादी द्रस्टीशिप अवधारणा में यही कारपोरेट सांशल रिस्पासिविलिटी है। इसे हासिल करने के लिए द्रस्टी को स्वयं अपनी आवश्यकताओं, जरूरतों, इच्छाओं और मांगों को विनियमित करना चाहिए क्योंकि इनकी अधिकता का बाकी आवादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में समाज के स्तर पर मांग और इच्छा का भी विनियमन हो जाता है जो एक सार्थक बाह्य परिणाम है। इससे प्रकृति पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

इस प्रक्रिया की शुरुआत अपरिग्रह यानी धन-दौलत के न्यासियों, निर्माताओं और स्वामी द्वारा किसी भी चीज का संग्रह न करने के बुनियादी सिद्धांत से करते हुए वह कहते हैं कि इससे समूचे समाज को सकारात्मक लाभ मिलेगा। इस तरह का समाज एक सरल समाज होगा और इससे उपयोगी तथा बहुत अधिक उपयोगिता नहीं रखने वाली चीजों के स्वामित्व ललक भी स्वतः ही विनियमित हो जाएगी। सोच में बदलाव लाना होगा। गांधी जी का द्रस्टीशिप का सिद्धांत उनकी अहिंसक समाज, स्वदेशी, विकेन्द्रित आर्थिक प्रणाली और स्वशासन वाले स्वराज की समग्र परिकल्पना के अंतर्गत प्रासारित और एक संभावना बन जाता है। □

वैकल्पिक दृष्टि की खोज



एम पी मथई

मानवता के सामने आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए लेखक ने जोर देकर कहा है कि यह मानव निर्मित संकट है। आधुनिक समाज द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों के विभिन्न आयामों की गहराई में जाते हुए लेखक का मानना है कि अब जबकि रोग का निवान स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है और मानवता के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन जैसे वास्तविक खतरों और उसके परिणामस्वरूप आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं तो मनुष्य जाति ने आत्मश्लाघा तथा ऐन्त्रिक सुखों से सम्मोहित होने के बावजूद फिर से विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


'गां'

'गांधी की ओर वापसी' एक ऐसा वाक्यांश है जो गांधी जी पर किसी भी चर्चा में अक्सर दोहराया जाता है, खास तौर पर गांधी जी की 150वीं जयंती के आयोजन के सिलसिले में तो इसका बार-बार जिक्र हो रहा है। ऐसे में कहना ही पड़ेगा कि यह एक तकिया कलाम जैसा बन गया है और न सिर्फ गांधी जी की आलोचना से दूर रहने वाले उनके प्रशंसक, बल्कि गांधी जी के गंभीर अध्येता भी उनकी आलोचना से बचने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस जुमले का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि आज मानवता के सामने उपस्थित जटिलतम समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र तरीका 'गांधी की ओर वापसी' का ही है। लेकिन 'वापसी' शब्द में उस स्थान या स्थिति पर फिर से लौटने का भाव छिपा है जिसमें आप पहले कभी रहे हैं और गांधी जी के साथ 'वापसी' शब्द को जोड़ना बहुत सटीक नहीं लगता। यह बात जग जाहिर है कि गांधीवादी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वराज और सर्वोदय के लक्ष्यों को हासिल करना था, जिसका आम बोलचाल में मतलब है मानवता का चहुंमुखी और समग्र विकास करना। गांधी जी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के आलोचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि वह एक क्रांतिकारी सुधारक और पथप्रदर्शक थे जिन्हें देवदूतों जैसी अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य है कि

हम उनके पास जाएं, उनकी परिकल्पना और कार्यक्रमों को स्वीकार करें और उन्हें साकार करने के लिए कार्य करें ताकि एक सही और टिकाऊ सभ्यता का निर्माण हो।

हम जानते हैं कि आज मानवता बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। उसके सामने अपने अस्तित्व का सबसे भीषण संकट उपस्थित है। आज हमारी आंखों के सामने मानवता का अस्तित्व अधर पर लटका दिखाई दे रहा है। वर्तमान समाज को ज्ञानमय समाज के रूप में जाना जाता है। यह इंटरनेट संपर्क के माध्यम से सूचना और ज्ञान का खजाना खुलने और उस तक आम लोगों की आसान पहुंच का युग है। लेकिन सूचना और ज्ञान तक इतनी

आसान और व्यापक पहुंच के बावजूद हमें अपनी रोजमर्या की जिंदगी में ऐसी स्वाभाविक घटनाओं से दो-चार होना पड़ता है जिन्हें समझ पाना और जिनकी व्याख्या कर पाना लगभग असंभव है जो कि अधिकतर लोगों के लिए यह आश्चर्य चकित कर देने वाला भी है। यह सच है कि मिचियो काकु जैसे वैज्ञानिकों का यह दृढ़ विश्वास है कि क्वांटम भैकेनिक्स, बायो-जेनेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तीन क्षेत्रों में हुई क्रांतियां मानवता की नियति में बड़े नाटकीय तरीके से सार्थक बदलाव ला रही हैं, लेकिन वे भी हमारी धरती और उस पर रहने वाले बुद्धिमान जीवों के भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। हालांकि



बापू कुटीर, सेवाग्राम में गांधी जी का कमरा




तियो टॉलस्टोय, जिन्होने दक्षिण अफ्रीको संघर्ष (1910) में गांधी जी को प्रेरित किया

खगोल भौतिकीविद् लंबे समय से यह मानते आये हैं कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार होता जाएगा, मगर आज के वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह अश्वस्त नहीं हैं। एक संभावना जो उनको नजर आती है वह यह है कि ब्रह्मांड अंततः खत्म हो जाएगा, भले ही उसकी यह मौत 'बिंग क्रंच' से हो (जिसमें ब्रह्मांड जल कर नष्ट हो जाता है), या 'बिंग चिल' से हो (जिसमें ब्रह्मांड बर्फ से जमकर समाप्त होता है)। क्वांटम भौतिकीविद् हमें जो बता रहे हैं वह यह है कि यह ब्रह्मांड और उसपर रहने वाले बुद्धिमान जीवों को अंततः मौत के मुंह में समाना है। हालांकि वे मनुष्य जाति द्वारा विज्ञान के चौथे स्तरं, स्पेस-टाइम कन्टीन्यूअम (यानी दिक्काल सातत्य) में फेरबदल करने, विभिन्न ब्रह्मांडों को जोड़ने वाले माइक्रोस्कोपिक वॉर्महोल्स के प्रसार और उनके भीतर से सुर्गों खोद कर अपने ब्रह्मांड के खत्म होने से पहले ही भाग निकलने की मामूली संभावना की भी बात कहते हैं। वैज्ञानिक जो कुछ कह रहे हैं उसका संबंध अरबों साल आगे भविष्य की बहुत दूर की बातों से है। आम लोग तो अपनी आंखों के सामने अभी जो हो रहा है उसको लेकर चिंतित हैं क्योंकि इसका सीधा और विनाशकारी असर उनकी अपनी जिंदगी और इसे सहारा देनेवाली प्रणाली पर पड़ रहा है।

यह बात स्पष्ट है कि आज हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं उसकी पहचान

मानव निर्मित संकट के रूप में बहुत सही की गयी है वर्योंकि यह ताकतवर लोगों द्वारा भरती मां और इस पर रहने वाले दुर्बल मनुष्यों पर किये गये भोषण अत्याचारों का स्वाभाविक परिणाम है। हमें पता है कि वैज्ञानिक क्रांति और उसके बाद यूरोपीय जागरण से मानव अस्तित्व के तमाम स्तरों में आमूल परिवर्तन हुआ है। जीवन के सभी पक्षों के बारे में मनुष्य को दिशानिर्देश देने वाली पारम्परिक विश्वदृष्टि का स्थान तथाकथित वैज्ञानिक विश्वदृष्टि ने ले लिया। उदाहरण के लिए पारम्परिक या जागरण-पूर्व की विश्वदृष्टि में, जिसे आध्यात्मवादी विश्वदृष्टि भी कहा जाता है, यह माना जाता है कि जीवन का एक भावातीत आयाम है और मानव अस्तित्व के पीछे एक दैवी व्यवस्था भी काम कर रही है। इसमें धरती को एक जीवधारी की तरह माना जाता था और मानव जीवन को इसी समझ के आधार पर नियोजित किया जाता था। ऐसा करते हुए

जब संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन और चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी) जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करना शुरू किया तो कुछ विश्व नेताओं ने वैकल्पिक चिरस्थायी सभ्यता के निर्माण के लिए गांधी जी की परिकल्पना और कार्य योजना के बारे में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र घोषणा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके कार्यक्रम का मुख्य जोर जनता, इस धरती, इसकी खुशहाली, शांति और साझेदारी पर है। ये वही बातें हैं जिनपर गांधी जी ने कई अवसरों पर बार-बार जोर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सदस्य राष्ट्र ऐसे कदम उठाने को कृतसंकल्प हैं जो दुनिया को तत्काल विकास के चिरस्थायी और लचीले मार्ग पर ले जाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।



जॉन रसिकन, जिनकी पुस्तक 'अन्दू दिस लास्ट' ने गांधी जी के लिए एक सामाजिक पवित्र जीवन जीने की प्रेरक बनी

प्रकृति के प्रत्येक पक्ष का सम्मान करने के साथ-साथ उसकी आराधना भी की जाती थी और उसके नियमों के साथ पूरे तालमेल से रहने का प्रयास किया जाता था। लेकिन जब भौतिक विज्ञानों ने मनुष्य को प्रकृति के नियमों को और सटीक तरीके से समझने में सक्षम बना दिया तो उसके दृष्टिकोण में पूरी तरह और नाटकीय बदलाव आ गया।


अपने इस नये अर्जित ज्ञान के भंडार के दंध में मनुष्य ने प्रकृति के बारे में यात्रिक/उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपना लिया और धरती माता को उसके पवित्र आसन से उतार दिया। धरती को महज एक विशाल मशीन और मनुष्य के उपभोग के भौतिक संसाधनों का भंडार माना जाने लगा। मनुष्य ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर प्रकृति पर हावी होना, उस पर नियंत्रण करना और उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। जीवन के मतलब और मकसद को नये सिरे से परिभाषित किया गया और भौतिक खुशहाली और ऐंट्रिक सुख प्राप्त करने को मानव अस्तित्व के चरम उद्देश्य का दर्जा दे दिया गया। एक खास तरह का भौतिकवाद उभर कर सामने आया जिसने धर्म और आध्यात्मिकता का स्थान ले लिया। जॉन जिसे परम्परागत रूप से सेवा में सहायक मान जाता था, अब ताकत और आधिपत्य स्थापित करने का औजार बन कर रह गयी। सर प्रांसिस बेकन ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है: 'ज्ञान ही शक्ति है।' नयी वैज्ञानिक औं

धर्मनिरपेक्ष सभ्यता में भौतिक सुख-सुविधाएं और ऐंट्रिक सुखों की लालसाओं को हद से ज्यादा बढ़ावा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि नैतिकता और आध्यात्मिकता के अवमूल्यन से ये चीजें हमारे जीवन के ताने-बाने से अलग होती चली गयीं। उपर्योगितावादी जीवन मूल्यों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर प्राधिकरण मिलने लगी और धर्म को तो कोरा अंधविश्वास करार देकर खारिज ही कर दिया गया। असरीमित भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐंट्रिक सुखों का भोग करने के विचार से एक नया सिद्धांत विकसित हुआ जिसे आज डिवेलपमेंटलिज्म के नाम से जाना जाता है। आज किसी भी कीमत पर विकास करना आधुनिक सभ्यता का आदर्श वाक्य बन गया है और अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले विभिन्न राष्ट्र इसका अनुसरण कर रहे हैं। डिवेलपमेंटलिज्म ने एक नये राजनीतिक धर्म का रूप ले लिया है और अधिकतर धर्मों की तरह ही यह भी अंधविश्वास और अतिवाद का गड़ बन गया है।

बीसवीं सदी के इस दशक के सिंहावलोकन से समसामयिक सभ्यता का विनाशकारी स्वरूप खुल कर सामने आ गया है, जबकि पिछली शताब्दी के शुरू में ऐसा नहीं था। पश्चिम द्वारा विकसित आधुनिक सभ्यता, जिसका सारा जोर केवल और केवल भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐंट्रिक सुख की प्राप्ति पर है, शेष विश्व के ऊपर थोप दी गयी है। इतना ही नहीं आज सारी दुनिया के अभिजात्य वर्गों के लोग इन सुख-सुविधाओं का महिमानंदन करते हुए इनकी कामना कर रहे हैं और इन्हें प्राप्त करने को लालायित हैं। कैसी विडम्बना है कि एडवर्ड कार्पेटर, लीयो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन (अमेरिका के हेनरी थोरो और राल्फ वाल्डो एमर्सन) जैसे बुद्धिजीवियों के एक छोटे से वर्ग ने, जिन्हें अक्सर 'दूसरे पश्चिम' का प्रतिपादक माना जाता है, इस नयी सभ्यता पर सवाल उठाए हैं और इसकी आलोचना करते हुए पश्चिमी सभ्यता को एक बीमारी करार दिया है। गांधी जी इन बुद्धिजीवियों में से कुछ को व्यक्तिगत

रूप से जानते थे और लंदन में अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान (1888-1891) उन्होंने उनकी कृतियों का अध्ययन भी किया था। बाद में भी गांधी जी ने उनके साथ बैद्धिक और नैतिक संवाद जारी रखा। इस तरह से गांधी जी ने जो विश्वदृष्टि विकसित की उसमें उन्हें प्रतिष्ठापित किया। गांधी जी ने अपनी पहली पुस्तक 'हिन्द स्वराज' या 'ईडियन होम-रूल' में भले ही विस्तार से न किया हो, मगर इनका उल्लेख किया है। इस पुस्तक को कुछ विद्वान् सही माने में मालिक गांधीवादी कृति मानते हैं और कुछ अन्य तो इसे 'गांधीवादी घोषणापत्र' तक कहते हैं।

जैसा कि सर्वविदित है, गांधी जी की 'हिन्द स्वराज' पुस्तक में अन्य बहुत सी बातों के साथ-साथ आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की कड़ी आलोचना भी की गयी है। उन्होंने हिंसा को आधुनिक सभ्यता की बीमारी का मूल कारण माना है। आधुनिक सभ्यता की जड़ हिंसा में समाई हुई हैं और यह अपना पोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी से पाती



है जिसका परिणाम और भी आधिक हिंसा के रूप में सामने आता है। गांधी जी ने आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में जिन अन्य खतरों को पहचान की है उनमें नैतिकता और भर्ती को अपासांगिक करार देते हुए मानव जीवन और कार्यकलापों से खारिज किया जाना और शारीरिक सुखों को जीवन के चरण लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित करना भी शामिल है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार इसमें मानव सभ्यता के विकास स्तर का आकलन दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने, उलट-फेर करने और प्रकृति पर नियंत्रण करने की बढ़ी हुई तकनीकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने आगाह किया है कि आधुनिक सभ्यता भौतिक प्रकृति और मानव जाति के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करती है, इसलिए यह चार दिन की चांदनी को तरह है। इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर इसे रोका नहों गया और इसमें सुधार नहीं किया गया तो यह मानवता को अंततः विनाश की ओर लेकर जाएगी। हिंद स्वराज के बाद के दौर में उन्होंने जो अध्ययन किया, जो प्रयोग किये और अनुभव हासिल किये उनसे वे हिंद स्वराज में प्रस्तुत अपने ही निष्कर्षों की सत्यता को लेकर आश्वस्त हो गये। इसी के अनुसार उन्होंने जबाहर लाल नंहरू समेत उन तमाम लोगों को जबाब दिये जिन्होंने उन्हें लिखा था कि हिंद स्वराज में प्रस्तुत विचार अवैज्ञानिक, प्रतिक्रियावादी, पुरातन और काल्पनिक हैं। गांधी जी ने 1946 में जबाहरलाल नंहरू को एक संदेश में इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अपनी पहली पुस्तक 'हिंद स्वराज' में जो कुछ लिखा है उस पर पूरा ध्यान करते हैं और उसमें किसी भी तरह का सुधार करना आवश्यक नहीं समझते। हम जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न भागों के चिंतकों ने हिंद स्वराज में गांधी जी द्वारा की गयी आधुनिक सभ्यता की आलोचना और पुस्तक में दिये गये वैकल्पिक दृष्टिकोण की विवेचना की है और कुछ ने इसके लिए गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है जबकि अन्य ने ऐसा किये विन भी पुस्तक के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

रेचल क्रामन की द माइलेंट मिंग (1962), मंगलिन फर्म्यून की द एक्विरियन क्रान्सपिरेसी (1980), डेनिस मीडांज, डॉनेला

मीडोज और जोर्ज रेंडरो की द लिमिटेड (1972), ईएफ. शूमाकर की साल इज अटिफल (1973) व ए गाइड फॉर द परस्परान्तर (1977) और पल्लिन टाफिलर की द थर्ड वेव (1980) इनमें से कुछ हैं। इन चिंतकों ने भौतिक प्रकृति और मानव जीवन के विभिन्न अन्य पहलुओं पर मानवीय आक्रामकता के विनाशकारी असर का सजीव चित्रण करते हुए कहा है कि इससे अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इन अध्ययनों में जहां मानवता को वैश्वक महाविनाश की आसन आशंका के प्रति संचेत किया गया है, वहां भविष्य की चिरस्थायी सभ्यता की परिकल्पना भी की गयी है। यह बात बड़ी दिलचस्प है कि ये सभी परिकल्पनाएं गांधी जी द्वारा प्रस्तुत विकल्पों से काफी मेल खाती हैं। इन अध्ययनों के लेखक गांधी जी के इस विचार से भी सहमत लगते हैं कि वर्तमान सभ्यता पूरी तरह नष्ट होने वाली है और जब तक हम यू-टर्न लेकर चिरस्थायित्व, अहिंसा, न्याय और शांति के सिद्धांतों पर आधारित एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था का निर्माण शुरू नहीं करते, वर्तमान सभ्यता चार दिन की चांदनी ही बनी रहेगी और ताश के महल की तरह ढह कर तहस-नहस हो जाएगी। गांधी

आधुनिक सभ्यता अपनी चमक-दमक के साथ भोले-भाले लोगों को लुभाती रही है और आज भी दुनिया के ज्यादातर लोग इसके जाल में फँसते जा रहे हैं।

यही बजह थी कि गांधी जी इसे चार दिन की चांदनी कहते थे और उनका यह कहना बेवजह नहीं था।

संयुक्त राष्ट्र ने सही कहा है कि आज हमारे सामने स्वाभाविक और आसान सवाल है-क्या हम अपने सामने स्पष्ट संकेतों को समझने और चिरस्थायित्व के मार्ग पर आगे बढ़ने को तैयार हैं? यही सवाल गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में पूछा था और चिरस्थायी सभ्यता के दुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या की थी। हमारी जिमेदारी इन्हें वास्तविकता में बदलने की है। और यही उनकी पुण्य सूति को हमारी मन्त्री श्रद्धांजलि होगी। □

जी ने भी इस बारे में दृनिया को आगाह किया था।

अब जर्वाक गंग का निदान स्पष्ट रूप में सामने आ चुका है और मानवता के अस्तित्व पर जलवायू परिवर्तन जैसे वानरविक खतरों और उसके परिणामस्वरूप आनंदाली प्राकृतिक आपदाओं के बादल मंडग गहे हैं तो मनुष्य जाति ने आत्मशलाघा तथा ऐन्ट्रिक सुखों से सम्मानित होने के बावजूद फिर से विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब संयुक्त राष्ट्र ने जलवायू परिवर्तन और चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करना शुरू किया तो कुछ विश्व नेताओं ने वैकल्पिक चिरस्थायी सभ्यता के निर्माण के लिए गांधी जी की परिकल्पना और कार्य योजना के बारे में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र धोपणा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके कार्यक्रम का मुख्य जोर जनता, इस धरती, इसकी खुशहाली, शांति और साझेदारी पर है। ये वही बातें हैं जिनपर गांधी जी ने कई अवसरों पर बार-बार जोर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सदस्य राष्ट्र ऐसे कदम उठाने को कृतसंकल्प हैं जो दुनिया को तत्काल विकास के चिरस्थायी और लचीले मार्ग पर ले जाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण समझौतों और करारों पर अमल के लिए अधिकतर राष्ट्रों द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाये जाते। उदाहरण के तौर पर क्योंतों के बारे में अवसरों पर बार-बार जोर दिया है।

आधुनिक सभ्यता अपनी चमक-दमक के साथ भोले-भाले लोगों को लुभाती रही है और आज भी दुनिया के ज्यादातर लोग इसके जाल में फँसते जा रहे हैं। यही बजह थी कि गांधी जी इसे चार दिन की चांदनी कहते थे और उनका यह कहना बेवजह नहीं था। संयुक्त राष्ट्र ने सही कहा है कि आज हमारे सामने स्वाभाविक और आसान सवाल है-क्या हम अपने सामने स्पष्ट संकेतों को समझने और चिरस्थायित्व के मार्ग पर आगे बढ़ने को तैयार हैं? यही सवाल गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में पूछा था और चिरस्थायी सभ्यता के दुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या की थी। हमारी जिमेदारी इन्हें वास्तविकता में बदलने की है। और यही उनकी पुण्य सूति को हमारी मन्त्री श्रद्धांजलि होगी। □

स्वयं से हटकर दूसरों की चिंता

प्रेम आनंद मिश्रा

अहिंसा की अवधारणा के बहुस्तरों - प्रत्यक्ष, अवसंरचनात्मक और सांस्कृतिक स्तर का जिक्र करते हुए लेखक ने कहा है कि गांधी जी की दृष्टि में हिंसा केवल एक कृत्य या बड़ी हिंसात्मक घटना नहीं है बल्कि यह किसी समुदाय या समूह के सामने प्रस्तुत गहरे सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धता का संकेत है। इसलिए इसे बड़ी हिंसात्मक घटना कहकर इसका विश्लेषण, निपटारा या समाधान नहीं निकाला जा सकता। हिंसा को समग्रता के साथ देखा जाना चाहिए और उसका उसी तरह से परीक्षण किया जाना चाहिए जिस तरह से वह उत्पन्न हुई है।

स

मप्टि से व्यष्टि के स्तर तक फैली बहुस्तरीय हिंसा आज के युग की प्रमुख चुनौती है। आम तौर पर हिंसा पर 'कानूनी दृष्टि' से विचार किया जाता है। लेकिन कानूनी शब्दावली हिंसा की जटिलता को सीमित कर देती है और इसे दंडनीय गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषित करती है जिससे हिंसा की परिघटना का सरलीकरण हो जाता है। फाउकाउल्ट ने सही कहा है कि 'हमें जो कुछ स्वाभाविक दिखाई देता है वह कर्तव्य स्वाभाविक नहीं होता।'² इस धारणा को हिंसा की अवधारणा पर लागू करते हुए कोई यह तर्क दे सकता है कि ऊपर से देखने पर हिंसा स्पष्ट और स्वयंसिद्ध अवधारणा लागती हो, मगर वास्तव में यह गंभीर रूप से संदिग्ध विचार है। इस संबंध में आप स्टैंको से सहमत हो सकते हैं जिसने कहा है: "हिंसा का कोई निश्चित मतलब नहीं है, यह ऐसा ही है और भविष्य में भी रहेगा।"³ इस अवधारणात्मक समस्या के बावजूद हिंसा को जोहान गालटंग के बर्गोकरण के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। गालटंग के अनुसार हिंसा तीन तरह की होती है: प्रत्यक्ष, संरचनात्मक और सांस्कृतिक।⁴ यहां मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि तीन स्तरों (प्रत्यक्ष, संरचनात्मक और सांस्कृतिक) पर हिंसा की समसामयिक समस्या से गांधी जी की अहिंसा किस तरह से निपटती है।



नवंबर, 1946 में नोआखाली (अब बांग्लादेश में) जाते हुए

प्रत्यक्ष हिंसा के बारे में गांधी जी का उत्तर

गांधी जी की अहिंसा का मूलभूत सिद्धांत अद्वैत पर आधारित है। गांधी जी 'स्व' और 'पर' में कोई भेद नहीं करते। अद्वैत का पालन करते हुए उनकी अहिंसा इस बात की पुष्टि करती है कि 'पर' या अन्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कुछ है तो वह आत्म या उसका ही कोई अन्य रूप है। इसलिए अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा वस्तुतः अपने ही खिलाफ है। प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत हिंसा, संगठित या छिट-पुट हिंसा का जो रूप हम समसामयिक समाज या राजनीति में देखते हैं वह उस समय उभर कर सामने आता है जब हम औरों को पूरी तरह 'अन्य' मानने लगते हैं।

गांधी जी इस तरह के समसामयिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं और 'अन्य' या परायेपन की भावना को सापेक्ष विचार की तरह देखते हैं जिसमें दूसरों के बलिदान को जगह आत्मबलिदान को प्राथमिकता दी जाती है। गांधी जी के मामले में स्व और पर दोनों जिम्मेदारी के संबंध से बंधे हैं। यह जिम्मेदारी अपने स्वभाव से ही अहिंसक और नैतिक है जिसमें सत्य के दिशानिर्देश में एक-दूसरे की मुक्त इच्छा से समाज और राजनीति में प्रयोग करने को बात स्वीकार की गयी है। इस पृष्ठभूमि में समसामयिक प्रत्यक्ष हिंसा को चुनौती देने के लिए गांधी जी तर्क देते हैं कि हर किसी को अहिंसा का प्रशिक्षण हासिल करना चाहिए और अगर परिस्थितियों की मांग हो तो उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा और बलिदान का भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। सिद्धांत रूप में उनकी हिंसा का मतलब है व्यक्ति की आत्मशुद्धि और वह यह मानते हैं कि अहिंसा की शक्ति अहिंसक व्यक्ति की क्षमता के अनुपात में होती है।

गांधी जी मसलों को सुलझाने के लिए समकालीन साधनों के रूप में अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में हिंसा का सहारा नहीं लेने का भी तर्क देते हैं। उनका



“ अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है, कायरता बड़े से बड़ा दुर्गुण है। अहिंसा का मूल प्रेम में है। कायरता का धृणा में। अहिंसक सदैव कष्ट सहिष्णु होता है, कायर सदा पीड़ा पहुंचाता है। विशुद्ध अहिंसा उच्चतम वीरता है। अहिंसक व्यवहार कभी पतनकारी नहीं होता, कायरता सदैव पतित बनाती है। **”**

सीडब्ल्यूएमजी, वॉल्यूम 42, पृष्ठ 73, 31.10.1929

पहला तर्क यह है कि हिंसा व्यक्ति की मूल गरिमा और महत्व को स्वोकार नहीं करती। दूसरा, हिंसा की कोई सीमा नहीं होती और यह अंततः अपना औचित्य खुद सिद्ध करने लगती है। इसका कारण यह है कि सही और गलत का निर्णय करते समय हिंसा सत्य के अपने पक्ष में होने का दावा करती है और इस आधार पर वह यह फैसला भी करने लगती है कि किसे दंडित किया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। तीसरा, जब हिंसा अध्यस्त हो जाती है और संस्थागत रूप धारण कर लेती है तो यह समाज में संघर्ष के किसी भी प्रकार के मुद्दे के समाधान का सामान्य उपाय/तरीका बन जाती है। गांधी जी यह भी कहते हैं कि आगे चलकर हिंसा अच्छा करने की बजाय बुरा अधिक करती है क्योंकि यह एक ऐसा दुष्क्रय या अंतहीन शृंखला बना देती है जिसमें व्यक्ति या समाज फस कर रह जाता है। इस तरह गांधी जी अहिंसा को अपनी रोजमर्या की निजी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सुझाव देते हैं और व्यक्तिगत जीवन में इसे अपनाने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। अपनी अहिंसा की परीक्षा के लिए वह तर्क देते हैं कि हर किसी को खतरों और मौत का सामना करना और दूसरों का दमन करना सीखना चाहिए और हर तरह की मुश्किलों को झेलने की क्षमता हासिल करनी चाहिए। इस तरह उनकी अहिंसा केवल दर्शनशास्त्र

या बौद्धिक जिज्ञासा का विषय नहीं है बल्कि इसमें व्यक्तिगत स्तर पर भी जवरदस्त कारबाई करने की बात कही गयी है।

यह बात गौर करने की है कि गांधी जी के लिए अहिंसा व्यक्तिगत गुण या निजी व्यवहार तक सीमित नहीं है।

वह अहिंसा को 'हमारे अस्तित्व का नियम' मानते और कहते थे कि जिसे पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक जैसे सभी सामाजिक संबंधों पर लागू किया जाना चाहिए। हिंसा से पीड़ित समसामयिक समाज के लिए उनका संदेश एकदम स्पष्ट था-मानव संबंधों के सभी संभावित क्षेत्रों में अहिंसा को अपनाया जाना चाहिए। उनके ही शब्दों में : "मैं मानता हूं कि अहिंसा कंवल व्यक्तिगत गुण नहीं है। यह सामाजिक गुण भी है जिसका अन्य गुणों की तरह विकास किया जाना चाहिए। निस्संदेह, पारस्परिक व्यवहार में समाज मोटे तौर पर अहिंसा की अभिव्यक्ति से ही नियन्त्रित होता है। मैं यह चाहता हूं कि इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर वृहत्तर विस्तार किया जाए। वे इस बात से आश्वस्त थे कि मनुष्य की मूल नैतिक प्रवृत्तियां अब भी सक्रिय हैं और इंसान का अस्तित्व तभी कायम रह सकता है जब अहिंसा में उसकी आस्था हो। संरचनात्मक हिंसा पर गांधी जी का उत्तर

आधुनिक विश्व में संरचनात्मक स्तर पर हिंसा की समस्या को सत्ता के केन्द्रीकरण, अंधाधुंध औद्योगीकरण और एक समूह द्वारा दूसरे समूह के शोषण के रूप में देखा जा सकता है। अहिंसा और शांति के विद्वानों ने इसे स्ट्रॉकचरल यानी संरचनात्मक हिंसा का नाम दिया है। गांधी जी के दृष्टिकोण के अनुसार यह नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन का खुलासा है, समकालीन समाज जिसकी अनदेखी करने का प्रयास करता है। यहाँ पर गांधी जी के अपरिग्रह (असंग्रह) और इसको संस्थागत रूप 'न्यासी' तथा आत्मसंयम की आवश्यकता आज के संदर्भ में प्रासादिक हो जाते हैं। गांधी जी का विचार था कि आधुनिक युग के इस संकट को हमारी संस्थाओं को 'अहिंसा के नियम' के और अधिक अनुरूप बनाकर याला जा सकता है। वह राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को हिंसा मानते थे और

“यदि इस हिंसा से छूटने के लिए पूरा प्रयत्न करता है, उसकी भावना में अनुकम्पा ही होती है, यदि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु का भी नाश नहीं चाहता, और यथाशक्ति उसे बचाने का प्रयत्न करता है तो वह अहिंसा का पुजारी है।”

सीडब्ल्यूएमजी, वॉल्ट्यूम 39, पृष्ठ 279

उन्होंने समाज में संरचनात्मक हिंसा को कम करने के लिए राजव्यवस्था के विकेन्द्रित रूप (पंचायती राज) तथा अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रित रूप (ग्राम स्वराज) की हिमायत की। इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए गांधी जी ने लोगों को विभिन्न स्तरों पर नैतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाने को आमंत्रित किया। गांधी जी जिस नैतिक नेतृत्व की बात करते थे उसका उद्देश्य शोषण और उपेक्षा यानी संरचनात्मक हिंसा से मुक्त समाज का निर्माण करना था। इस तरह के नेतृत्व का मतलब अपनी मर्जी को किसी पर थोपना नहीं है, बल्कि अपने जीवन तथा इससे संबंधित संस्थाओं में तर्क और प्रेम की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित करना है।

सामाजिक-राजनीतिक अन्याय आर्थिक असमानता की समकालीन समस्या के उत्तर में गांधी जी ने प्रतिरोध के अहिंसक तरीके की हिमायत की ओर इसे सत्याग्रह नाम दिया। ‘प्रेम के सक्रिय सिद्धांत’ पर आधारित उनका सत्याग्रह विभिन्न स्थितियों के अनुसार सविनय अवज्ञा और असहयोग जैसे अनेक रूप धारण कर लेता है। लेकिन इन सब विधियों का उद्देश्य गलत करने वाले के भीतर न्याय की भावना जागृत करना है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ये विधियां केवल उन लोगों द्वारा अपनायी जानी चाहिए जो निःस्वार्थ, निर्भीक और आत्मसंयमी हैं। आधुनिक समाज में जहां जातीय व राजनीतिक संघर्ष बड़े आम हो गये हैं, उनका सत्याग्रह अहिंसक और रचनात्मक संघर्ष के जरिए बदलाव की पेशकश करता है जिसका परिणाम संघर्ष में लिप्त पक्षों के बीच सुलह और कड़वाहट के अंत के रूप में सामने आता है।

राज्य और व्यक्ति के मुद्दे पर, जो आधुनिक राजव्यवस्था का केन्द्रीय विषय है, गांधी जी व्यक्ति को शक्ति और मूल्य का केन्द्र मानते

थे। उनके अनुसार राज्य और सरकार को पोषण और शक्ति व्यक्तियों से ही मिलती है। वह लोगों को याद दिलाया करते थे कि सहयोग के बिना राज्य और सरकार एक क्षण भी नहीं रह सकते। इस तरह जब राज्य जनता का शोषण करने लगता है और उनकी प्रगति में बाधक बन जाता है तो ऐसे में जनता का यह पावन कर्तव्य है कि राज्य से अपना समर्थन बापस ले लें और अपने नैतिक बल से राज्य में सुधार करें। इसके लिए उनकी सिफारिश थी कि लोगों की राजनीतिक चेतना की धार हमेशा तीखी रखी जानी चाहिए और नैतिक अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए। उनकी नजर में नैतिक अनुशासन और धन-दौलत तथा ताकत पर स्वैच्छिक नियंत्रण के बिना न तो व्यक्ति और न समाज खुशहाल हो सकता है। सांस्कृतिक हिंसा पर गांधी जी का उत्तर

गांधी जी हिंसा को प्रत्यक्ष रूप में ही नहीं देखते थे। उन्हें भली भांति पता था कि समकालीन विश्व में हिंसा के कई आयाम और रूप हैं जिनमें से एक रूप शोषण या उपेक्षा भी है। वह यह भी महसूस करते थे कि इस तरह की बहुआयामी हिंसा किसी खास समुदाय या समाज पर मिलकर असर डालती है, जैसा कि औपनिवेशिक भारत में देखा गया था। एलेन ने इगित किया है, हिंसा का बहुआयामी होना ऐसी मनोवैज्ञानिक, भाषायी और सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक हिंसा का संकेत देता है जो समाज में एक खास समुदाय पर अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है।

ऐसी हिंसा प्रत्यक्ष तो नहीं होती, मगर यह समाज के ढांचे और प्रणाली में ही छिपी रहती है। ऐसी हिंसा अक्सर तब पूर्ण कर सामने आती है जब सांस्कृतिक, राजनीतिक या

आर्थिक युद्ध (जैसा कि आतंकवाद के मामले में हो रहा है) छिड़ता है। इसी तरह गांधी जी के लिए हिंसा केवल एक गतिविधि या प्रमुख हिंसक घटना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे गहरे सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक अलगाव का संकेत भी है जो किसी समुदाय या समूह को झेलना अथवा अनुभव करना होता है। इस तरह गांधी जी की राय में जहां हिंसा एक खास सामाजिक समूह/समुदाय पर सामाजिक-राजनीतिक या आर्थिक ढांचे के प्रभुत्व का नतीजा होती है। इसे केवल एक प्रमुख हिंसक घटना मानकर इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता और न ही इसे सुलझाया या हल ही किया जा सकता है। इसलिए हिंसा को इसकी पूरी सम्पूर्णता में देखना जरूरी है और इसकी जांच उस विश्वदृष्टि के आलोक में की जानी चाहिए जिसके तहत यह सामने आयी है।

हिंसा पर समसामयिक बहस हमारी सामाज्य विश्वदृष्टि और इसकी प्रकृति को लेकर प्रश्न खड़े नहीं करती। यह हमारे सामाज्य दृष्टिकोण को अंतिम, निश्चित और निर्विवाद मानकर चलती है। इस संबंध में यह तर्क दिया जा सकता है कि हिंसा का संबंध बहुत हद तक हमारी ‘सामाज्य विश्वदृष्टि’ से है। एलेन तर्क देते हैं कि ‘हमारी सामाज्य विश्वदृष्टि’ स्वाभाविक रूप से ही हिंसक होती है और हमारा सामाजीकरण और हमारी शिक्षा इस तरह से होती है कि हम कभी यह समझ ही नहीं पाते कि हम कितने हिंसक तरीके से अपने आप से, दूसरों से और प्रकृति से जोड़ते हैं। यह ‘सामाज्य विश्वदृष्टि’ अक्सर ‘सामाज्य’ के दायरे से बाहर की घटनाओं को छुपा देती है और उन्हें विकृत मामलों के रूप में परिभाषित करती है। चरम स्थितियों में तो उन्हें ‘आतंकवाद’ तक करार





लंदन के किंग्स्ले हॉल में महात्मा गांधी

दे दिया जाता है। गांधी जी इस तरह के हिंसक सामान्य दृष्टिकोण और इसके मानक डिजायन को चुनौती देते हैं और 'अहिंसक विश्वदृष्टि' पर जोर देते हुए तर्क देते हैं कि हमें अपनी वर्तमान विश्वदृष्टि का विश्लेषण करना चाहिए जिसे 'सामान्य' बताया जाता है जबकि वास्तव में यह अंदर से हिंसक है। अहिंसक विश्वदृष्टि विकसित करने के लिए वह समाज में स्वदेशी के माध्यम से एक नये किस्म की सामाजिकता और एक नई तालीम के जरिए एक नयी तरह की शिक्षा पर जोर देते हैं। उनके दृष्टिकोण में इस तरह के विचारों के परिणामस्वरूप औरों के साथ अहिंसक संबंधों को पोषण मिलेगा और दृढ़ता मिलेगी जिससे हमारी यह दुनिया अधिक मानवीय हो पाएगी।

प्रकृति के विरुद्ध हिंसा, जिसे पर्यावरण संकट के नाम से जाना जाता है, हमारे सामने एक गंभीर समकालीन चुनौती है। पर्यावरण संबंधी वर्तमान संकट एक समस्या नहीं है बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संबंधों के बारे में भारी गलतफहमी पर आधारित मानक दृष्टिकोण का लक्षण मात्र है। प्रकृति को मनुष्यों से अलग करके देखने की बजाय गांधी जी ने कहा कि हमें स्वयं और बाकी सजीव विश्व के बीच अधिक जीवंत संबंध महसूस करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव

दिया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच पूरा तालमेल होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, कि इंसान अपने मजे के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता रहे।

अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों में प्रयास किया जाता है कि मौजूदा पारिस्थितिकीय संकट के मूल कारणों को दूर किया जाए और इसके लिए 'मानवीय पारिस्थितिकी' कही जा रही हाल की एक धारणा की तरह का विचार सामने आया है। मूलाकट्टु तर्क देते हैं कि मानवीय पारिस्थितिकी का सरोकार इंसानों द्वारा की जा रही तमाम गतिविधियों के पारिस्थितिकीय तंत्र पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से है। उनके शब्दों में, 'हम (इंसान) संसाधनों को उत्पन्न करने, उनके चिरस्थायी उपयोग, उनकी अनुकूलित बढ़ोतरी और इंसानों के विकास में भी दिलचस्पी लेते हैं।' यह सब ऐसे माहौल में होता है जिसमें इंसानों और प्रकृति के बीच महत्वपूर्ण सपर्कों की पहचान की जाती है और उन्हें सुदृढ़ किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई कार्य न करना जिससे हमारे साथी मनुष्यों, प्रकृति और भावी पीढ़ियों को किसी तरह का नुकसान पहुंचने की आशंका हो।" यह बात भी गौर करने की है कि गांधी जी पर्यावरण संकट को अलग-थलग करके नहीं देखते थे। वह

पर्यावरण को घनिष्ठ रूप से अन्य मानवीय संस्थाओं जैसे राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और विकास के तरीके से जोड़कर देखते हैं और इन क्षेत्रों में आवश्यक बदलाव के लिए कहते हैं। वह अपने आप को विनाश से बचाने के लिए रोजमरा की जिंदगी में 'हरित विचार' की जोरदार तरीके से वकालत करने के साथ-साथ प्राकृतिक व्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था और विकास के मॉडल की बात करते हैं। □

संदर्भ

1. रोचेज, डी (संपा.) द एथोपालाजी ऑफ वायोलेंस, ऑस्ट्रेलियन बेसिल ब्लैकवैल, 1986, पृ. 23
2. फाउक्याउल्ट, एम. द पोलिटिक्सस ऑफ द्रुथा न्यूयार्क 5 सेमिओटेक्स्ट (इ), 2007, पृ. 139
3. स्टैको, एड. (संपा.) द मीनिंग ऑफ वायोलेंस। न्यूयार्क: रॉटलेज। 2003, पृ. 3
4. गालटंग, जोहान, पीस बाई पीसफुल मीन्स, नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन, 1998, पृ. 23
5. गांधी, एम.के. हिन्द स्वराज या इंडियन होम रूल, अहमदाबाद: नवजीवन, 2008, पृ. 54
6. द कलेक्टर वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, (खंड 68), नई दिल्ली: द पब्लिकेशन्स डिविजन, 1977, पृ. 278
7. एलेन, डागलस, कॉमरेटिव फिलोसॉफी एंड रिलीजन इन याइम्स ऑफ टैर, यू.क.: लेक्सिङ्गटन बुक्स, 2006, पृ. 24
8. वहाँ। पृ. 23
9. मूलाकट्टु, जॉन एस। गांधी एज ए ह्यूमन इकोलोजिस्ट। जे. हम इकाल, 2010, पृ. 152

समतावादी समाज की ओर



रामचंद्र प्रधान

लेखक का मानना है कि गांधी जी द्वारा एकादश व्रत में श्रम की गरिमा का जिक्र है। इनमें से दो व्रत - स्पर्श भावना और शरीर श्रम, श्रम की गरिमा से संबद्ध है। इन्हीं मूल्यों से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली। इस दिशा में काफी कार्य हो चुका है, हालांकि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

म

हात्मा गांधी का व्यक्तित्व बहु-आयामी था। वे केवल एक राजनेता नहीं थे और उन्होंने कभी भी स्वयं को ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त कराने के एक मात्र मिशन से जुड़ा राजनीतिक नेता नहीं माना। बहु-आयामी मिशन के साथ वे हमारे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू का स्पर्श करना चाहते थे। विशेष रूप से उनका हृदय और मस्तिष्क भारतीय समाज को पूरी तरह एक नया स्वरूप देने में लगा रहा, चाहे यह राजनीतिक पक्ष हो, या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक पक्ष। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने सत्य और अहिंसा तथा सत्याग्रह के शाश्वत सिद्धांतों को अपनाया। इसके माध्यम से उन्होंने एक व्यापक जनांदोलन सृजित किया, जिसका अंतिम परिणाम 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने विकास के पश्चिमी मॉडल के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती दी, जैसे (क) व्यक्तिगत स्वार्थ ही मनुष्य और उसके समाज को आंदोलित करता है तथा (ख) मनुष्य की नियंत्र बढ़नी इच्छा और आकांक्षाएं ही मानव समाज की प्रगति का कारण बनती हैं। महात्मा गांधी ने बहुत ही बारीकी से मानव 'आवश्यकता' और 'इच्छा' के बीच के अंतर को स्पष्ट किया तथा सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी आवश्यकताओं के महत्व को रेखांकित किया। संरक्षण की उनको



दत्तापुर बस्ती की महिलाएं चरखा कातते हुए, सेवाग्राम आश्रम में कुछ रोगियों की बस्ती अवधारणा ने इन सभी विचारों को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने भौतिकता पर अत्यधिक जोर देने की धारणा

को खारिज कर दिया, क्योंकि उनके विचार में यह मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं की मूल भावना को निष्प्रभावी कर देने का कारण बनता है। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी ने सर्वधर्म सम्भाव (सभी धर्मों के प्रति आदर) पर बल दिया और धर्म निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को खारिज कर दिया यानी धर्म और राजनीति के बीच स्पष्ट अलगाव को रेखांकित किया। सत्ता की शक्ति में उनका अधिक विश्वास नहीं था। वे हमेशा नागरिक सामाजिक संगठनों के पक्षधर रहे। इस प्रक्रिया में उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए, सत्ता शक्ति की एकल भूमिका के

66

प्रश्न: हमें किसी रबींद्रनाथ या रमन जैसी प्रतिभा से अपनी रोटी खुद श्रम कर कमाने को क्यों कहना चाहिए, क्या यह महज बर्बादी नहीं है? मानसिक श्रम करने वाले को शारीरिक श्रम करने वालों के बराबर क्यों नहीं माना जाता, जबकि दोनों उपयोगी सामाजिक कार्य में लगे हैं?

उत्तर: बौद्धिक कार्य महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन, मैं जिस बात पर जोर देता हूं, वह है, शारीरिक श्रम की आवश्यकता। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को इस दायित्व से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में भी सुधार होगा। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण अपने मस्तिष्क के साथ-साथ शरीर से भी काम लिया करते थे। लेकिन, यदि वे ऐसा नहीं भी करते, तो भी आज शारीरिक श्रम मौजूदा समय की आवश्यकता बन गया है। इस संदर्भ में मैं महान रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय के जीवन का हवाला देना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने शरीर श्रम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिसका प्रतिपादन उनके ही देश में एक रूसी किसान बोडारेफ ने किया था। 99

- महात्मा गांधी (23-2-47)

जाती थी। लेकिन, साथ ही वे इस तथ्य से भी अनजान नहीं थे कि ऐतिहासिक विकास क्रम में इस परम्परा में अवाञ्छित तत्वों का समावेश होता गया और इसका रूप विकृत होता चला गया। इसलिए उनका दृढ़ता से मानना था कि मूलभूत सामाजिक सुधारों के जरिए भारत की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा को अपने मौलिक स्वरूप में बापस लाना होगा। यहां तक कि अपने वैचारिक मंथन, हिंदू स्वराज में उन्होंने इसे स्पष्ट किया है कि संस्थागत और बौद्धिक क्षेत्रों में ऐसे मूलभूत सुधारों की अनुपस्थिति में भारत हमेशा 'ईंग्लिस्तान' बना रहेगा और कभी भी सच्चा 'हिंदुस्तान' नहीं बन सकेगा। स्वयं को 'सनातनी हिंदू' कहने के बावजूद उनकी पृथ्वीभूमि उदार हिंदुत्व की थी। सौराष्ट्र, जहां से महात्मा गांधी आए थे, स्वामी प्राणनाथ और उनके पंथ-प्रणाली पंथ के कारण सर्व समावेशी हिंदू धर्म का प्रतीक था। गांधी जी की माता पुतलीबाई प्रणाली पंथ से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी थीं। उनके पिता भी एक उदारवादी हिंदू थे। इस प्रकार उनके घर का माहौल पूरी तरह उदारवादी था और किसी भी प्रकार की पुरातन पंथी रुद्धियों से मुक्त था। इंग्लैंड में उनके तीन वर्ष के प्रवास (1888-1891) ने इस उदारवादिता को और भी मजबूत किया। वे ईसाई धर्म और थियोसोफी विचारधारा सहित विभिन्न धार्मिक

को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए, जब उन्होंने 1915 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सत्याग्रह शुरू किया, तो एकादश व्रत यानी ग्यारह संकल्प निर्धारित किए, जिसका पालन आश्रम में रहने वाले सभी को करना था तथा अपने जीवन और दिनचर्या में उतारना था। वे एकादश व्रत थे - सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मनोवृत्ति नियंत्रण, निर्भीकता, अस्पृश्यता उन्मूलन, शारीरिक श्रम, स्वदेशी और सर्वधर्मसम्भाव। इन ग्यारह संकल्पों में से दो - स्पर्श भावना (अस्पृश्यता उन्मूलन) और शारीरिक श्रम (ब्रेड लेबर) मूल रूप से श्रम की गरिमा के सिद्धांत से जुड़े थे। इसलिए इन दोनों के बारे में संक्षिप्त विचार विमर्श की आवश्यकता है।

ब्रेड लेबर (शरीर श्रम): इस सिद्धांत का सरल अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए श्रम करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में वह श्रम, जो मनुष्य को रोटी पाने का हकदार बनाता है, शरीर श्रम है। व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के मानसिक कार्य में लगा हो, लेकिन उसे अपनी रोटी कमाने के लिए कोई न कोई शारीरिक श्रम करना चाहिए। रूसी विचारक टी.एम. बोडारेफ ने पहली बार शरीर श्रम के सिद्धांत की अवधारणा प्रतिपादित की थी। इसके बाद महान लेखक लियो टॉलस्टॉय ने इसे लोकप्रिय बनाया। गांधी जी इस बात से अवगत थे कि श्रम की गरिमा हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली से लुप्त होती जा रही है। वे इसे भारतीय समाज के प्रमुख सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इसे एकादश व्रत का एक अंग बनाया। केवल इतना ही नहीं, शरीर श्रम साबरमती और सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी की दैनिक चर्या का एक अभिन्न हिस्सा भी बन गया। इन आश्रमों के प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम सहित इस दिनचर्या का पालन करना होता था। गांधी जी ने शरीर श्रम के इस सिद्धांत को श्रीमद्भगवद्गीता की यज्ञ अवधारणा के साथ भी जोड़ा। कहा जाता है कि कोई भी आगर किसी प्रकार का त्याग (यज्ञ) किए बिना भोजन ग्रहण करता है, वह कुछ और नहीं कामचोर है। 1930 के दौरान यरबद्ध जेल से (गांधी जी इसे मंदिर कहा करते थे) साबरमती आश्रम के निवासियों को अपने पत्र में गांधी जी ने श्रम से कमाई गई रोटी के

सिद्धांत के पक्ष में कई तर्क लिखे। इनमें से एक था- अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कोई न कोई शारीरिक श्रम जरूरी है। दूसरा- इस सिद्धांत के पालन से शारीरिक श्रम से ऊपर मानसिक श्रम की सहज श्रेष्ठता की भावना आसानी से समाप्त की जा सकती है। तीसरी बात- शरीर श्रम के सिद्धांत का पालन कर समृद्ध वर्ग स्वयं को अपनी सम्पत्ति का संरक्षक मान सकेंगे और समाज में पूँजी और श्रम के बीच के मौजूदा संघर्ष का समाधान हो सकेगा। चौथी बात- महात्मा गांधी ने अपना मैला और कचरा खुद उठाने को शरीर श्रम का सर्वोत्तम रूप माना, इससे अस्पृश्यता को समस्या का समाधान होगा और समाज में सबको समानता सुनिश्चित हो सकेगी। उनके हजारों अनुयायियों ने शरीर श्रम के सिद्धांत का पालन शुरू कर दिया।

चरखा और करघा मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच तालमेल का प्रतीक बन गए। इसे लाखों लोगों को उनके खाली समय के दौरान रोजगार मुहैया कराने का भी साधन माना गया। कराई और बुनाई से अपना बल्ट्र स्वयं तैयार करने से लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और साथ ही स्वराज की परिकल्पना भी स्थापित हो सकेगी। केवल इतना ही नहीं, उनके जरिए पूरे समाज में आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। खादी और इससे जुड़े कार्यों के पीछे यही अवधारणा प्रमुख थी।

स्पर्शभावना (अस्पृश्यता उन्मूलन)-गांधी जी अपने बिल्कुल शुरूआती दिनों से ही अस्पृश्यता के खिलाफ थे। उनका दृढ़ मत था कि यह बुराई इस झूठे विश्वास पर टिकी है कि कुछ विशेष जातियों और परिवारों में जन्मे लोगों के शारीरिक सम्पर्क में आने से उच्च जाति के हिंदू अपवित्र हो जाएंगे। यह अंधविश्वास इतना प्रबल था कि कुछ लोगों की दृष्टि मात्र पड़ने को अपवित्र हो जाने का कारण माना गया। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदुत्व पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए वे हमेशा कहा करते थे कि इसे समाप्त किया जाना होगा। स्पर्श भावना उनके ग्याह ब्रतों में एक प्रमुख ब्रत बन गया। उनमें यह भावना इतनी प्रबल थी कि कस्तूरबा को दलितों से किसी प्रकार का भेदभाव करते देख कर वे दो बार उनसे भी अलग होने को तैयार हो गए (एक बार दक्षिण



नवजात बछड़े को पुचकारते हुए

अफ्रीका में और दूसरी बार सावरमती आश्रम में)। इतना ही नहीं, वे 1932 के साम्प्रदायिक पुरस्कार में दलितों को हिंदुओं से अलग करने के ब्रिटिश प्रयास को लेकर अपनी जान की बाजी लगाते हुए आमरण अनशन पर भी चले गए। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत की धरती से अस्पृश्यता का कलंक दूर करने के लिए सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया और हरिजन नाम से एक पत्रिका निकाली। उन्होंने अपनी अवधारणा के पक्ष में सटीक तर्क भी प्रस्तुत किए। पहला तर्क दिया कि किसी परिवार विशेष में जन्म के कारण कुछ लोगों को अस्पृश्य मानना पाप है। दूसरा तर्क कि अस्पृश्यता कभी भी हिंदुत्व का हिस्सा नहीं थी। गांधी जी का तीसरा तर्क था कि हर एक व्यक्ति समान स्तोत (ईश्वर) से धरती पर आता है, इसलिए सभी बराबर हैं। उन्होंने कहा कि हमें सबसे भाईचारा स्थापित करना होगा और सबके साथ घुलना मिलना होगा। चौथा तर्क था कि अस्पृश्यता प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। पांचवीं बात, अस्पृश्यता उन्मूलन का अर्थ होगा, मनुष्य और मनुष्य के बीच की खाई को दूर करना। उन्होंने कहा कि यह समतावादी समाज की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। महात्मा गांधी ने कहा उठाने और साफ सफाई को समाज

का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया। लेकिन, केवल कुछ लोगों तक सीमित कर दिए जाने के कारण यह श्रम की गरिमा कम करने का कारण बन गया। इसलिए उन्होंने स्वयं मैला उठाने पर बल दिया।

स्पर्शभावना और शरीर श्रम के दो गांधीवादी सिद्धांत आज के समय में अत्यंत प्रासारित हैं। भारत ने इन दोनों क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त की है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में उन सिद्धांतों का पालन किया। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि हमने इन दोनों मोर्चों पर सफलता प्राप्त कर ली है। बहुत पहले अस्पृश्यता कानून बना कर समाप्त कर दी गई थी और समाज में श्रम की गरिमा स्थापित करने के प्रयास भी किए गए। यह सच है कि इस दिशा में काफी कुछ किया जा चुका है और काफी उपलब्ध प्राप्त हो चुकी है। लेकिन यह भी समाज रूप से सच है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। युद्ध जीता जा चुका है लेकिन संघर्ष अभी जारी है और भारत को मनुष्य की समानता के उस नए युग में ले जाने का प्रयास जीता रखा जाना होगा, जिसका सपना बापू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। □

सत्य की जीवन केंद्रित खोज

डॉ जॉन चेल्लावरै

अहिंसा के प्रतिफल के रूप में शांति को सत्य और अहिंसा का पर्यायवाची भी माना जा सकता है। अहिंसा का जीवन शांति का जीवन है, शांति का जीवन न सिर्फ आध्यात्मिक अर्थों में, बल्कि भौतिक और व्यावहारिक अर्थों में भी सत्य का ही जीवन है।

शां ति को लेकर गांधी जी की धारणा को जीवन में 'सत्य' के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित उनके दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। उनकी शांति सही अर्थ में जीवन केन्द्रित है और वे 'अहिंसा' के माध्यम से इसका अनुसरण करते हैं जो, उन्होंके अनुसार, उनका मार्गदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम है और जो चिरस्थायी जीवन अनुभवों पर आधारित है।

सत्य

गांधी जी के लिए सत्य जीवन का आधार है और इसी सत्य का पालन करने में उन्होंने वह शांति प्राप्त की जिसका उन्होंने प्रतिपादन किया था। सत्यनारायण की धारणा की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, एक अटल नियम विश्व की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी का नियमन कर रहा है। वह नियम अंधा नहीं है, क्योंकि कोई भी अंधा या विवेकशून्य नियम जीवधारी प्राणियों के जीवन का नियमन नहीं कर सकता। जड़ वस्तुओं में भी जीवन के होने का प्रतिपादन करने वाले महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का उद्धरण देते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि पदार्थ तक जीवमय है। इस तरह विश्व के समस्त जीवन का नियमन करने वाला नियम ही ईश्वर है। नियम और नियामक एक ही हैं। और वे इसी नियम को सत्य, सार्वभौम और शाश्वत कहते थे। उनके लिए सत्य ईश्वर है, चरम है, जीवन का मूल उद्देश्य है।

सत्य के बारे में उनकी धारणा वही थी जो सर्वकृत शब्द 'सत्य' में प्रतिध्वनित होती



मुंबई में (1931)

है। यह शब्द सत् धातु से बना है जिसका मतलब है 'वह जो अस्तित्व में है'।⁴ जो कुछ विद्यमान है वह यथार्थ है इसलिए वह 'सत्य' का ही अंश है।

जीवन

गांधी जी कहते थे "सत्य पूर्णतः मंगलकारी है, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि मृत्यु के बातावरण में जीवन, असत्य के घमासान में सत्य और अंधकार की चपेट में प्रकाश अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसीसे मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि ईश्वर जीवन, सत्य और प्रकाश-रूप है।⁵ इसलिए व्यावहारिक रूप में जीवन ही ईश्वर है।

व्यावहारिक आदर्शवादी के रूप में गांधी जी जीवन को सत्य या ईश्वर की निकटतम अभिव्यक्ति मानते थे। इसलिए उनके अनुसार उस सर्वव्यापी सत्य या ईश्वर को प्राप्त करने

का एकमात्र तरीका यही है कि उसे उसकी सृष्टि में ही खोजा जाए और उसके साथ एकाकार हो जाया जाए। ऐसा सबके प्रति सेवाभाव से किया जा सकता है। वह कहते थे कि मैं इस समस्त सृष्टि का अभिन्न अंग हूँ और समूची मानवता से अलग मैं 'उसे' नहीं खोज सकता।

अहिंसा

गांधी जो के लिए सत्य एक साध्य था और वे अहिंसा को इसका निर्विवाद साधन मानते थे। अहिंसा हमारी मानव प्रजाति का उसी तरह का नियम है जिस तरह पशुओं के लिए हिंसा है। मानव की गरिमा इसी में है कि वह उच्चतर नियम का पालन करे। जिस तरह से हमारा जीवन वास्तविक या सत्य है उसी तरह, गांधी जी का मानना था कि जीवन की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन करना भी सत्य की विशेषता है। वे इस तरह की गतिविधियों को 'अहिंसा' कहते थे। इसके विपरीत जीवन को बाधित करने वाली किसी भी चीज को वह सत्य के लिए अभिशाप मानते थे और ऐसी गतिविधियों को उन्होंने हिंसा करार दिया।⁶

इस तरह की अहिंसा केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जीवन जीने की शैली है।⁷ यह सबके प्रति प्रेम की ऐसी भावना रखने की मनोवृत्ति है जो दूसरों के दर्द से द्रवीभूत हो जाता है।⁸ जीन शार्प के शब्दों में इसका मतलब है किसी अच्छे तदेश्य के प्रति निःस्वार्थ समर्पण, स्वेच्छा से पीड़ा झेलना और प्रेम। जीन शार्प गांधी जी की अहिंसा की व्याख्या एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में करते



सीएफ एंड्रयूज़, मुरियल लैसर, महादेव देसाई, सीराबेन, प्यारेलाल तथा एक अंग्रेज मित्र के साथ

हैं जिसमें हर किसी को जीवन जीने तथा उपयुक्त साधनों, संरचनाओं व प्रणालियों के इस्तेमाल और नीतियों के निर्धारण का उचित अवसर प्राप्त होता है।

एक व्यवहारात्मी के रूप में सत्य को लंकर गांधी जी की खोज ने बेहद जबरदस्त तरीके से अहिंसक 'स्वराज' (विवेकपूर्ण तरीके से रहने वाले नागरिकों), सर्वोदय (सबके कल्याण में अपना कल्याण देखना), स्वदेशी (पड़ोसियों के साथ सामन्जस्यपूर्ण संबंध), खादी (पारस्परिक/आपसी निर्भरता), साम्प्रदायिक सद्भाव (विविधता को स्वीकार करना) और नयी तालीम (समावेशी अस्तित्व की कला सीखना) जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। ये गांधी जी के बहुतर अहिंसा और भावतर सत्य की खोज के प्रयासों के कुछ पहलू थे। उनका सत्याग्रह मानवीय कार्यकलायों को समग्र रूप से संचालित करने के लिए समग्र तरीके के रूप में उभर कर सामने आया जिसमें विजेता और विजित दोनों, जीवन से समान लाभ प्राप्त करते हैं। उनका उद्देश्य भारत और समूची मानवता को ऐसी तमाम चेंड़ियों से मुक्त कराने का था जो उन्हें किसी न किसी रूप में स्वतंत्र होने से रोकती

हैं। यह समग्र अहिंसा जीवन का आधार है और इसलिए वह इसे अहिंसा परमोधर्मः कहते थे¹²।

शांति : एक जीवनानुभव

इस अर्थ में गांधी जी के लिए शांति जीवन का एक अनुभव है। हमारे रोजमरा के जीवन में इसकी पहचान संतुष्टि, आनंद, सुख-सुविधा, आराम (मानवीय प्रयास का प्रतिफल), प्रेम, करुणा, क्षमा, धैर्य (दृष्टिकोण संबंधी विशेषता), आपसी समझ, अनुभूति और चेतनता (संज्ञानात्मक विशेषता) से की जा सकती है। ये सब एकसाथ या अलग-अलग शांति के अनुभव की ओर संकेत करते हैं।

आनंद और प्रसन्नता को शांति से घनिष्ठ रूप से संबंधित माना जाता है। इस बात की सत्यता के साथ ही यह भी प्रमाणित है कि सामाजिकता से रहित कोई व्यक्ति अपना जीवन जीने में आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति तो अनुभव कर सकता है, लेकिन वह ऐसा दूसरों की कीमत पर करता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि शांति के लिए कोई बुनियादी और मौलिक संदर्भ बिन्दु हो। सत्य के बारे में गांधी जी के अनुभवों से

यह बात समझ में आती है कि सर्वव्यापी सत्य या जीवन के रूप में इसका अभिव्यक्त रूप शांति के लिए निर्विवाद और समग्र संदर्भविन्दु है।

शांति : जीवन की खोज का प्रयास

जिस तरह जीवन शांति का संदर्भविन्दु है उसी तरह शांति भी जीवन (के व्यक्तिगत अनुभवों) पर निर्भर है। जहां जीवन नहीं है वहां कोई शांति भी नहीं हो सकती। जीवन से अलग शांति को 'कविस्तान की शांति' कहा जा सकता है। अगर जीवन में सभी कुछ अच्छा हो तो इस तरह के अनुभव को शांतिपूर्ण अनुभव कहा जाता है। और अगर जीवन संकटापन हो तो ऐसे अनुभव को शांतिरहित ही कहा जाएगा।

हम जीवन का अनुभव अपनी अनगिनत गतिविधियों के माध्यम से करते हैं। हालांकि हमारे प्रत्येक कार्य का अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होता है (जैसे खाने का उद्देश्य है शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करना और सोने का उद्देश्य है थकान से राहत प्राप्त करना)। इसी तरह तमाम गतिविधियों का एक अतर्निहित सर्वमान्य और सामान्य उद्देश्य 'जीवन जीने' के लक्ष्य को पूरा करना है। जब किसी गतिविधि से यह

उद्देश्य पूरा होता है तो हमें आनंद, संतोष और शांति को अनुभूति होती है।

इस तरह कोई भी कार्य जो हमारे जीवन का संरक्षण, परिरक्षण या संवर्धन करता है वह हमें शांति की अनुभूति कराता है। लोगों के साथ मिलने-जुलने से सामाजिक व्यक्ति को भावनात्मक संरक्षण मिलता है और यही बजह है कि हमें किसी से मुलाकात करके सुकून और शांति मिलती है।

जीवन का संबंध शांति से है और कोई भी चीज जो जीवन के विरुद्ध हो या जीवन के आवश्यक तत्वों की अवहेलना करती हो 'अशांति' का संदर्भबिन्दु बन जाती है। अपर्याप्त भोजन या रहने के लिए जगह की कमी तथा पहचान या गरिमा की कमी से जीवन की संभावनाओं पर पार्बद्धियां लग जाती हैं और ये शांति के भी विरुद्ध हैं। इसी तरह गरीबी, बेरोज़गारी और इनके कारकों जैसे अशिक्षा तथा कौशल की कमी अशांति का ही रूप है क्योंकि इनसे शांति की संभावनाएँ क्षीण हो जाती हैं। खादी और ग्रामोदयोग जैसे गांधी जी के खननात्मक योगदान को शांति स्थापित करने की जीवन परक गतिविधियां कहा जा सकता है।

शांति के अनुभव को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। युद्ध, जो कि जीवन के लिए सबसे बड़े संकटों में से एक है, शांतिहीनता यानी अशांति की ही स्थिति का नाम है। इसलिए युद्ध का न होना, हिंसा का न होना, संघर्ष का न होना और असंतोष का न होना एक तरह से शांति की स्थितियों के ही पर्यायवाची नाम हैं। विवादों के समाधान के उपायों की मौजूदगी को भी शांति की स्थिति माना जाता है। युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति में ही हमारा जीवन फलता-फूलता है।

यह परिभाषा इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इसमें जीवन के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। लेकिन इसे 'निष्क्रिय शांति' के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि युद्ध का होना जीवन को नकारने के समान है और जीवन का अस्तित्व केवल युद्ध/संघर्ष के न होने से ही संभव नहीं है।

जीवन में शांति एक गतिशील अनुभव की तरह है जिसे 'सकारात्मक शांति' कहा जाता है। शांति का अनुभव जीवन से संबंधित मृजनात्मक, सकारात्मक और चिरस्थायी


अनुभवों से होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के सिर में दर्द है तो उसे शांति तब मिलेगी जब उसे दवाएं मिलें। गांधी जी के लिए शांति का मतलब मत्त्य कोन्द्रित जीवन का होना है। हालांकि भोजन करने, नयी चीजें बनाने या किसी को गले लगाने से भी हमें प्रसन्नता और पूर्णता का अनुभव हो सकता है, लेकिन इन्हें शांतिमय अनुभव तभी कहा जा सकता है जब वे प्रकृति के मानदंडों को पूरा करें। यानी, वे जीवन की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण में सहायक हों। अगर ये कार्य जीवन के लिए इनकी आवश्यकता की परवाह किये बिना ही किये जाते हैं तो इन्हें आसक्ति कहा जाएगा। उदाहरण के लिए भूख लगे बिना भोजन करना, सिर्फ मुलाकात के लिए लोगों से मिलना-जुलना और रहने के लिए घर होने के बावजूद एक और मकान बनाना जैसी गतिविधियों को आसक्ति ही कहा जाएगा। ऐसे कार्य भले ही हमें खुशी दें, मगर वे आसक्ति या उल्लंघन वाले कार्य ही कहे जाएंगे। इसी संदर्भ में गांधी जी की यह बात गौर करने की है कि प्रकृति के पास धरती के हर एक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर वह एक ही व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती।

दूसरी ओर हासमान प्रतिफल यानी अधिकता में नुकसान का नियम शांति की खोज पर भी लागू होता है। यह सच है कि अच्छे भोजन से तृप्ति का आनंद मिलता है, अंधाधुंध खाने पर हासमान प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है। किसी भी चीज की अधिकता होने से उसकी उपयोगिता घटने लगती है। अत्यधिक धार्मिकता आगे चल कर धर्मान्धता में बदल सकती है। धन-संपत्ति बटोरना एक तरह का आर्थिक मोटापा है जिससे व्यक्ति और उसके साथियों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए गांधी जी ने अपरिहर्य की बात कही है। असीमित धन-संपत्ति या शक्ति बटोरने से ऐसी खार्डी नैदा होती है जिसे पाटा नहीं

जा सकता। ऐसा करना असत्य बोलने की तरह है, इसलिए यह शांति के भी खिलाफ है। गांधी जी कहते हैं: सत्य का खोजी, प्रेम के नियम का पालन करने वाला कल के लिए कुछ भी नहीं रख सकता। उसे रोज़ाना जितनी आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा कदापि नहीं बनाता।¹³

जीवन का अनुभव आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। इसलिए शांति का मतलब ऐसी स्थिति से भी है जो व्यक्तियों को अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाए और ऐसा करते हुए यह ध्यान में रखा जाता है कि दूसरे लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी तरह की वाधा उत्पन्न न हो। स्वराज के बारे में गांधी जी की धारणा शांति की स्थिति प्राप्त करने के लिए आदर्श है।¹⁴ क्योंकि इससे स्वशासन का मार्ग प्रशस्त होता है जिसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का इस सीमा तक स्वयं-सशक्तीकरण हो कि सभी किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की संभावनाओं को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना अपनी देखभाल खुद कर सके।

समाज ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय है जो सामूहिक रूप से निर्धारित ऐसे लक्ष्यों से आपस में जुड़े होते हैं, जो साझा मूल्यों, सांस्कृतिक तौर-तरीकों से निर्देशित होते हैं और जीवन नाम की एक ही ढांचे में लयवद्ध



सभ्यता का वास्तविक अर्थ संख्या बढ़ाने में नहीं है, बल्कि अपनी जस्तरों को जानबूझकर और स्वेच्छा से कम करना है क्योंकि इससे वास्तविक प्रसन्नता, संतुष्टि और शांति बढ़ती है।

- महात्मा गांधी: यरवदा मंदिर

होते हैं। समाज का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है। व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समाज ने कई प्रणालियां तथा संरचनाएं निर्मित की हैं। उनके संचालन के लिए अनेक संस्थाएं बनाई गयी हैं। उनके संचालन के लिए कई मानदंड निर्धारित किये गये हैं और उनकी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लम्बी परम्पराएं हैं। इन प्रणालियों और संरचनाओं के सुचारू संचालन के जरिए उनके उद्देश्यों (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति से जीवन की पूर्णता) को सफलतापूर्वक प्राप्त करने को ही शांति कहा जा सकता है। आर्थिक न्याय (स्वदेशी अर्थव्यवस्था) के लिए विकेन्द्रित सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था या उपयुक्त टेक्नोलॉजी संबंधी हस्तक्षेप का मूल उद्देश्य ऐसी प्रणालियां और संरचनाएं कायम करना है जिन्हें समाज के सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सके और वे इनका उपयुक्ततम उपयोग (न ज्यादा, न कम) कर सकें।

इस तरह की व्यवस्थाएं और संरचनाएं जो जीवन परक हैं किसी भी समाज का अभिन्न अंग होते हैं इसलिए उन्हें शांति की पूर्व शर्त कहा जाता है।

व्यवस्थाएं और संरचनाएं उतना ही अच्छा कार्य करेंगी जितना अच्छी तरह से उनकी समझ होगी और उनका वस्तुनिष्ठ तरीके संचालन किया जाएगा। सदस्यों के कौशल (व्यवस्था के भीतर और उसके बाहर के लाभार्थियों के) भी शांति की पूर्व शर्त है।

इस तरह जीवन में शांति का अनुभव करने के लिए कुछ चिरस्थायी घटकों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए पूर्णता, सामाजिक संबंध, पूर्णता का बोध करने वाली प्रणालियों और ढांचों, प्रणाली की जानकारी और इससे संचालन के तौर-तरीकों, तथा दूसरों की कीमत पर किसी बात की अति न करने की चेतना जैसे कुछ घटक हैं जिनसे जीवन में शांति सुनिश्चित की जा सकती

है। इसी संबंध में गांधी जी की सर्वादय की धारणा भी शांति से संबंधित है¹⁶।

सबके साथ तालमेल

सर्वव्यापी सत्य के बारे में गांधी जी की समझ और 'सबका भला' के रूप में इसकी अस्तित्ववादी व्याख्या इस तथ्य की परिचायक है कि वह अद्वृत के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे¹⁷। इसके साथ ही वह लगातार बदल रहे रूपों में विद्यमान सर्वव्यापी यथार्थ को भी मानते थे। उनका कहना था कि सत्य के ये परिवर्तित होते स्वरूप मुझे यह कहने को प्रेरित करते हैं कि वास्तविकता के अनगिनत रूप होते हैं¹⁸। यह वही स्थिति है जिसमें हमारे बेदों में ब्रह्म को नेति-नेति (यह भी नहीं, यह भी नहीं) कहा गया है¹⁹। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह भी है कि ब्रह्म यह भी है और वह भी है (यानी सब कुछ वही है)। पहले मैं अपने विरोधियों की अज्ञानता पर दृश्यलाता था। लेकिन अब मैं उन्हें प्रेम करता हूँ क्योंकि अब मुझे अपने आपको देखने के लिए ऐसे नेत्रों का उपहार प्राप्त हो चुका है जो मुझे दूसरों की नज़रों से देखने की क्षमता रखते हैं²⁰। इसी सिद्धांत ने मुझे मुसलमानों का आकलन उनकी निगाह से और ईसाइयों का उनकी नज़र से करना सिखाया है²¹।

संकट प्रबंधन तकनीक

व्यक्ति को समाज के माध्यम से जीवन का बोध होता है। जीवन का सार है समाज। और संबंधों में तनाव पैदा होने की पूरी संभावना होती है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो सकता है। ऐसे मौकों पर जरूरी है कि हम बुराई का विरोध करें न कि बुराई करने वाले का। बुराई से जीवन (सत्य) बाधित होता है इसलिए इसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए। चूंकि बुरा करने वाला भी एक यथार्थ (सत्य का अंश) है इसलिए उसकी रक्षा की जानी चाहिए। वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाला यह शल्यचिकित्सकीय विश्लेषण (चिकित्सक उस स्थिति में भी रोगी को बचाने के लिए बीमारी से संघर्ष करता है

जब बीमार व्यक्ति और बीमारी एक साथ होते हैं) सत्य की वृहत्तर वास्तविकता से जुड़ी है। इस संदर्भ में गांधी जी अक्सर कहते थे 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं' और वह अपने इसी तरीके को 'सत्याग्रह' कहते थे।

निष्कर्ष

गांधी जी को जीवन केन्द्रित सत्य की खोज हमें शांति का संदेश देती है। जीवन का संरक्षण, संवर्धन या परिरक्षण करने वाला प्रत्येक अनुभव शांतिप्रद होता है। वह इस तरह के कार्यों को अहिंसा कहा करते थे। इसके विपरीत जीवन को बाधित करने वाला अनुभव अशांति का अनुभव होता है और गांधी जी ऐसे कार्यों को हिंसा कहा करते थे। इसलिए गांधी जी कहते थे कि 'अहिंसा' और 'सत्य' एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए अहिंसा के प्रतिफल के रूप में शांति को सत्य और अहिंसा का पर्यायवाची भी माना जा सकता है। अहिंसा का जीवन शांति का जीवन है, शांति का जीवन न सिर्फ आध्यात्मिक अर्थों में, बल्कि भौतिक और व्यावहारिक अर्थों में भी सत्य का ही जीवन है। □

संदर्भ

- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 11.10.1928
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 11.10.1928
- प्रभु, आरआर और राव, यूआर द माइंड ऑफ महात्मा गांधी (1966), नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, पृ. 55
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 31.12.1913
- तथैव
- हरिजन, 29.08.1936
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 11.08.1920, पृ. 3
- हरिजन, 5.09.1936 और यंग इंडिया, 6.09.1928
- तथैव
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 6.09.1928, पृ. 300-1
- शार्प, जॉन, गांधी वील्ड्स द वीपन ऑफ मॉर्टल पावर (1960), नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद
- गांधी, एम.के., हरिजन 24.11.1946
- गांधी, एम.के., यरवदा मंदिर, अध्याय-चार
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 19.03.1931, पृ. 38
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 18.01.1942, पृ. 5
- गांधी, एम.के., फाम यरवदा मंदिर, अध्याय-बाहर, यंग इंडिया, 09.12.1926
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 4.12.1924, पृ. 398
- गांधी, एम.के., यंग इंडिया, 21.1.1926.
- तथैव
- तथैव
- तथैव
- गांधी, एम.के., हरिजन, 25.03.1939, पृ. 64
- गांधी, एम.के., ऑटोबायोग्रैफी, पृ. 203

सतत विकास की अवधारणा



दीपंकर श्री ज्ञान

21वीं सदी में गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर ही हम सतत विकास को पा सकते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच की खाइ को कम कर सकते हैं। सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा साथ ही हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को संजोकर रख सकते हैं। प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, उसका उपयोग कैसे करें, यह हम गांधी जी से सीख सकते हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे लिए यह एक विशेष अवसर है कि गांधी के बताए रास्ते पर हम चलें।


सतत विकास का अर्थ है, मानव विकास की वह अवस्था है, जिसमें वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके, आने वाली पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके और विकास को इस प्रक्रिया में हमारा परितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे। सतत विकास की अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिसका सार यह है कि विकास की वह अवधारणा, जिसमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों से हमारे आवश्यकतानुसार उत्पादन होता रहे, जिससे मानव जीवन सुखी बना रहे और इस विकास के क्षणिक संसाधनों के अस्तित्व को कोई खतरा पैदा न हो। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में बहुत पहले ही सतत विकास की आवश्यकता और अंधाधुंध और लालचपूर्ण विकास को रोकने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही विनाश के बीज निहित हैं। हमारा लालच और जुनून पर अंकुश होना चाहिए। सतत विकास का केंद्र विन्दु समाज की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना होना चाहिए।

वास्तव में हमारे महापुरुषों, विद्वानों, पर्यावरणविदों ने यह महसूस करना आरंभ कर दिया था कि अंधाधुंध विकास की अवधारणा के चलते प्राकृतिक संसाधनों पर उसका घातक प्रभाव पड़ेगा। विशेषतः पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव और विकास

के दुष्परिणामों को पर्यावरणविदों ने भांपना आरंभ कर दिया था। इन दुष्परिणामों में जल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जैव विविधता आदि शामिल हैं। विकास के चक्कर में आर्थिक असमानता ने भी मुंह उठाना आरंभ कर दिया था। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाइ के चलते पर्यावरण के साथ-साथ समाज में भी असंतुलन पैदा होना आरंभ हो गया। इन सब स्थितियों के कारण विकास की एक नई अवधारणा की खोज आरंभ हुई। ऐसा विकास, जिसमें समाज का हर वर्ग विकसित हो। लोगों का सर्वांगीण विकास हो, यह विकास स्थायी हो और व्यापक हो।

क्या है सतत विकास

सतत विकास के बारे में अनेक विद्वानों ने अपना नजरिया पेश किया है,



लेकिन सबसे अधिक प्रचलित परिभाषा 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी। इस रिपोर्ट के अनुसार : "विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान को जरूरतों की पूर्ति इस प्रकार करे, जिससे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर न हो।" इस आयोग के अनुसार सतत विकास के तीन उद्देश्य हैं : 1. आर्थिक कुशलता 2. सामाजिक स्वीकार्यता 3. यारिस्थितिकीय टिकाऊपन।

ब्रटलैंड आयोग की इस रिपोर्ट में विकास के विभिन्न मुद्दों को रेखांकित किया गया था। इसके अनुसार विकास के लिए उत्पादन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो पर्यावरण का सम्मान करने वाली हो। इसमें असंतुलित विकास से उपर्युक्त तनाव को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्थिक वृद्धि को इस दिशा में काम करना चाहिए जिस दिशा में मानव की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। साथ ही विकास ऐसा होना चाहिए, जिसमें आय का समान वितरण हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो। विश्व के आम नागरिकों तक रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, पेयजल स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा अनिवार्य रूप से पहुंचे।

सतत विकास और पर्यावरण: अंधाधुंध विकास का जो प्रमुख परिणाम देखने में आया, वह था - पर्यावरण के संतुलन का बिगड़ना। 1972 में स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मेलन में प्रथम बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और विकास पर तिमश हुआ और

प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि इस मुद्दे पर तत्काल काम करना आवश्यक है। पहली बार इसमें पर्यावरणीय विकास की अवधारणा बनी और इसमें विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा गया।

वर्ष 1972 में ही क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'लिमिट्स टू ग्रोथ' में कहा गया कि यदि आर्थिक विकास के दर को संतुलित नहीं किया गया, तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक विकास के चलते पर्यावरण को गंभीर संकट पैदा हो गया है और इसे रोकना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 1972 के बाद अनेक ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित होती रहीं, जिसमें अंधाधुंध विकास की दौड़ में पर्यावरण असंतुलन के खतरे के प्रति आगाह किया जाता रहा। इन रिपोर्टों में 1980 की संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बन्य निधि और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा जारी रिपोर्ट, 1983 की ब्रटलैंड रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध इस शिखर सम्मेलन में 178 देशों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विमर्श किया। अधिकांश देशों का यह मानना था कि विकास ऐसा होना चाहिए, जो पर्यावरण के अनुकूल हो और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सके। इस सम्मेलन में पारित कुछ दस्तावेज इस प्रकार हैं :

एजेंडा-21 : इस एजेंडे में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे विकास को सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ बनाया जाए।

रियो घोषणा पत्र : इस घोषणा पत्र में सतत विकास के आधारभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया। इसमें पर्यावरण विकास को समर्पित 27 बिन्दु शामिल किए गए थे।

ग्लोबल वार्मिंग संविदा : यह ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से बचने के लिए एक सार्वजनिक संधि थी, जिसके मुताबिक हस्ताक्षरी देश कार्बनडाईऑक्साइड, मीथेन जैमी हानिकारक गैसों का उपयोग कम करेंगे

ताकि ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाया जा सके।

वनों से संबंधित सैद्धांतिक नीति : इसमें आशा की गई थी कि सभी देश यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विकास के प्रारूप के कारण वनों का क्षय न होने पाए और वनों के संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

इस सम्मेलन के बाद 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूयार्क में एक विशेष सत्र बुलाया, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन के मुद्दों पर विमर्श करने के बाद सतत विकास की ओर बढ़ने का संकल्प लिया गया। रियो 5 के नाम से इस सत्र को जाना जाता है। इसमें सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने और सतत विकास की अवधारणा को विश्व भर में स्थापित करने पर बल दिया गया।

सतत विकास और गांधी : विकास को लेकर महात्मा गांधी बड़े सजग और सतर्क थे। वे जानते थे कि विकास के नाम पर चल रही यह दौड़ अनेक समस्याओं को जन्म देगी, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। विकास की प्रचलित प्रणाली दुनिया के सामने संकट उत्पन्न करेगी। उन्होंने कहा कि मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा। यूरोप में एक व्यक्ति जितना उपभोग करता है, अगर दुनिया का हर व्यक्ति उतना ही उपभोग करे तो सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें धरती जैसे तीन ग्रहों की आवश्यकता होगी। विकास सर्वांगीण मानव सभ्यता के लिए है, जिसमें मनुष्य की मनुष्यता के लिए विशेष स्थान है।

हिन्दू स्वराज में गांधी जी कहते हैं, "पहले तो हम यह सोचें कि सभ्यता किस हालत का नाम है। इस सभ्यता की सही पहचान तो यही है कि लोग बाहरी दुनिया की खोज में और शरीर के सुख में धन्यता-सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। इसकी कुछ मिसालें लें- "सौ साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज्यादा अच्छे घरों में आज वे रहते हैं, यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। इसमें शरीर के सुख की बात है। इससे पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे। अब वे लंबे पतलून पहनते हैं और शरीर को सजाने के लिए तरह-तरह के कपड़े बनवाते

हैं और भाले के बदले एक के बाद एक पांच गोलियां छोड़ सकें, ऐसी चक्र वालों बदूक का इस्तेमाल करते हैं। यह सभ्यता को निशानी है"।

इस तरह की सभ्यता ने मनुष्य से मनुष्य को दूर कर दिया है और हम ज्यादा विध्वंसक हो गए हैं। हमने विनाशक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम किया है। आज पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। शांति और सद्भाव के द्वारा हम दुनिया में अमन और चैन कायम कर सकते हैं। शांति कायम करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है कि हम सीमित संसाधनों में अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीखें। हम अपनी जरूरत जैसे-जैसे बढ़ाते जाते हैं, दूसरों के हक पर अपनी बढ़त बनाते जाते हैं। यहां दूसरों के हक का तात्पर्य है कि हम उस अंतिम आदमी को दरकिनार कर रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है संसाधनों की। यहां यह गौर करने लायक बात है कि कम से कम संसाधन के उपयोग से हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ जाएंगे। भारत की सभ्यता में सर्वै वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना सम्मिलित रही है। भारतीय सभ्यता के विषय में अपनी पुस्तक हिन्दू स्वराज में गांधी जी कहते हैं, "मैं मानता हूं कि जो सभ्यता हिन्दुस्तान ने दिखाई है, उसको दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता। जो बीज हमारे पुरुषों ने बोए हैं, उसको बराबरी कर सकें ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का सिर्फ नाम रह गया, मिस्र की बादशाहत चली गई। जापान परिचम के शिकंजे में फंस गया। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो, हिन्दुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है।"

21वीं सदी में गांधी जी के बताए गए पर चलकर ही हम सतत विकास को पा सकते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम कर सकते हैं। सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा साथ ही हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को संजोकर रख सकते हैं। प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, उसका उपयोग कैसे करें यह हम गांधी जी से सीख सकते हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलब्ध में हमारे लिए यह एक विशेष अवसर है कि गांधी के बताए गए पर हम चलें। □

महात्मा गांधी के 11 संकल्प (एकादश व्रत)

उद्देश्य और आश्रम के नियम

उद्देश्य

गांधी जी ने कोचराब में 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। बाद में इसे सावरमती स्थानांतरित कर दिया गया। आश्रम का उद्देश्य था कि यहां का प्रत्येक सदस्य स्वयं को देश की सेवा, दूसरे शब्दों में विश्व कल्याण के योग्य बनाने का सतत प्रयास करे।

नियम (एकादश व्रत)

आश्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य है:

1. सत्य

सत्य पालन का उद्देश्य केवल अन्य लोगों के साथ संबंधों में असत्य वचन कहने या प्रयोग में लाने से परहेज़ मात्र नहीं है। सत्य ईश्वर है, सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता। अन्य सभी व्रत सत्य की उपासना और सत्य के अन्वेषण से ही उदित होते हैं। सत्य के पुजारी को कभी भी असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए, यहां तक कि उस प्रयोजन से भी नहीं, जिसे वे देशहित में मानते हों। सत्य के प्रति अटूट निष्ठा के कारण उनसे भक्त प्रह्लाद की तरह अपने माता-पिता और बड़ों की अवहेलना की भी अपेक्षा है।

2. अहिंसा या प्रेम

अहिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना ही नहीं है। अहिंसा का सक्रिय भाग है प्रेम। प्रेम छोटे से छोटे जीव से लेकर सबसे बड़े जीव मनुष्य तक जीवन के सभी रूपों के लिए समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। इस नियम का पालन करने वाले को बही से बड़ी गलती करने वाले पर भी क्रोधित नहीं होना चाहिए बल्कि उससे प्रेम करना चाहिए, उसके लिए शुभकामना करते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए। गलती करने वाले से प्रेम करने के बावजूद कभी भी उसकी गलती या उसके अन्याय के प्रति सर्वपंथ नहीं करना है, बल्कि पूरी शक्ति से इसका विरोध करना है। साथ ही, पूरे धैर्य से, बिना किसी विरोध के उन सभी कठिनाइयों को सहन करना है, जो गलती करने वाले का विरोध करने की बजह से उसके हिस्से में आ सकती हैं।

3. पवित्रता (ब्रह्मचर्य)

उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन ब्रह्मचर्य के पालन के बिना संभव नहीं है। केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि किसी स्त्री या पुरुष को लोतुप नजरों से न देखा जाए, पाश्विक वृत्ति को इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए कि यह मन से भी दूर हो जाए। विवाहित व्यक्ति को भी अपनी पत्नी या पति के प्रति कामुकता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे एक जीवन पर्याप्त मित्र की तरह मानना चाहिए और पूर्ण पवित्रता का संबंध रखना चाहिए। कामुकता भरा कोई भी स्पर्श, दृष्टि या वचन इस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन हैं।

4. अस्वाद

अनुभवों के आधार पर ब्रह्मचर्य का पालन तब तक बहुत ही कठिन माना गया है, जब तक व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो जाता। इसलिए मनोवृत्ति नियंत्रण स्वयं में एक सिद्धांत के रूप में स्थापित है। भोजन केवल शरीर को बनाए रखने और इसे सेवा के साधन के रूप में स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कभी भी इसे स्वयं को स्वाद सुख देने का साधन नहीं मानना चाहिए। इसलिए भोजन को समुचित नियंत्रण के तहत केवल औषधि के रूप में लिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुपालन में व्यक्ति को मसालेदार और उत्तेजक भोजन के प्रति रुक्षान से बचना चाहिए। मांस, मदिरा, तम्बाकू, भांग इत्यादि के लिए आश्रम में कोई जगह नहीं थी। इस सिद्धांत के तहत भोजन या जिहवा को आनंद देने वाले स्वादिष्ट पकवानों वाले भोजन से अपरिग्रह आवश्यक है।

5. अस्त्रेय

किसी की अनुमति के बिना उसकी वस्तु न लेना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि विश्वास के साथ किसी विशिष्ट ढंग से उपयोग के लिए रखी गई वस्तु का अलग ढंग से या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक इस्तेमाल करता है, तो भी वह चोरी का दोषी है। यदि कोई वस्तु वास्तविकता में आवश्यकता न होने पर भी ले ली जाती है, तो भी यह चोरी है। इस सिद्धांत के मूल में निहित सत्य है कि प्रकृति ने हमें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त प्रदान किया है और इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है।

6. अपरिग्रह या दरिद्रता

यह सिद्धांत वस्तुतः 5वें सिद्धांत की ही तरह है। व्यक्ति को वह चीज नहीं लेनी चाहिए, या उसका संचय नहीं करना चाहिए, जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता न हो। अनावश्यक भोजन सामग्री, कपड़े या फर्नीचर जमा करना इस सिद्धांत का उल्लंघन है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति कुर्सी के बिना काम चला सकता है, तो उसे कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। इस सिद्धांत के पालन में व्यक्ति अपने जीवन को आगे से आगे सरल बनाता जाता है।

7. शरीर श्रम

अस्तेय और अपरिग्रह के पालन के लिए शरीर श्रम आवश्यक है। शरीर श्रम के पालन से व्यक्ति को अपने साथ समाज को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सकता है। सक्षम और स्वस्थ शरीर वाले वयस्क लोगों को अपने सभी निजी कार्य स्वयं करने चाहिए। उन्हें इनके लिए, बिना किसी समुचित कारण के किसी दूसरे की सेवा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन, साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि बच्चों, वृद्धजन और बीमारों के साथ असमर्थ लोगों की सेवा प्रत्येक शारीरिक रूप से समर्थ व्यक्ति का दायित्व है।

8. स्वदेशी

व्यक्ति सर्वशक्तिमान या सभी कार्य स्वयं करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वह पहले अपने पड़ोसी की सेवा कर विश्व की सर्वोत्तम सेवा कर सकता है। यही स्वदेशी है, जिसके तहत व्यक्ति दूर की तुलना में अपने निकट के लोगों की सेवा को प्राथमिकता देता है। स्वदेशी का पालन विश्व में एक व्यवस्था काम करता है, इसका उल्लंघन करने से अव्यवस्था पैदा होती है। इस सिद्धांत के अनुपालन में व्यक्ति को, जहां तक संभव हो सके, अपनी जरूरतों की पूर्ति स्थानीय वस्तुओं से करनी चाहिए और विदेशों से आयातित उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनका निर्माण अपने देश में किया जा सकता है। स्वदेशी में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। यह परिवार के लिए स्वयं का, गांव के लिए परिवार का, देश के लिए गांव का और मानवता के लिए देश के बलिदान का दायित्व सुनिश्चित करता है।

9. निर्भीकता

सत्य या प्रेम के सिद्धांत का पालन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक व्यक्ति निर्भय न हो। जब देश में भय का माहौल हो, तो निर्भीकता के सृजन पर मनन किया जाना होगा। इसलिए एक अलग सिद्धांत के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। सत्य के अन्वेषी को अपने माता-पिता, जाति, सरकार और डाक्युओं का भय छोड़ देना होगा। उसे निर्धनता या मृत्यु से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं।

10. अस्पृश्यता निवारण

हिंदू धर्म में गहरी जड़ें जमा चुकी छुआछूत की भावना अपने आप में अधारिक है। इसलिए इसके निवारण को एक अलग सिद्धांत का रूप दिया गया है। आश्रम में तथाकथित अस्पृश्यों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार हासिल हैं। आश्रम जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। उसका मानना है कि इसके कारण तथा उच्च और निम्न वर्ग के दर्जे के कारण हिंदू धर्म को भारी नुकसान हुआ है। अस्पृश्यता की भावना प्रेम के सिद्धांत के भी प्रतिकूल है। हालांकि आश्रम वर्णाश्रम धर्म में विश्वास रखता है। वर्ण विभाजन पेशे के आधार पर किया गया है। इसलिए एक व्यक्ति अपना परंपरागत पेशा अपनाता है तथा अपना खाली समय और ऊर्जा सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और उसे किया गया है। चूंकि आश्रम का आगे बढ़ाने में लगता है। स्मृति में वर्णित आश्रम व्यवस्था मानव मात्र के कल्याण के लिए सुनिश्चित की गई थी। चूंकि आश्रम का जीवन भगवद् गीता में वर्णित अनौपचारिक संन्यास के अनुरूप निर्धारित किया गया है। इसलिए यहां विभिन्न वर्णों में किसी भेदभाव के लिए स्थान नहीं है और आश्रम वर्णाश्रम धर्म में विश्वास रखता है।

11. सहनशीलता

आश्रम का विश्वास है कि विश्व के सभी प्रमुख धर्म एकमात्र सत्य का ही उद्धारण करते हैं। लेकिन चूंकि इन धर्मों की रूपरेखा मनुष्य ने बनाई है, इसलिए इनमें अपूर्णता आ गई है और असत्य से इनका सम्मिश्रण हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विश्व के अन्य धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखना चाहिए, जैसा कि वो अपने धर्म के प्रति रखता है। जहां पर यह सहनशीलता जीवन जीने का एक नियम बन जाती है, वहां विभिन्न धर्मों के बीच किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो सकता। हम केवल यह क्रिया कर सकते हैं कि विभिन्न धर्मों में आ गई विसंगतियां दूर हो जाएं और वे सभी धर्म एक दूसरे के साथ चलते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर हों।

मेरा जीवन ही मेरा संदेश है

बाई पी आनंद

दक्षिण अफ्रीका में अपने 21 वर्ष के प्रवास के दौरान गांधी जी एक संचारक के रूप में उभे जहां उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ भारतीयों के सभी वर्गों का नेतृत्व किया। यहां उन्होंने अपने आधारभूत मूल्यों - सत्य और अहिंसा के महत्व को समझा। यहां पर उन्होंने अहिंसात्मक जन प्रतिरोध, सत्याग्रह की घोषणा की, जिसका उपयोग उन्होंने सभी प्रकार के संघर्षों में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किया (1906)...

डॉ.

एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, "गांधी जी सबसे पहले एक महान संचारक थे। किसी और की तुलना में, उन्होंने यह महसूस किया कि भाषण जनपत को आकार देने और लोकप्रिय समर्थन जुटाने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है।" उन्होंने लाखों भारतीयों के साथ संवाद करने और उनकी सहज प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए सामान्य और असाधारण दोनों साधनों का इस्तेमाल किया। वे लोगों के सभी वर्गों और श्रेणियों तक पहुंच बना सकते थे। उन्होंने मौखिक और गैर-मौखिक, लिखित, संवेदी और अतिरिक्त-संवेदी, सभी तरह के साधनों का इस्तेमाल किया और भारतीय जनता के दिलों और आत्माओं तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की।

गांधी जी सार्वजनिक जीवन में अपनी व्यापक भूमिकाओं, जैसे आजीवन एक विद्यार्थी और एक शिक्षक, आदर्श अधिवक्ता, बेजोड़



नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन को संबोधित करते हुए (मार्च, 1947)



आंल डिंडिया रेडियो के नड़ टिल्ली कंट्रो के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में गांधी जी,
12 नवंबर 1947 को वे पहली और अंतिम बार वहाँ गए थे।

पत्रकार और लंबक, औपनिवेशिक शासन में भारत की आजादी और सभी प्रकार के अन्याय के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करते हुए सार्वभौम आदर्श आचार संहिता और नैतिक व्यवहार के आदर्श पालनकर्ता, और अहिंसक क्रांतिकारी के रूप में भी एक बेंजोड़ वक्ता के रूप में उभरे थे। वे कई बार किसी बीमार के लिए आदर्श 'नर्स' और यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी थे।

दक्षिण अफ्रीका में 21 साल के प्रवास के दौरान वे एक सशक्त वक्ता के रूप में उभरे, जहाँ उन्होंने नम्नीय भेदभाव के खिलाफ भारतीयों के सभी बर्गों का नेतृत्व किया। वहाँ उन्होंने (1906 में) मत्य और अहिंसा के अपने मौलिक नीतिशास्त्र को मूर्त रूप दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ाई और सभी संघर्षों के समाधान के लिए अहिंसात्मक नागरिक प्रतिरोध, मत्याग्रह और स्वेच्छा से कागवास की अपनी विचारधारा स्पष्ट की। उसके साथ ही, उन्होंने अपना जीवन जन सेवा के प्रति समर्पित करने का एक प्रवृद्ध निर्णय लिया; जिसे पृथक करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (त्याग या स्वैच्छिक गरीबी) का संकल्प लिया।

दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी ने 1903 में भारतीय समुदाय के लिए अपना पहला मापदाहिक समाचार पत्र, इंडियन ऑपनिवेशन शुरू किया। जोन रस्किन की पुस्तक, 'अन्त दिस लास्ट' में प्रेरित होकर, उन्होंने अपना पहला आश्रम, फॉनिक्स मंटलमेंट (1904) स्थापित किया, जहाँ वे एक बर्गीन समुदाय के सदस्य के रूप में रहते थे। 1908 में, उन्होंने स्वर्देश (मर्मी का कल्याण) शीर्षक के तहत लंबों की एक श्रृंखला में गम्भीर की पुस्तक को सार रूप में प्रस्तुत किया। 1909 में, लंदन में डरबन की यात्रा के दौरान, गांधी जी ने अपने मैडोरिक ग्रंथ 'हिंद स्वराज' की रचना की, जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्र और अहिंसक भारतीय गढ़ के बारे में अपने बुनियादी दृष्टिकोण को उजागर किया। 1909-10 के दौरान, उनके और लियो टॉलस्टोय के बीच ऐतिहासिक पत्राचार हुआ। 1910 में, उन्होंने सत्याग्रही परिवारों के लिए अपना दूसरा आश्रम, टॉलस्टोय फार्म स्थापित किया। आश्रमवासियों के साथ उनके गहन लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने आश्रम के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की: "मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपने साथ रहने वाले बालक और बालिकाओं के लिए एक स्थायी प्रेरणादायी उदाहरण

बनना चाहिए। इस प्रकार वे मेरे शिक्षक बन गए - टॉलस्टोय फार्म में मैंने अपने ऊपर जो अनुशासन और संयम लागू किया, वह ज्यादातर उन्हों बच्चों के कारण था।" [सोडब्ल्यूएमजी 39:271]

गांधी जी के भारत लौटने (1915) के बाद, उन्हें स्वतंत्रता के लिए भारत के सोडब्ल्यू, एमजीसंघर्ष और एक समतावादी, सामंजस्यपूर्ण और न्यायपरक सामाजिक व्यवस्था में राष्ट्र के रूपांतरण के लिए स्वाभाविक राजनेता समझा गया। उन्हें आमतौर पर महात्मा गांधी के रूप में संबोधित किया गया और अंततः राष्ट्रपिता कहा गया।

गांधी जी की जीवनशैली के विकल्पों, जैसे उनकी पोशाक, भोजन, पदयात्राएं और देश भर की यात्राएं तथा व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में पूरी पारदर्शिता जैसी विशेषताओं ने भी, उनके राष्ट्रीय जन संचारक बनने में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, मदुरई की यात्रा (1921) के दौरान, जब उन्होंने अधिकांश मजदूरों और किसानों को केवल एक तैलिया आकार का कपड़ा पहने देखा, तो उन्होंने भारत के गरीबों के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी खुद की पोशाक को और कम करने का फैसला किया।

गांधी जी के वार्तालाप के तरीके और सार्वजनिक भाषण, उनके साथ चलने वाले लोगों और उनके विनोदी स्वभाव, आदि से एक गहरा संदेश मिलता है, कि वे एक सर्व सुलभ आदर्श व्यक्ति थे। इस तरह के सभी प्रतीकवाद सत्य, न्याय और सामाजिक भलाई के उनके अथव प्रयासों के हिस्से के रूप में विकसित हुए और इस तरह से जन-जागरूकता का माध्यम बने।

भारत में, वे शुरू में चंपारण और बारदोली में किसानों और अहमदाबाद में औद्योगिक मजदूरों के शोषण के खिलाफ स्थानीय सत्याग्रह में शामिल हुए। परन्तु, जल्द ही उन्होंने रोलेट विल (1919) के खिलाफ अखिल भारतीय सत्याग्रह और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन (1920-22) का नेतृत्व किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और द ग्रेट ट्रायल (1922) के बाद, उन्होंने छह साल की कैद की सजा (हालांकि 1924 में रिहा) को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। तब से लेकर 1947 में भारत की आजादी तक, वे स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद नेता थे। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों का भी नेतृत्व किया, जिनमें सांप्रदायिक सद्भाव, अस्पृश्यता निवारण, महिलाओं का सशक्तीकरण, ग्रामीण गरीबी और पिछड़ापन दूर करने और सभी के लिए बुनियादी शिक्षा के लिए आंदोलन शामिल थे। अधिजात वर्ग के साथ-साथ गरीब, अनपढ़, महिलाएं, सभी जातियां और पंथों के लोग, महजता से उनके शब्दों और नेतृत्व का पालन करते थे।

गांधी जी के लिए, "व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व सभी देते हैं" [सोडब्ल्यूएमजी 25: 252], परन्तु, वह भी कि, "व्यक्ति का कल्याण, सभी की भलाई में निहित है" [सोडब्ल्यूएमजी 39: 239]। उनके शब्द और विचार आसानी से लोगों के दिलों-दिमाग तक पहुंचते थे। उन्होंने स्वराज, स्वदेशी और सर्वोदय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें समकालीन सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों के साथ जोड़ा। स्वराज की उनकी अवधारणा में 'स्व-शासन' के अधिकार और 'स्व-शासन' के कर्तव्य, दोनों शामिल थे। 'स्वतंत्रता' की उनकी अवधारणा में न केवल राजनीतिक, विल्क सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता भी शामिल थी। उनके लिए जीवन का अर्थ था सत्य के साथ निरंतर प्रयोग, और हर किसी को अपने 'सापेक्षिक' सत्य का अधिकार था; इसलिए, सभी संघर्षों का समाधान बातचीत द्वारा और

कथित बुराई या अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध के माध्यम से किया जाना चाहिए।

गांधी जो एक श्रेष्ठ लेखक थे, जिनका लेखन सारांगित, सरल, स्पष्ट, अर्थपूर्ण और सहज समझ आने वाला था। उन्होंने लिखा क्योंकि: “यह मुझे अपने आप में ज्ञाकर्ता और अपनी कमज़ोरियों को खोज करने में सक्षम बनाता है।” [सीडब्ल्यूएमजी 27:322] डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने उन्हें “शायद अब तक का सबसे महान पत्रकार” माना। वे लंदन में एक छात्र थे जब उन्होंने द वेजिटरियन में लेख लिखना शुरू किया। 1903 के बाद से उन्होंने (गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी में) नियमित रूप से लिखा और साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया-दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन और भारत में नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। उन्होंने जोर देकर कहा, “पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए।” [सीडब्ल्यूएमजी 39:229] इसके अलावा, “किसी अखबार के लक्ष्यों में पहला लक्ष्य यह है कि वह जन भावनाओं को समझे और उन्हें उजागर करे; दूसरा लोगों में कुछ वांछनीय भावनाएं जगाना; और तीसरा लक्ष्य है निःडर होकर समाज की बुराइयों को उजागर करना।” [सीडब्ल्यूएमजी 10:8]

‘द कलेक्टरेट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी’ में 100 खंड (प्रत्येक लगभग 500 पृ.) शामिल हैं। ये खंड मानवीय सरोकार के लगभग हर विषय पर ज्ञान और बुद्धिमता के सबसे अधिक मांग वाले स्रोतों में से एक हैं। गांधी जी ने खास और नानाविध लोगों के साथ पत्राचार किया, जिससे वे अपने मित्रों और अनुयायियों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापक हलकों तक पहुंचे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में ‘हिंद स्वराज’, ‘एन ऑटोबायोग्राफी’, या ‘माई एक्सपरिमेंट्स विद ट्रूथ’, ‘सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका’, ‘द की टू हेल्थ’ और भगवद्गीता पर उनकी बेजोड़ रचना ‘वर्कर्स ऑन द भगवद्गीता’ शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों और आश्रम प्रतिज्ञाओं के रूप में अनेक पुस्तिकाएं भी लिखीं।

उल्लेखनीय है कि उनके समय में मास मीडिया का दायरा बहुत सीमित था और सार्वजनिक गतिशीलता के साधन बहुत कम थे तथा व्यापक निरक्षरता थी। परन्तु, निस्वार्थ सेवा के लिए उनकी पूर्ण प्रतिवद्धता लोगों को उनके विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति आकर्षित करती थी। उनके अनुसार, “वह शिक्षा सच्ची नहीं हो सकती जो चरित्र का निर्माण न करती हो और वह धर्म सच्चा धर्म नहीं है जो चरित्र का निर्धारण न करता हो। शिक्षा में पूरे जीवन का चिन्तन होना चाहिए।” [सीडब्ल्यूएमजी 37:320]

उन्होंने निर्धन, कमज़ोर, शोषित और ज़रूरतमंदों के कष्ट सहज रूप से महसूस किए और उनके बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे हमेशा एक अथक वक्ता थे, जो किसी भी प्रकार के ढोंग या हठधर्मिता से रहते थे, उनका कहना था: “सत्य की खोज में मैंने कई चीजों को ल्याग दिया है और कई नई चीजें सीखी हैं”, और उन्होंने कभी अपने “आंतरिक विकास को नहीं छोड़ा।” [सीडब्ल्यूएमजी 55:61]

प्रार्थना, मौन और उपवास जैसे सरल साधनों के उनके बेजोड़ उपयोग ने भी उनके संदेशों के प्रचार के लिए सक्रिय जन जागरूकता को स्थिति पैदा की और सभी वर्गों के लोगों ने ईमानदारी से उनका पालन करने की कोशिश की। गांधी जी के अनुसार, “जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना आवश्यक है।” [सीडब्ल्यूएमजी 35:361] और, “सत्य प्राप्ति के बाद एक साधक को मौन हो जाता है। मैं मौन की अद्भुत प्रभावकारिता जानता हूं।” [सीडब्ल्यूएमजी 27:437] प्रत्येक सोमवार को उनका मौन रहना भी स्वयं अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। उनके अनुसार, “एकमात्र भाषा जिसे वे [जनता] समझते हैं, वह हृदय की भाषा है, और उपवास जब यह पूरी तरह से निःस्वार्थ है, तो हृदय की भाषा है।” [सीडब्ल्यूएमजी 58:171]

उनका रचनात्मक कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर संप्रेषण का एक अनुकरणीय साधन बन गया। वे आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के सार्वभौम उपकरण-‘स्वदेशी भावना’ के रूप में खादी और चरखे के अपने एजेंडे को लोकप्रिय बनाने में सफल रहे। खादी को अपनाने और उसके लिए कताई के दैनिक कार्यक्रम ने इसे आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक बड़ा प्रतीक बनाया। उनकी ‘खादी मानसिकता’ ने बुनियादी आवश्यकताओं के उत्पादन और वितरण के विकेंद्रीकरण का प्रचार किया और जनता के लिए आजीविका प्रदान की। इससे पता चलता है कि सार्वभौम वक्ता के रूप में गांधी जी में एक गहन पर्यवेक्षक और विचारक के गुण थे। उनके ‘गांधी टोपी’ को लोकप्रिय बनाने के प्रयास इसका परस्पर संबद्ध उदाहरण हैं।

गांधी जी के कथनों और कर्मों ने स्वयं सत्य का अनुपालन करते हुए, न केवल अपने अनुयायियों बल्कि अपने विरोधियों के बीच भी विश्वास पैदा किया। उनके आश्रम स्वतंत्रता और समाज सेवा के लिए समर्पित निःस्वार्थ स्वयंसेवकों के उद्भव के केंद्र बन गए। वे एक समग्र नेता थे; कई जानी-मानी हस्तियों और बुद्धिजीवियों को भी उनके आदर्शवादी और बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रेरणा मिली। वे एक परम योजनाकार और आयोजक थे, जैसा कि नमक सत्याग्रह के उनके आंदोलन से पता चलता है, जिसने प्रारंभ से लेकर पूरे राष्ट्र को ‘अधिकार और ताकत के बीच लड़ाई’ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था [सीडब्ल्यूएमजी 43:180], और जो भारत के पूर्ण स्वराज की प्राप्ति तक विभिन्न आंदोलनों में विकसित होता गया।

इस प्रकार, गांधी जी उच्च और निम्न, अमीर और गरीब, मित्र और शत्रु सभी तक पहुंच सकते थे। वे मानव इतिहास में सबसे प्रभावी वक्ता रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, “मेरा जीवन अविभाज्य है, और मेरी सारी गतिविधियां का - उत्थान मानव जाति के मेरे अनुल्य प्रेम में होता है।” [सीडब्ल्यूएमजी 57:20] उन्होंने यह भी कहा कि, “मेरा जीवन एक खुली किताब है। मेरे पास कभी कोई रहस्य नहीं है, इसलिए आप मुझसे अपनी इच्छा के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं।” [सीडब्ल्यूएमजी 70:82] उनका जीवन ही उनका संदेश बन गया।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के 75 वें जन्मदिन (1944) पर कहा था: “उनके लोगों का एक नेता, किसी भी बाहरी ताकत द्वारा असमर्थित; - ज्ञान और विनम्रता का एक व्यक्ति - जिसने अपनी सारी शक्ति अपने लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दी है। आने वाली पीढ़ियां, शायद ही विश्वास करें कि हाड़ और मांस से बना ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (2007 में) से भी यह सिद्ध होता है कि बेजोड़ वक्ता के रूप में महात्मा गांधी का करिश्मा निःंतर कायम है। □

संदर्भ

- कुसुम लता चड़ा, गांधी - द मास कम्यूनिकेटर, नई दिल्ली: करिंज पब्लिशर्स, 2010
- डॉ. पीरज काकड़िया, महात्मा - ए ग्रेट कम्यूनिकेटर, अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 2016

अंधकार भरे आकाश में विशुद्ध आध्यात्मिक प्रकाश

महात्मा गांधी ने ज्ञान और विवेक सतत अध्ययन और जीवन के तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद के जरिये हासिल किया था। इनमें से एक शख्स फ्रांस के थे। नोबेल पुरस्कार विजेता रोलां भी शांति और अहिंसा के विचारों से प्रेरित थे और फासीवाद के खिलाफ संघर्ष और विश्व में शांति स्थापित करने को लेकर काफी सक्रिय थे।

गांधी जी के साथ रोलां के पत्र व्यवहार के अलावा भी उन्होंने गांधी जी को लेकर काफी कुछ लिखा। इनमें रोलां की डायरी में गांधी जी के बारे में व्यक्त विचार भी शामिल हैं। इससे गांधी जी के प्रति उनके मन में अटूट प्यार और सम्मान के भाव के बारे में पता चलता है। ऐसे दौर में जब पूरे यूरोप में हिंसा का माहौल था, वहां गांधी जी के अहिंसा धर्म को समझने की संभावना काफी कम था। उस समय रोलां पश्चिमी देशों में गांधी जी के विचारों को फैलाने का प्रयास करने वाले शुरुआती शख्स थे। प्रकाशन विभाग ने 'रोमां रोलां एंड गांधी जी कॉर्स्पॉन्डेंस' नाम से किताब प्रकाशित की है। इसमें दोनों के बीच आदान-प्रदान की गई चिट्ठियाँ, डायरी लेखन और महात्मा गांधी जी के बारे में रोलां द्वारा लिखे गए अन्य लेखों का संग्रह है।



इस किताब की पृष्ठ संख्या 141 का उद्धरण यहां पेश किया गया है:

गांधी जी के जन्मदिन पर रोमां रोलां का संदेश

गांधी न सिर्फ हमारे लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों के नायक और दिशा-निर्देशक हैं, बल्कि वह हमारे इस अंधकारमय दौर में विशुद्ध आध्यात्मिक प्रकाश हैं। हमारी सभ्यता की कश्ती ढूबने के कगार पर है और इसमें वह हमें रास्ता दिखाने वाले नायक हैं— एकमात्र यही रास्ता बचा है जो मोक्ष की तरफ जाता है। यह रास्ता/तरीका हमारे अंदर मौजूद है। यह सर्वोच्च ऊर्जा है, नायकत्व की अस्वीकार्यता की ऊर्जा। यह एक स्वाभाविती आत्मा का अन्याय और हिंसा के खिलाफ विरोध है। यह भावना की क्रांति है। यह क्रांति नस्ल, देश और धर्म के बीच कटुता नहीं बढ़ाती है; बल्कि इन तमाम चीजों को एकजुट करती है। यह हर शख्स की आत्मा को गहनतम स्तर पर जाकर जगाती है, जिससे मानवीय तुच्छताओं से ऊपर उठने का रास्ता साफ होता है। यह क्रांति ईसाइयों को यह याद दिलाती है कि ईसाई कैसे बना जाए (अपवाद मामलों को छोड़ दिया जाए तो वे अब ऐसे नहीं हैं); यह 'स्वतंत्र आत्माओं' को याद दिलाती है कि स्वतंत्र कैसे रहा जाए (ऐसा सिर्फ अब उनके खोखले भाषणों में रह गया है); यह सभी पुरुषों को यह याद दिलाती है कि एक-दूसरे का बराबर सम्मान कैसे किया जाए।

आर रिनॉल्ड्स द्वारा गांधी जी की जयंती पर प्रकाशन के लिए यह सामग्री भेजी गई। □

सत्याग्रही के लिए अपेक्षित पात्रता

1. उसे ईश्वर में अविचल आस्था होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही उसका एकमात्र संबल है।
2. सत्य और अहिंसा में उसका विश्वास उसकी धार्मिक आस्था की तरह सुदृढ़ होना चाहिए। मानव प्रकृति को उस सहज अच्छाई में उसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जिस वह बार बार पीड़ा और यातना सह कर भी व्यक्त होने वाले अपने सत्य और प्रेम के द्वारा जगाना चाहता है।
3. उसे एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपना जीवन और सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर होना चाहिए।
4. उसे खादी बुनने वाला और खादी वस्त्र पहनने वाला होना चाहिए। यह स्वतंत्र भारत के लिए अनिवार्य है।
5. उसे व्यसन मुक्त होना चाहिए और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के सेवन से अलग रहना चाहिए ताकि उसका मस्तिष्क हमेशा स्थिर और तर्क स्पष्ट हो सकें।
6. उसे स्वेच्छा से समय समय पर लागू होने वाले अनुशासन के सभी नियमों का पालन करना चाहिए।
7. उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिए, जब तक कि वे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से लागू न किए गए हों।
8. इन पात्रताओं को थोपा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। ये आचरण में उतारने के लिए हैं।

— महात्मा गांधी (25-3-1939)

स्वयंसेवकों का संकल्प : अहमदाबाद कांग्रेस

ईश्वर को साक्षी रख कर मैं संकल्प लेता हूँ कि :

1. मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर का एक सदस्य बनना चाहता हूँ।
2. जब तक मैं इस कोर का सदस्य रहूँगा, मैं शब्द और कर्म से अहिंसक रहूँगा और प्रयोजन में भी अहिंसक बने रहने का यत्नपूर्वक प्रयास करूँगा। क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारत की मौजूदा परिस्थितियों में अहिंसा ही खिलाफत और पंजाब में मदद कर सकती है और इसी के माध्यम से स्वराज तथा सभी धर्मों और समुदायों में एकता प्राप्त हो सकती है, चाहे वह हिंदू हों या मुसलमान, या सिख, पारसी, ईसाई या यहूदी।
3. मैं एकता में विश्वास रखता हूँ और हमेशा इसे बढ़ावा देने का प्रयास करूँगा।
4. मैं स्वदेशी को भारत की आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य मानता हूँ। मैं हमेशा हाथ से कते और बुने खद्दर का इस्तेमाल करूँगा और अन्य सभी प्रकार के वस्त्रों का त्याग करूँगा।
5. एक हिंदू के रूप में मेरा विश्वास न्याय और अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने में है। मैं हरसंभव मौकों पर समाज के वर्चित वर्गों से व्यक्तिगत संपर्क रखने और उनकी सेवा का प्रयास करूँगा।
6. मैं, स्वयंसेवक बोर्ड या कार्य समिति या कांग्रेस द्वारा स्थापित किसी अन्य एजेंसी द्वारा निर्धारित, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुदेशों और उन सभी नियमों का पालन करूँगा, जो इस संकल्प की मूल आत्मा से अलग न हों।
7. मैं, अपने धर्म और अपने देश की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के कारावास, हमले या मृत्यु तक का वरण करने को तैयार हूँ।
8. मुझे कारावास की सजा होने की स्थिति में मैं कांग्रेस से अपने परिवार या अपने आश्रितों के लिए किसी प्रकार के सहयोग समर्थन का दावा नहीं करूँगा।

— संपूर्ण गांधी वाढ़मय, खंड-22, 1966

SUNDAY'S HARTAL.

ITS RELIGIOUS SPIRIT.

Brothers and Sisters,

To declare a *Hartal* is no small matter. It requires strong reasons to support it. Let us therefore examine the justification for it. The citizens of Bombay are impatient to give some outward evidence of their deep affection for Mr. Horniman. They can provide it in a striking manner by means of *Hartal*. Everybody's feelings will be tested thereby. Moreover, *Hartal* is an ancient Indian institution for expressing national sorrow and we can therefore demonstrate through *Hartal* our grief over the deportation and *Hartal* is the best method of marking our strong disapproval of the action of the Government. It is a means, more powerful than monster meetings of expressing national opinion. Thus we serve three purposes by *Hartal* and all of them are so great that we do not expose ourselves to the charge of exaggeration in declaring *Hartal*.

This much is clear that none of the purposes above named will be served if suspension of business is brought about through fear of public opprobrium or physical pressure. If suspension were to be brought about by terrorism and if Mr. Horniman came to know it, he could not but be displeased and grieved by the knowledge, and such artificial *Hartal* would fail to produce any effect upon the Government. *Hartal* forcibly brought about cannot be considered Satyagrahi *Hartal*. In any thing Satyagrahi there should be purity of motive, means and end. I therefore hope that no man or woman who is unwilling to suspend business will in any way be interfered with, but that he or she will be guaranteed protection from any harm whatsoever. I would far rather wish that people did not suspend business on Sunday in the city of Bombay and that the organisers were exposed to ridicule than that force was used upon a single person in order to make him suspend business. In order to avoid all risk of commotion in Bombay on Sunday, the idea of holding public meetings has been discontinued and all have been advised to remain indoors. As all Satyagraha activity should be guided by the religious spirit, I have suggested that we should fast for twenty-four hours and devote the day to religious contemplation, and it is to be hoped that all the members of families including children and servants will take part in the religious observance. Hindus may have Bhagwadgita read to them. It takes four hours to read through it with clear pronunciation and other Hindu religious books might be read in addition or in place of it. The Mahomedans and others may have their own scriptures read to them. It will be a proper way of spending the day to read the stories of great Satyagrahis such as Prabhat, Harischandra, Mirabai, Imams Hasan and Hossein, Socrates and others. It will be opportune also to explain to family gatherings Mr. Horniman's title to our affection. The chief thing to be remembered is that we may not trifle away next Sunday in playing cards, Chaspas, gambling or in sheer laziness, but that it should be so spent as to make us better men and women for national service. Better placed and well-to-do families will, I hope, invite such of their neighbours as may be poor, solitary or ignorant, to participate in the religious devotion. A brotherly spirit is cultivated not by words but only by deeds.

Mr. Motilal Dabhyabhai Zaveri of Kalbadevi Board has just dropped in and informed me that before the news of the declaration of *Hartal* next Sunday, he had issued invitations for a wedding party on that day. He also said there were many such parties to be given on the same day. Mr. Motilal was most anxious that he and his friends should take part in the observance. I venture to advise that so far as the religious part of the wedding ceremonial was concerned, it should be gone through without disturbance, but that dinner parties and other rejoicings might be postponed to Monday. His patriotic affection for Mr. Horniman was such that he immediately accepted the advice and I tender it for the acceptance of those who may be similarly situated.

M. K. GANDHI

8th May, 1919.


महात्मा गांधी के अखबार उनके विचारों की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम बन गए थे। उन्होंने सभी विषयों पर विलकूल सरल और स्पष्ट, लेकिन आवेग और ज्वलतं रोप के साथ काफी सशक्त लिखा। उनका कहना था कि समाचार पत्र के उद्देश्यों में एक है कि वह जनमानस की अनुभूतियों को समझे और उसे अभिव्यक्ति दे, दूसरा उद्देश्य है - लोगों में अपेक्षित भावना का संचार करे और तीसरा उद्देश्य है - त्रुटियों और खामियों को निर्भीकता से सामने लाए।

गांधी जी के समाचार पत्रों में कोई भी विज्ञापन नहीं होते थे। उनके प्रसार का दायरा काफी व्यापक था। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह महत्वाकांक्षाओं से मुक्त था। उनके लिए यह आजीविका अर्जित करने का साधन नहीं था बल्कि यह जनसेवा का माध्यम था। 2 जुलाई 1925 के 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा, "मैंने पत्रकारिता को केवल पत्रकारिता के लिए नहीं अपनाया, बल्कि इसे अपने जीवन का मिशन प्राप्त करने में सहयोगी साधन के रूप में अपनाया है। मेरा मिशन है, अहिंसा के प्रत्यक्ष परिणाम सत्याग्रह के अमोघ अस्त्र को कड़े नियंत्रण के तहत इस्तेमाल करना और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी बात समझाना"।

जन ज
प्रेरण

Young India

Edited by M. K. Gandhi



गांधी जी पत्रकारिता को लोगों की सेवा का साधन मानते थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है "पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सेवा होना चाहिए। समाचारपत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है, लोकेन जैसे अनियंत्रित जल प्रवाह पूरे क्षेत्र को डुबो देता है और फसलों की बरबादी का कारण बनता है, ठीक उसी तरह अनियंत्रित कलम सेवा नहीं करती बल्कि विध्वंस करती है। यदि यह नियंत्रण बाहर से हो, तो यह नियंत्रण के अभाव से कहीं अधिक जहरीला साबित होता है। यदि

न के स्रोत

इसे सही पत्रकारिता की वास्तविक कसौटी माना जाए, तो विश्व के कितने अखबार इस कसौटी पर खरे उतरेंगे? और निर्णायिक किसे होना चाहिए? समाज में उपयोगी और अनुपयोगी, भलाई और बुराई की तरह साथ साथ चलते रहेंगे और मनुष्य को इनके बीच से चयन करना होगा।

प्रोफेसर वी एस गुप्ता के आलेख "महात्मा गांधी और जनसंचार" से उद्धृत अंश।

ନବଲ୍ଲବୀନ.

卷之三

महाराष्ट्र विदेश
महाराष्ट्र विदेश
महाराष्ट्र विदेश
महाराष्ट्र विदेश

५३१२ अंक

हिन्दी नवजीवन

प्रश्नाद—मोहनदास वरणम् मात्री

卷之三

प्राप्तिकार, विद्युत् शुद्धि ५, लेन्स १५०
मिली, ३० वर्षों, १२०० रु.

ପ୍ରକାଶନ-ବ୍ୟାପକ କୌଣସି
ବିଦ୍ୟା, କାନ୍ତିକା

गिरफ्तारियाँ और जंगली न्याय

जी यहाँ है जिस दुर्लभता में आपकी रक्षा है। दुर्लभता के गंभीर समय तक है जिस दृष्टि द्वारा है जो आपकी जीवन की अवधि के अंत तक बहुत अचूक रूप से बदल देती है। अब यह जीवन की अवधि के अंत तक बहुत अचूक रूप से बदल देती है। यह दृष्टि द्वारा आपकी जीवन की अवधि की अवधि बदल दी जाती है। यह दृष्टि द्वारा आपकी जीवन की अवधि की अवधि बदल दी जाती है।

इसका अर्थ है कि वह जगत्-जीवों की जीवन की इच्छाएँ वह जारी रही हैं, वह निषेध

गांव में, बरसातीमास में, खेतों पर, कलह-बाला विद्युत के ऊपर से उड़ता है। विद्युत का नाम यह है कि काश भवता रहता है। इसके साथ यही देखता है कि विद्युत का नाम यही भी है। ऐसा विद्युत जब आएगा। विद्युत भवता भवता विद्युत यह यह है कि विद्युत विद्युत है। विद्युत ने अपने विद्युत द्वारा यह भवता विद्युत है, जो यह विद्युत ही भवता रहता है।

नवजीवन (11 सितंबर, 1919) और दंग इंडिया (8 अक्टूबर, 1919) का पहला अंक तथा सत्याग्रह का एक पृष्ठ जिसमें बोम्बे (अब मुंबई) में हड्डताल का आह्वान किया गया था (6 मई, 1919)


पुस्तक चर्चा

महात्मा गांधी- चित्रमय जीवन गाथा

गांधी जी को प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जनवरी, 1949 में महात्मा और उनके साथ उनके समकालीन महापुरुषों के दुलंभ और महत्वपूर्ण चित्रों की राजघाट पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। 1954 में ऐसे करीब 550 चित्रों को एक एलबम में संग्रहीत किया गया। इस महत्वपूर्ण एलबम का प्राक्कथन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा। एक तरह से यह एलबम गांधी जी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की चित्रमय गाथा है। चित्रों के साथ ही गांधी जी के जीवन और कार्यों को समेटती एक सारणी भूमिका भी पुस्तक में शामिल है। प्रकाशन विभाग ने ऐतिहासिक महत्व की इस पुस्तक का नई साज-सज्जा के साथ 'महात्मा गांधी: अ लाईफ थू लेसेज़' नाम से पुनः प्रकाशन किया।

इसके साथ ही, पहली बार इस राष्ट्रीय धरोहर जैसे महत्व की पुस्तक का हिंदी में प्रकाशन किया गया है। 'महात्मा गांधी-चित्रमय जीवन गाथा' शीर्षक वाली यह पुस्तक सुन्दर और शालीन साज-सज्जा के साथ प्रकाशित की गई है। प्रकाशन विभाग की ओर से राष्ट्रीय धरोहर को संजोए रखने का यह विनम्र प्रयास है।

प्रथम संस्करण: 2019, मूल्य 2360 रु., आईएसबीएन: 978-81-230-3092-0, पीडीबीएन: GLI-HIN-OP-039-2019-20



सत्याग्रह गीता एवं उत्तर सत्याग्रह गीता

'सत्याग्रह गीता' के माध्यम से लेखिका पटिता क्षमा देवी राव ने गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को नए युग की गीता के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवद्गीता के समान ही इस गीता में भी 18 अध्याय हैं। मूल संस्कृत पुस्तक 1932 में पेरिस में छपी। इन 18 अध्यायों के जरिए देश में हो रही उथल-पुथल, नमक सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और दांडी यात्रा तक गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है।

'उत्तर सत्याग्रह गीता' इसी गाथा की अगली कड़ी है जिसमें लेखिका ने गांधी जी की सन् 1930 से सन् 1944 तक की जीवन-यात्रा को प्रस्तुत किया है। इसमें कुल 47 अध्याय हैं। 'उत्तर सत्याग्रह गीता' 1930 के दशक के गोलमेज सम्मेलनों से लेकर, 1942 के राष्ट्रव्यापी 'भारत छोड़ो आंदोलन' और कस्तूरबा गांधी के दुखद निधन तक के घटना-क्रम को प्रस्तुत करती हैं। गांधी जी की यह जीवन-गाथा एक तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महागाथा भी है जिसमें राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष प्रतिविवित होते हैं।

मूल संस्कृत के साथ इस ई-पुस्तक में पाठकों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भावानुवाद भी उपलब्ध कराया गया है। पटिता क्षमा देवी राव बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौर में संस्कृत की प्रतिष्ठित साहित्यकार थीं। उन्होंने अंग्रेजी तथा मराठी में अनेक रचनाएं की।

यह डिजिटल पुस्तक प्रकाशन विभाग की वेबसाइट publicationsdivision.nic.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

सत्याग्रह गीता

उत्तर सत्याग्रह गीता



कस्तूरी परिमल

लेखक: डॉ. विश्वास पाटील

कस्तूरबा, मोहन दास करमचन्द गांधी से महात्मा बनने तक की बापू के जीवनयात्रा के हर मोड़ पर उनकी सहधर्मिणी और सहयात्री बनी रहीं। कथा-रूप में प्रस्तुत कस्तूरबा की इस जीवनी में उनके व्यक्तिगत संघर्षों, गांधी जी के साथ उनके निरंतर संवाद और स्वयं को गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न भाग बना लेने की मार्मिक गाथा प्रस्तुत की गई है। पुस्तक में बड़े ही सुंदर तरीके से यह भी बताया गया है कि कस्तूरबा, बापू की मात्र अनुयायी नहीं थी बल्कि अपने चारित्र की दृढ़ता से उन्होंने बापू के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, विशेषकर महिलाओं को इस आंदोलन में आगे लाने तथा आश्रम-जीवन में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को कार्यरूप देने में वा की प्रेरक और निर्णायक भूमिका रही है। इस पुस्तक में बा की कहानी को चारों वेदों- ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद- के संदेश के साथ जोड़ते हुए 4 खंडों में बांटा गया है। ऋग्वेद का भाव है- गति, ज्ञान और प्रकाश। यजुर्वेद का भाव जोड़ना और समन्वय है। अथर्ववेद प्रेम और सरलता का संदेश देता है।

जबकि सामवेद जीवन में समता की भावना को बताता है। बा का जीवन इन्हीं महान आदर्शों के समरूप चित्रित किया गया है। कस्तूरबा का नाम ही, कस्तूरी के परिमल अर्थात् सुगंध से जुड़ा है। बा ने अपनी सरलता के साथ-साथ निश्चय और दृढ़ता से बापू के और राष्ट्र के जीवन को सुवासित किया। पुस्तक का सुंदर नाम इसी भावना का द्योतक है। पुस्तक के लेखक डॉ. विश्वास पाटील मराठी के मिद्दहस्त साहित्यकार हैं। पुस्तक का यह प्रेरक और मार्मिक हिंदी रूप भी उन्होंने स्वयं लिखा है।

कस्तूरी परिमल

विश्वास पाटील



प्रथम संस्करण-2019, मूल्य 210 रु., आईएसबीएन: 978-81-230-3173-6, पीडीबीएन: GLI-HIN-OP-073-2019-20 □


पुस्तक चर्चा

महात्मा गांधी- चित्रमय जीवन गाथा

गांधी जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जनवरी, 1949 में महात्मा और उनके साथ उनके समकालीन महापुरुषों के दुर्लभ और महत्वपूर्ण चित्रों की राजघाट पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। 1954 में ऐसे कर्णव 550 चित्रों को एक एलबम में संग्रहीत किया गया। इस महत्वपूर्ण एलबम का प्राककथन भारत के प्रथम गढ़पति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा। एक तरह से यह एलबम गांधी जी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की चित्रमय गाथा है। चित्रों के साथ ही गांधी जी के जीवन और कार्यों को समर्टी एक सारगार्भित भूमिका भी पुस्तक में शामिल है। प्रकाशन विभाग ने ऐतिहासिक महत्व की इस पुस्तक का नई साज-सज्जा के साथ 'महात्मा गांधी: अ लाईफ थ्रू लेसेज' नाम से पुनः प्रकाशन किया।

इसके साथ ही, पहली बार इस राष्ट्रीय धरोहर जैसे महत्व की पुस्तक का हिंदी में प्रकाशन किया गया है। 'महात्मा गांधी-चित्रमय जीवन गाथा' शीर्षक वाली यह पुस्तक मुन्दर और शालीन साज-सज्जा के साथ प्रकाशित की गई है। प्रकाशन विभाग की ओर से राष्ट्रीय धरोहर को संजोए रखने का यह विनम्र प्रयास है।

प्रथम संस्करण: 2019, मूल्य 2360 रु., आईएसबीएन: 978-81-230-3092-0, पीडीबीएन: GLI-HIN-OP-039-2019-20



सत्याग्रह गीता एवं उत्तर सत्याग्रह गीता

'सत्याग्रह गीता' के माध्यम से लेखिका पंडिता क्षमा देवी गव ने गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को नए युग की गीता के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवद्गीता के ममान ही इस गीता में भी 18 अध्याय हैं। मूल संस्कृत पुस्तक 1932 में पेरिस में छपी। इन 18 अध्यायों के जरिए देश में हो रही उथल-पुथल, नमक सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और दाढ़ी यात्रा तक गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है।

'उत्तर सत्याग्रह गीता' इसी गाथा की आगामी कड़ी है जिसमें लेखिका ने गांधी जी की मन् 1930 से सन् 1944 तक की जीवन-यात्रा को प्रस्तुत किया है। इसमें कुल 47 अध्याय हैं। 'उत्तर सत्याग्रह गीता' 1930 के दशक के गोलमेज सम्मेलनों से लेकर, 1942 के ग्राम्यापी 'भागत छाड़ा आंदोलन' और कस्तूरबा गांधी के दुखद निधन तक के घटना-क्रम को प्रस्तुत करती है। गांधी जी की यह जीवन-गाथा एक तरह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महागाथा भी है जिसमें राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष प्रतिबिंబित होते हैं।

मूल संस्कृत के साथ इस ई-पुस्तक में पाठकों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भावानुवाद भी उपलब्ध कराया गया है। पंडिता क्षमा देवी गव द्विसर्वी शताब्दी के पूर्वार्ध के दौर में संस्कृत की प्रतिष्ठित साहित्यकार थीं। उन्होंने अंग्रेजी तथा मराठी में अनेक रचनाएं की।

यह डिजिटल पुस्तक प्रकाशन विभाग की वेबसाइट publicationsdivision.nic.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

कस्तूरी परिमल

लेखक: डॉ. विश्वास पाटील

कस्तूरबा, मोहन दास करमचन्द गांधी से महात्मा बनने तक की बापू के जीवनयात्रा के हर मोड़ पर उनकी सहधारिणी और सहयोगी बनी रहीं। कथा-रूप में प्रस्तुत कस्तूरबा की इस जीवनी में उनके व्यक्तिगत संबंधों, गांधी जी के साथ उनके निरंतर संवाद और स्वयं को गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न भाग बना लेने की मार्मिक गाथा प्रस्तुत की गई है। पुस्तक में बड़े ही मुन्दर तरीके से यह भी बताया गया है कि कस्तूरबा, बापू की मात्र अनुयायी नहीं थी बल्कि अपने चरित्र की दृढ़ता से उन्होंने बापू के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, विशेषकर महिलाओं को इस आंदोलन में आगे लाने तथा आश्रम-जीवन में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को कार्यरूप देने में वा की प्रेरक और निर्णायक भूमिका रही है। इस पुस्तक में वा की कहानी को चारों वेदों-ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद- के संदेश के साथ जोड़ते हुए 4 खंडों में बांटा गया है। ऋग्वेद का भाव है- गति, ज्ञान और प्रकाश। यजुर्वेद का भाव जांड़ना और समन्वय है। अथर्ववेद प्रेम और सरलता का संदेश देता है जबकि सामवेद जीवन में समता की भावना को बताता है। वा का जीवन इन्हीं महान आदर्शों के समरूप चित्रित किया गया है। कस्तूरबा का नाम ही, कस्तूरी के परिमल अर्थात् मुगांध से जुड़ा है। वा ने अपनी सरलता के साथ-साथ निश्चय और दृढ़ता से बापू के और राष्ट्र के जीवन को सुवासित किया। पुस्तक का मुन्दर नाम इसी भावना का द्योतक है। पुस्तक के लेखक डॉ. विश्वास पाटील मराठी के सिद्धहस्त साहित्यकार हैं। पुस्तक का यह प्रेरक और मार्मिक हिंदी रूप भी उन्होंने स्वयं लिखा है।

प्रथम संस्करण-2019, मूल्य 210 रु., आईएसबीएन: 978-81-230-3173-6, पीडीबीएन: GLI-HIN-OP-073-2019-20 □

सत्याग्रह गीता
उत्तर सत्याग्रह गीता



कस्तूरी परिमल
विश्वास पाटील



जन शक्ति के ज़रिए बदलाव


पी ए नाज़रेथ

भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी ने जिस तरह के अहिंसक राष्ट्रीय संघर्ष की परिकल्पना की, उसकी रणनीति बनायी, उसका प्रबंधन और नेतृत्व किया तथा जिसमें करोड़ों लोगों ने निर्भय होकर भाग लिया वह बीसवीं सदी का सबसे बड़ा, सबसे आश्चर्यजनक 'जन अधिकार आंदोलन' था। इससे भारत को स्वतंत्रता ही नहीं मिली, बल्कि देश को नाममात्र की लोकतांत्रिक राजव्यवस्था वाले देश से सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित ऐसे लोकतंत्र में बदल दिया जिसमें वंश, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही थी। इससे खून की एक भी बूँद बहाए बिना भारत में सामंतवाद का अंत हो गया।

गां

धीजी को अक्सर 'अहिंसा के अग्रदूत', 'राष्ट्रपिता', 'संघर्ष समाधान के अहिंसक तौर-तरीकों के निर्माता', और 'शांति के अग्रदूत' के रूप में तो प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट आइकन यानी प्रबंधन के प्रतिमान के रूप में शायद ही कोई उन्हें देखता हो। मगर महारानी एलिजाबेथ प्रथम, विंस्टन चर्चिल और जनरल जॉर्ज फैटन की जीवनियों के जाने-माने लेखक एलेन एक्सेलरॉड ने एक बड़ी चर्चित पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है 'गांधी सीईओ : 14 प्रिसिपल्स टू गाइड एंड इन्सपायर मॉडर्न लीडर्स'। इसमें उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि "गांधी जी एक अच्छे और बेहद आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इसमें कोई सदेह नहीं है। लेकिन वह एक मैनेजर, एक एजीक्यूटिव और बदलाव (प्रबंधन) के लिए कार्य करने वाले अत्यंत व्यावहारिक नेता भी थे।"

एक्सेलरॉड की इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक में एक-एक करके 14 सिद्धांतों को बताया गया है। इनमें से वह सबसे अधिक महत्व 'मानवीय और जनोन्मुख दृष्टिकोण' (जो महात्मा गांधी के उस 'जंतर' पर आधारित है) और पारदर्शिता को देते हैं जिन्हें वे महात्मा गांधी के नैतिक कद और उनकी पूर्ण सफलता का कारण मानते हैं। एक्सेलरॉड सी.ई.ओ.ज. से आग्रह



जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में रेव डोक के आवास पर (1908)

करते हैं कि वे इन सिद्धांतों का उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान हमेशा करें और अपने नेतृत्व को खुली किताब रखें क्योंकि 'बंद किताब का कोई मतलब नहीं होता और उसका महत्व भी कम होता है।' एक्सेलरॉड ने सी.ई.ओ.ज. से रोल मॉडल बनने, अपने सिद्धांतों में निरंतरता बनाए रखने और साधन तथा साध्य को बराबर का महत्व देने को भी कहा।

वह गांधी जी की इस महान अंतर्दृष्टि की भी प्रशंसा करते हैं कि अत्याचारी सरकारें भी अपनी शक्ति शासितों की सहमति से ही प्राप्त करती हैं भले ही ऐसी सहमति स्वैच्छिक हो या बल पूर्वक हासिल की गयी हो। ऐसा कहकर वह इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि सी.ई.ओ.ज. को इस बात का अहसास होना चाहिए कि कोई भी कारोबार जोर-जबरदस्ती से नहीं चलाया जा सकता

लेखक विभिन्न देशों में भारत के गजदूत रह चुके हैं। फिलहाल वे भारतीय विद्या भवन, बैंगलुरु के गांधी सेंटर फॉर साइंस एंड ह्यूमन वैल्यूज के अध्यक्ष हैं।
ईमेल: panazareth@gmail.com

और उन्हें अपने कर्मचारियों/साझेदारों का सहयोग और विश्वास अर्जित करना चाहिए तथा असहमति का स्वागत करना चाहिए क्योंकि “अगर सभी एक तरह से सोचने लगें तो इसका मतलब यह होगा कि कोई भी सोच नहीं रहा है।”

गांधी जी ने कानून और अर्थशास्त्र या व्यावसायिक प्रबंधन की पढ़ाई की थी। एलेन एक्सेलरॉड उनकी जिस प्रबंधकीय अंतर्दृष्टि और कौशल की इतनी तारीफ कर रहे हैं वह उन्होंने कहाँ से प्राप्त की होगी। इसका उत्तर सत्य के प्रति गांधी की गहरी निष्ठा में निहित है। अपनी इसी अंतर्दृष्टि को वजह से गांधी हर मुद्दे पर, चाहे वह सत्य का मुहा ही क्यों न हो, पूरी वस्तुनिष्ठता और सुस्थापित तथ्यों के आधार पर विचार करते थे। यह बात गौर करने की है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग’ नाम दिया था। किसी अन्य स्थान पर उन्होंने यह भी लिखा है कि सत्य की खान में खोज के लिए आप जितना अंदर जाते हैं आपको वहाँ छिपे रत्नों के मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है।

गांधीजी के आर्थिक और प्रबंधन संबंधी विचार भारत की भीषण गरीबी से और भी सुदृढ़ हुए और ये उनकी नैतिक और सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित थे। उनके लिए किसी व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण को नुकसान पहुंचाने वाला आर्थिक सिद्धांत अनैतिक हैं इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह ऐसा अर्थशास्त्र भी अनैतिक और अस्वीकार्य है जो एक देश को दूसरे पर हमला बोलने की इजाजत दे और सभ्यता का सही अर्थ स्वार्थ पर आधारित आवश्यकताओं को बढ़ाते जाने में नहीं बल्कि उन्हें सोच-विचारकर स्वेच्छा से घटाने में है।

गांधी जी के आर्थिक और प्रबंधन संबंधी विचारों का सार उस ‘जंतर’ में निहित है जो उन्होंने भारतीय नेताओं को दिया: जब भी तुम्हें संदेह हो तो यह कसौटी आजमाओं-जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी (औरत) तुमने देखा हो उसकी शक्त याद करों और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा।

गांधी जी गांवों के स्तर से गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के कार्य को शुरू करना चाहते थे क्योंकि वह मानते थे

कि यहीं भारत के करोड़ों सबसे गरीब और बेजुबान लोग रहते हैं। इसके अलावा वे कोटि-कोटि जनता द्वारा उत्पादन चाहते थे न कि बड़े पैमाने पर उत्पादन ताकि लोगों की अंतर्निहित क्षमताओं, परम्परागत व्यवसायों और स्थानी रूप से उपलब्ध संसाधनों या उनके विकल्पों का उपयोग हो सके। अगर किसी वस्तु के उत्पादन में गांवों के मुकाबले अधिक निवेश की जरूरत हो तो उसे गांव के निकटम कस्बे में बनाया जाना चाहिए ताकि इसे बनाने वाले अपना गांव छोड़ बिना इनमें काम करने के लिए जा सकें। इससे कामगारों को अपने परिवार के साथ रहने, शहरों में

गांधी जी निर्धनतम लोगों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने इन लोगों के साथ काम करने, प्रार्थना करने और रहने पर जोर दिया और कपास और नमक जैसे ऐसे सरल मुद्दे उठाये जिन्हें ये लोग समझते थे। गांधी जी ने इन लोगों को प्रेरित करने, उत्साहित करने और उन्हें सशक्त बनाने में सफलता प्राप्त की जो प्रबंधन का बड़ा कार्य था और उन्हें आश्वस्त किया कि सत्य, अहिंसा और चरखा भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए बड़े कारगर औजार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सिर्फ एक लाख अंग्रेज यहाँ के 35 करोड़ लोगों पर राज नहीं चला सकते, अगर ये लोग अंजाम की परवाह किये बगैर अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दें। गांधी जी का कहना था कि भारत की आजादी में सभी भारतीयों, महिलाओं व पुरुषों, गरीबों और अमीरों, तथाकथित ऊच्च जातियों और निम्न जातियों और अछूत कहे जाने वाले लोगों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

मकान का किराये की बचत करने और उद्योगों को कम लागत पर ग्रामीण मजदूरों का फायदा मिलेगा। इसके अलावा शहरों और उनके आस-पास के गांवों को अपनी रोजमरा की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए दूर-दराज के स्थानों में नहीं जाना पड़ेगा।

गांधी जी पूँजीवादी और साम्यवादी, दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ थे। पहले तरह की अर्थव्यवस्था का वह इसलिए विरोध करते थे क्योंकि यह मुनाफे की अंधी दौड़ पर आधारित थी और दूसरी में समाज के गांवों के बीच घृणा, व्यक्तिगत संपत्ति की जब्ती और हिंसा की आशंका बनी रहती थी। इसके अलावा वह अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण के भी खिलाफ थे क्योंकि इसमें दिखता तो यह था कि शोषण को न्यूनतम करके अच्छा कार्य हो रहा है, मगर इसमें इसान की वैयक्तिकता को सबसे बड़ा नुकसान होता है जो कि व्यक्ति की सारी प्रगति का मूल है। लोकतंत्र की उनकी धारणा यह थी कि सबसे दुर्बल व्यक्ति को उतने ही अवसर मिलें जितने सबसे ताकतवर को मिलते हैं। वह यह भी मानते थे कि असली स्वराज चंद लोगों के सत्ता में आने से नहीं आएगा बल्कि यह तब आएगा जब आम लोग सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिरोध करने की क्षमता प्रप्त कर लेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में वह जोर-जबरदस्ती की बजाय नैतिकता पर आधारित सहमति और दृस्टीशिप के सिद्धांत के पक्ष थे जिसमें धनी मालिकों को न्यासी के रूप में व्यवहार करने और अपने आप को गरीबों की संपत्ति का रखवाला मानने को कहा जाता है। इसका मकसद पूँजीवादी और साम्यवादी प्रणालियों के शोषण और उत्पीड़न पर आधारित तौर-तरीकों में बदलाव लाकर उन्हें मानवीय और सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से लाभप्रद सब लोगों के कल्याण पर आधारित सहकारी व्यवस्था यानी सर्वोदय में बदलने का था। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन नैतिक तरीके से समझाने-बुझाने और दृस्टीशिप का अच्छा उदाहरण है।

गांधी जी के लिए श्रम पूँजी की तुलना में श्रेष्ठतर है। बिना श्रम के सोना, चांदी और तांबा बेकार बोझ की तरह है। ये मजदूर हीं जो धरती के गर्भ में छिपे वहुमूल्य रत्नों को बाहर निकालते हैं। श्रम अमूल्य है न कि



सेगांव में महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए (1939)

सोना। गांधी पूजी और श्रम के बीच तालमेल कायम करना चाहते थे ताकि वे एकजुट होकर शानदार कार्य कर सकें। गुजरात की कपड़ा मिल मजदूरों की सात यूनियनों के संघ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसका गठन 1918 की हड्डताल के बाद किया गया था जिसमें गांधी जी ने मध्यस्थता की थी। 1939 तक इसके सदस्यों की संख्या 25,000 तक पहुंच चुकी थी।


हालांकि गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा है मगर उनके पास इस बारे में कोई सुसंगत आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए न तो समय था और न उन्हें इसका प्रशिक्षण प्राप्त था। आज जिसे "गांधीवादी अर्थशास्त्र" के नाम से जाना जाता है वह उनके अनोखे अनुयायी जे.सी. कुमारप्पा (जेसीके) के समर्पित प्रयासों का नतीजा है। कुमारप्पायঁ इङ्डिया के कॉलमों में दो दशक से अधिक समय तक इसपर लिखते रहे। उन्होंने गांधीवादी अर्थशास्त्र पर 'इकोनोमी

ऑफ परमानेंस' नाम की एक पुस्तक भी लिखी जो 1945 में प्रकाशित हुई।

इस पुस्तक में जेसीके ने पक्षियों, पशुओं और मधुमक्खियों के सरल उदाहरण देते हुए पांच तरह की अर्थव्यवस्थाओं की पहचान की है: परजीवी अर्थव्यवस्था, शिकारी अर्थव्यवस्था, उद्यमिता अर्थव्यवस्था, सामूहिक अर्थव्यवस्था और सेवाभावी अर्थव्यवस्था। इनमें से अंतिम अर्थव्यवस्था ऐसी है जो मुनाफे या अधिग्रहण पर आधारित नहीं है। लेकिन प्रकृति की तरह यह भी साझा उद्देश्यों के लिए आपसी तालमेल के साथ जुड़ी हुई है.....और हिंसा से इसकी श्रृंखला विच्छिन्न नहीं होती....हमारे पास स्थायित्व की ऐसी अर्थव्यवस्था है। वह मुनाफे कमाने की भावना और बड़े पैमाने पर विनिर्माण दुनिया की अधिकतर बुराइयों के लिए उत्तरदायी है। युद्धों की शुरुआत बाजार पर कब्जा जमाने और अपने फालतू सामान के लिए ग्राहक जुटाने के उद्देश्य की जाती है। पहले उत्पादन किया जाता है और उसके बाद बंदूक की नोक पर सामान के लिए मांग पैदा की जाती है। वह

स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता क्रिसमस ट्री की तरह है जिसे चमकदार पनियों और गोटे से सजाया जाता है और जिसमें गुड़ियां, बाजे, ड्रम आदि बंधे रहते हैं। लेकिन क्रिसमस ट्री जड़ों से कटा हुआ होता है और धरती रो पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर सकता। हालांकि इसकी ताजागी काफी समय तक बनी रहती है, लेकिन इसके बाद यह मुरझा कर सूख जाता है और जलाने की लकड़ी के अलावा और किसी काम का नहीं रह जाता।

हाल के वर्षों में सैद्धांतिक प्रबंधन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टीक्यूएम), कस्टमर रिलेशन्स मैनेजर (सीआरएम), सभी पक्षों के हितों की रक्षा (एसआईएसएच), फूगल इंजीनियरिंग (एफई), लीन मैनेजमेंट (एलएम), कार कांपीटेंस (सीसी), बिल्डिंग स्केल एट लोवर प्राइस प्लाइंट्स (बीएसएलपीपी), कल्चर ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग (सीआईटी) और विजनरी लीडरशिप (बीएल) जैसे शब्द जुड़े हैं। कार्पोरेट गवर्नेंस से बेहतरीन तौर-तरीके भी इसमें शामिल हो



कोचरब, अहमदाबाद में पहला आश्रम (1915)

गये हैं। गांधी जी ने 1920 और 30 के दशकों में इन पर अभ्यर्थी पर जोर दिया था।

टोटल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में गांधी जी ने लिखा है : 'सभी विद्यार्थियों को कताई का पर्याप्त कार्य करना चाहिए। उनके औजार हमेशा साफ-सुधरे, सुव्यवस्थित और चालू हालत में रहने चाहिए। तभी उनका काता हुआ धागा अपने आप बेहतरीन गुणवत्ता का होगा।

कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट सी.आर.एम। के बारे में उनका कहना है : ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण आण्टुक है। वह हम पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम उसपर निर्भर हैं। वह हमारे काम में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता, हमारा कार्य ही उसके होने का उद्देश्य है। उसकी सेवा करके हम उसपर कोई कृपा नहीं कर रहे, बल्कि वह सेवा का मौका देकर हमपर कृपा कर रहा है।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी-सी.एस.आर. के बारे में गांधी जी के विचारों की ज़लक उनके शैक्षिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी प्रयासों में देखी जा सकती है जो ब्रिटिश जर्मांदारों के खिलाफ चम्पारण के निलहों की शिकायतों का बातचीत के जरिए समाधान करने के तुरंत बाद उन्होंने किये थे।

जहां तक सभी पक्षों के हितों की रक्षा-एसआईएसएच का सवाल है 1931 में गोल मेज सभा के लिए अपनी लंदन यात्रा के दौरान वे मानचेस्टर गये और वहाँ के कपड़ा मिल मजदूरों और मालिकों को भारत में ब्रिटिश कपड़े के बहिष्कार के लिए चलाए गये अपने आंदोलन के औचित्य के बारे में बताया। उन्होंने ऐसा इस तथ्य के

बावजूद किया कि कुछ ही हफ्ते पहले (उस साल अप्रैल में) आठ हजार लोग ब्लैकबर्न में सरकार को यह बताने के लिए इकट्ठा हुए थे कि जबतक (भारत में) राजद्रोह, अराजकता और अव्यवस्था का खातमा करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनायी जाती तबतक लंकाशायर के सूती बस्त्र उद्योग

के फिर से जीवित होने की कोई उम्मीद नहीं है। अपनी यात्रा से पहले प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था : हमने विदेशी कपड़े को लेकर जो कुछ किया उसके बारे में (लंकाशायर में) बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं वहां गया और मैंने उनसे बातचीत की तो मुझसे जिरह की जानी चाहिए, और मैं उनसे बेझिझक बात करूँगा। उन्होंने इस इलाके में कई कपड़ा मिलों का दौरा करते हुए और मजदूरों, मालिकों, कपड़ा व्यापारियों, पत्रकारों और प्रेस्टन के मेयर के साथ मुलाकात करते हुए दो दिन (25-27 सितंबर) बिताए।

फ्रूगल इंजीनियरिंग और लीन मैनेजमेंट के बारे में उनकी धारणा उपनिवेशवाद और भीषण गरीबी से मुक्ति के लिए चर्खे के प्रतीक को अपनाने और सभी खर्चों में किफायत पर जोर देने तथा खर्च किये गये एक एक रूपये का कड़ाई से हिसाब रखने में ज़लकती है। वह एक ही पेसिल का इस्तेमाल तब तक करते रहते थे जबतक कि उसे पकड़कर लिखना असंभव हो जाता था। वह पत्रों का जवाब देने और अपने सहयोगियों को टिप्पणियां भेजने के लिए भी डाक से प्राप्त हुए पोस्टकार्ड और लिफाफों की खाली जगह का इस्तेमाल करते थे।

भारत में व्यापक बेरोजगारी और "कॉर्पोरेट लंकाशायर" का सम्मान करने के लिए गांधी जी द्वारा चर्खे को चुनना जितना शानदार विचार था, उतना ही सरल भी था। उनकी आत्मकथा में बताया गया है कि 1915 में जब तक वह ब्रिटेन से भारत नहीं लौटे थे उन्हें चर्खे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

उस समय के 'जाने-माने' अर्थशास्त्रियों को उनकी पसंद बड़ी हास्यास्पद लगी। लेकिन चर्खे ने ग्रामीण रोजगार बढ़ाया, सत्याग्रहियों में अनुशासन को बढ़ावा दिया, आयातित कपड़े के महत्व को कम किया और भारत में ब्रिटिश आर्थिक हितों को कमज़ोर किया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के निचले सदन में भारत मंत्री ने खुलासा किया था कि जहां महामंदी के दौर में भारत को कपड़े के निर्यात में 25 प्रतिशत की गिरावट आयी जिसमें से 18 प्रतिशत तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गये बहिष्कार कार्यक्रम का सीधा नतीजा थी।

जर्मन अर्थशास्त्री अन्स्टर्ट शुमाकर ने अपनी पुस्तक 'स्माल इज ब्यूटीफुल' में गांधी जी की प्रशंसा 'जनता के ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में कोई...जिसने ऐसे अर्थशास्त्र को मानने से इनकार कर दिया जो जिसमें आम आदमी का कोई महत्व नहीं है।' तर्क देकर उन्होंने कहा कि मास प्रोडक्शन (मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन) टेक्नोलॉजी स्वाभाविक रूप से हिंसक, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाने वाली, गैर नवीकरणीय स्रोतों के लिहाज से अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहले वाली और इंसानों के दिमाग को कुंद कर देने वाली होती है। लेकिन व्यापक जनसमुदाय की शक्ति का उपयोग करते हुए उत्पादन करने वाली टेक्नोलॉजी, जिसमें बेहतरीन आधुनिक ज्ञान और अनुभवों का उपयोग किया गया हो विकेन्द्रीकरण में सक्षम, पारिस्थितिकी के नियमों के अनुसार सुसंगत, सीमित संसाधनों के उपयोग के प्रति संवेदनशील और इंसान की सेवा के लिए, न कि उसे मशीनों का गुलाम बनाने के लिए होती है। उन्होंने इसे 'माध्यमिक टेक्नोलॉजी' नाम दिया।

नरेन्द्र पाणि की पुस्तक 'इनक्लूसिव इकोनोमिक्स' में गांधी जी की आर्थिक प्रविधियों की प्रशंसा की गयी है जो सैद्धांतिक मॉडल बनाने और उनपर आधारित नीतियों के निर्माण के पारम्परिक आर्थिक तरीके से हटकर है और जिनमें बाह्यित लक्ष्यों तथा उसके बाद उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकताओं के बारे में सोचा जाता है। उन्होंने कहा है : यह भारी भरकम सिद्धांतों के बारे में गांधी जी का संशय ही है जो उन्हें 21वीं सदी के प्रारंभ में अर्थशास्त्रियों के समाने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रासांगिक बनाता

है। गांधी जी ने सिद्धांतों के पार जानकर समाज को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जिस विधि का उपयोग किया वह इतनी समावेशी है कि ज्ञात और अज्ञात दोनों से निवट सकती है। उन्होंने आगे कहा है: जब हम सिद्धांतों की बजाय व्यवहार पर जोर देने लगते हैं तो गांधी जी के विचारों को और व्यापक स्वीकृति मिलने लग जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि अक्सर गांधी जी के विचार उनकी तपस्वी जैसी जीवनशैली से जुड़े हुए हैं। असल में यह मानने की प्रवृत्ति सी हो गयी है कि गांधीवादी तौर-तरीके उन्हीं के लिए प्रासांगिक होंगे जो उनकी तपस्वियों वाली जीवन पद्धति को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हमें इस बात का अहसास हो जाता है कि ये कई तरह के नैतिक ढांचों के अनुरूप हैं तो इनकी प्रासांगिकता बढ़ जाती है।

आज प्रचलित मैनेजमेंट की एक अवधारणा 'कोर कम्पीटेंसेज' (मूल क्षमताओं) की है। कोलिन्स और पोरास ने इसकी परिभाषा 'आपकी बेहतरीन स्वाभाविक क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली नीतिगत अवधारणा के रूप में की है।' एक सदी से भी अधिक पहले गांधी जी ने कपड़े को भारत

के लोगों की मूल क्षमता बताया था। सदियों से उन्होंने एशिया और यूरोप के ज्यादातर लोगों को बहतरीन सूती कपड़े, मलमल और मुलायम कश्मीरी ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराये हैं। मशीन के बने कपड़े के साथ जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और कर प्रणाली ने घरेलू कपड़े को बढ़ावा देने की बजाय आयोतित का साथ दिया जिससे यह उद्योग तबाह हो गया। स्थिति में बदलाव लाने के लिए गांधी जी ने मामूली चर्खों के बारे में सोचा और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थिक और राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ भारत के संघर्ष का औजार बना दिया। और इस मुहीम में वह दोनों मोर्चों पर सफल रहे। आजादी के बाद भारत एक बार फिर से दुनिया में करोड़ों लोगों को वस्त्र उपलब्ध करा रहा है। चर्खा गांधी जी के बीएसएलपीपी (बिल्डिंग स्केल एट लोवर प्राइस प्वाइंट्स-मूल्य सूचकांक के निम्नस्तर पर पैमाना बनाना), सीआईटी (कल्चर ऑफ इनोवेटिव थिकिंग-नवाचार वाली सोच की संस्कृति) और बीएल (विजनरी लोडरशिप यानी दूरदर्शी नेतृत्व) का अच्छा प्रमाण है।

डिवेलपमेंट अल्टरनेटिव के अध्यक्ष अशोक खोसला ने 22 अक्टूबर, 1998 को

याइम्स ऑफ इंडिया में अपने लेख में गांधी जी को 'उत्तर आधुनिकतावाद का पैगम्बर' करार देते हुए 20वीं सदी के सबसे महान आविष्कर्ताओं में से एक बताया है। उन्होंने लिखा है : गांधी जी आदमी और जमीन की ओर वापसी बाले जीवन के पक्षधर नहीं थे। बल्कि वह इस बात पर पक्का यकीन करते थे कि टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में सुधार लाने का एक साधन है। वह कार्यस्थल पर उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में खास तौर पर संवेदनशील थे और इस लक्ष्य को हासिल करने में टेक्नोलॉजी की केन्द्रीय भूमिका पर भी उनका पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने समय के टेक्नोलॉजी संबंधी एक नवसृजन के लिए सबसे बड़े पुरस्कार का भी प्रस्ताव किया। टेक्नोलॉजी, अर्थस्त्र और अभिशासन के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि ज्ञान का बहुमूल्य खजाना हो सकती है जिसकी हमें 21वीं सदी में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बड़ी आवश्यकता है।

सी.के. प्रह्लाद ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'द फार्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड : इरैडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू प्रॉफिट्स' में गांधी जी का कोई जिक्र नहीं किया,



1946 में सांप्रदायिक दंगों के बाद गांधी जी का बिहार दौरा

लेकिन 2008 में जब उन्होंने बैंगलुरु में इनफोसिस परिसर में भाषण दिया तो उसमें यह रहस्योदयाटन किया कि उनपर गांधी जी के 'जंतर' का बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस तरह छोटी-बड़ी कंपनियां दुनिया के निर्धनतम लोगों की सेवा करते हुए मुनाफा भी कमा सकती हैं। उन्होंने संसाधनों के पिरामिड के नये न्यूनतम विंदु और टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ता वस्तुओं और वित्त जैसे क्षेत्रों में रुझानों का भी संकेत दिया है। उनका सुसमाचार यह है कि कारोबार को लाभप्रद बनाया जा सकता है, धन-दौलत जुटाने तथा गरीबी में कमी लाकर मानवीय दुख-तकलीफ को कम करने के लिए नया पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण जैसे सब कार्य साथ-साथ किये जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनका मंत्र है : "अच्छा करते हुए सम्पक करना।"

सफल विजेनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) उपक्रमों के उदाहरणों में वह मिनी बार और शैचिट्स में निर्माण साबुन/शैम्पू, जयपुर कालीन, अनन्पूर्णा साल्ट, अरविन्द आई केयर, आईटीसी ई-चौपाल, भारती एयरटैल और कसास बाहिआ जैसी कई कंपनियों का नाम गिनाते हैं।

गांधी जी के कुछ आलोचकों ने उन्हें यूटोपियन (शेखचिल्ली) करार दिया है जबकि अन्य उन्हें आदर्श तेहाती मानते हैं। लेकिन वास्तव में वह बेहद साधारण, व्यावहारिक और दूरदर्शी चिंतक थे। वह ऐसे व्यावहारिक व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक, भौतिकवादी सभ्यता के इसानों, जानवरों और पेड़-पौधों समेत समूचे पर्यावरण पर पड़ने वाले विनाशकारी असर के दुष्परिणामों का कई दशकों पहले ही अनुमान लगा लिया था। बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन इसका अच्छा उदाहरण है। वह कहते कि मनुष्य को मशीन की तरह नहीं, बल्कि मधुमक्खी की तरह मेहनती होना चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चर्खा उनका प्रतीक चिन्ह था। भले ही कई लोगों ने इसे पुरातनपंथी सोच बताते हुए चर्खे की खिल्ली ठड़ाई हो, मगर इसने भारत की मृतप्राय कुटीर और ग्राम उद्योगों में नयी जान फूंक दी और आज इसमें 3 करोड़ से अधिक दस्तकार और उनके परिवारों को रोजी-रोटी मिल रही है।

गांधीवादी युग में मैनेजमेंट के क्षेत्र में

बौद्धिक मानसिकता में बदलाव जॉन मेनार्ड कीन्स और पोटर इकर के निम्नलिखित उद्धरणों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कीन्स 1920 के दशक में ब्रिटेन के जानेमाने अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1930 में अपनी पुस्तक 'ए ट्रियाइज ऑन मनी' में कहा था : कम से कम अगले एक सौ साल तक हम लोग अपने आप से बहाना करेंगे कि अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है क्योंकि जो बुरा है वह उपयोगी है और जो अच्छा है वह उपयोगी नहीं है। अभी कुछ और समय तक हम लोभ, मुनाफाखोरी और पूर्वोपायों की पूजा करते रहेंगे। क्योंकि ये ही हमें आर्थिक आवश्यकताओं की अंधेरी सुरंग से दिन की रोशनी में लाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

इसके एकदम उलट अमेरिका के प्रमुख मैनेजमेंट गुरु पीटर इकर ने 1989 में अपनी पुस्तक 'द न्यू रिअलिटीज' में लिखा है: चूंकि मैनेजमेंट का संबंध किसी साझा उपक्रम के लिए लोगों को प्रेरित करने और उन्हें दिशानिर्देश देने से है, इसलिए इसकी जड़ें संस्कृति में भी बड़ी गहरी समाई हुई हैं। मैनेजरों को जिस बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ता है वह यह है कि वे अपने कामगारों की परम्पराओं और संस्कृति उन तत्वों की पहचान करें जिनका उपयोग मैनेजमेंट की इमारत की ईटों की तरह किया जा सके। इसके अलावा मेरे जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसने सभी प्रकार की संस्थाओं के मैनेजरों के साथ लंबे समय तक कार्य किया है, उन्हें इस बात का अहसास हो गया है कि मैनेजमेंट आध्यात्मिक सरोकारों, यानी मनुष्य की प्रकृति और अच्छाई व बुराई से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

गांधी जी का 21वीं सदी में मैनेजमेंट के क्षेत्र में व्यावहारिक बने रहना ग्लोबल वर्मिंग के वर्तमान परिदृश्य में स्पष्ट दिखाई देता है।

रेचेल कारसान की 1962 में प्रकाशित पुस्तक 'साइलेंट स्लिंग' में कोटनाशकों के दुष्प्रभावों को उजागर करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि अगर इंसान धरती को जहर देगा, वह खुद जहर का शिकार बनेगा। इस कथन की बड़ी प्रशंसा हुई है और इसे पारिस्थितिकों के बारे में सबसे पहले उक्तियों के रूप में उद्धृत किया जाता है। लेकिन इससे भी तीन दशक पूर्व गांधी जी ने लिखा था : धरती के पास हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा

करने के लिए बहुत कुछ है, मगर वह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती।

यह बात गैर करने की है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने गांधी जी को इस उक्ति का अपने प्रमुख नारे के रूप में इस्तेमाल किया है और कर रहा है, जिसे गांधी जी पूरी दृढ़ता से कहा था। धरती के पास हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, मगर वह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती।

अमेरिका और यूरोप में रोबोटिक क्रांति कई पेशेवर लोगों को पुराना बनाती जा रही है। ऑटोमेटेड बिलिंग मशीनें और ड्रोन लेखांकन और वितरण के व्यवसाय में लगे हजारों लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब अस्पतालों में नर्स और कार व ट्रकों में ड्राइवर भी फालतू हो जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच के अनुमान के अनुसार विश्व के 15 प्रमुख विकसित और विकासमान देशों में 2020 तक 50 लाख रोजगारों का नुकसान होगा। सिटीबैंक का अनुमान है कि अमेरिका में 47 प्रतिशत नौकरियों के जाने का खतरा मंडरा रहा है।

चीन की बड़ी ई-कॉर्पस कंपनी अलीबाबा के अध्यक्ष जैक मा ने इस संकट से निपटने के लिए जो प्रस्ताव किया है वह गांधीवादी उपायों से आश्चर्यजनक समानता रखता है। 'अगले 30 वर्षों में विश्व में खुशी की बजाय कहीं ज्यादा दर्द होगा....मशीनों को वही करना चाहिए जो इंसान नहीं कर सकते....यही तरीका अपनाकर हम इंसानों की एवजी की बजाय, कामकाजी सहयोगी के रूप में मशीनों को रख सकते हैं।'

एक सदी से भी अधिक पहले गांधी जी को इस बात का अहसास हो गया था कि 'श्रम की बचत करने वाली मशीनें' मजदूरों को अप्रासांगिक बनाकर 'श्रम से बचाती' हैं। वह 'मास प्रोडक्शन' के हिमायती नहीं थे बल्कि मजदूरों बड़ी तादाद से बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का आग्रह करते थे। वह चाहते थे कि मनुष्य मेहनती हो, लेकिन मशीन की तरह नहीं, बल्कि मधुमक्खी की तरह। भारत के परम्परागत कुटीर और ग्राम उद्योगों में भी जान फूंककर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अपनाए गये चरखे के प्रतीक की उस समय के कई अर्थशास्त्रियों ने 'पुरातनपंथी' कहकर आलोचना की। हाथ से बनाये जाने वाले खादी वस्त्रों, शॉल, कालीन, पीतल और

संगमरमर के उत्पाद, हड्डी और काष्ठ शिल्प की वस्तुओं से देश में ३ करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और भारत को इनके नियांत्रण से हर साल ५ अरब डालर की आमदनी होती है।

गांधी जी ने निर्धनतम लोगों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने इन लोगों के साथ काम करने, प्रार्थना करने और रहने पर जोर दिया और कपास और नमक जैसे ऐसे सरल मुद्रे उत्पादे जिन्हें ये लोग समझते थे। गांधी जी ने इन लोगों को प्रेरित करने, उत्साहित करने और उन्हें सशक्ति बनाने में सफलता प्राप्त की जो प्रबंधन का बड़ा कार्य था और उन्हें आश्वस्त किया कि सत्य, अहिंसा और चरखा भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए बड़े कारण औजार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सिर्फ एक लाख अंग्रेज यहाँ के ३५ करोड़ लोगों पर राज नहीं चला सकते, अगर ये लोग अंजाम की परवाह किये बगैर अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दें। गांधी जी का कहना था कि भारत की आजादी में सभी भारतीयों, महिलाओं व पुरुषों, गरीबों और अमीरों, तथाकथित ऊच्च जातियों और निम्न जातियों और अल्पसंख्यक जातियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके साथ-साथ उन्होंने लोगों के प्रशिक्षण, नियोजन, चंदा जुटाने, नेतृत्व करने और जनता की ओर से बातचीत करने का जिम्मा भी बखूबी निभाया। अलग-अलग पृष्ठभूमि, आस्था और हित वाले करोड़ों भारतवासियों पर गांधी जी प्रभावी नियंत्रण रखते थे और उनके हर निर्देश का वे अनुसरण करते थे। गांधी जी के कहने पर लोग सूत कातते, विदेशी कपड़ों की होली जलाते, पुलिस की मारपीट सहते और जेल तक चले जाते, तो किन हिंसा का सहारा कभी नहीं लेते थे। उपमहाद्वीप जैसे विशाल आकार वाले भारत में यह आश्चर्यजनक बदलाव था। जो लोग कभी आलस्य, भय और निराशा की चपेट में जकड़े हुए थे उन्हें गांधी जी ने जोश और देशभक्ति के ऐसे उत्साह से भरकर ऐसे जनसमुदाय में बदल दिया जो अपने साझा मकसद को हासिल करने के लिए मरने को तो हरदम तैयार थे मगर मारने को कदापि नहीं।

भारत की आजादी को लिए, गांधी जी ने जिस तरह के अहिंसक राष्ट्रीय संघर्ष की परिकल्पना की, उसकी रणनीति बनायी, उसका प्रबंधन और नेतृत्व किया तथा जिसमें करोड़ों लोगों ने निर्भय होकर भाग लिया वह बींसवीं सदी का सबसे बड़ा, सबसे आश्चर्यजनक 'जन अधिकार आंदोलन' था। इससे भारत को स्वतंत्रता ही नहीं मिली, बल्कि देश को नामान्त्र की लोकतात्त्विक राजव्यवस्था वाले देश से सावधान नयस्क मताधिकार पर आधारित ऐसे लोकतंत्र में बदल दिया जिसमें वंश, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही थी। इससे खून की एक भी बूद बहाए बिना भारत में सामंदवाद का अंत हो गया। उसके बाद गांधी जी के जवाहर लाल नेहरू, डेस्मंड टूट्टु, मार्टिन लूथर किंग, कोराजोन एविनो, लख वालेसा, वाकलाव हावेल जैसे अनेक अनुयायियों के प्रयासों से अपने-अपने देशों और संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रयासों से १२० से अधिक यूरोपीय उपनिवेशों में उपनिवेशवाद का खातमा हुआ। इसके अलावा ३० से अधिक फासिस्ट, कम्यूनिस्ट और सैन्य तानाशाहियों का भी 'जनता की ताकत' पर आधारित संघर्ष से अंत हुआ। इसलिए यह जबरदस्त राजनीतिक उपलब्धि ही नहीं थी बल्कि प्रबंधन संबंधी उपलब्धि भी थी। □

(२० अगस्त, २०१९ को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, हैंदराबाद में दिये गये भाषण से लिया गया मूल घाट का अंश)

राष्ट्र के पुनर्निर्माण की राह

ए अन्नामलै

रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज के पुनर्निर्माण का गांधी जी का तरीका था, जिसमें उन्होंने समाज की हरेक इकाई को जाति, समुदाय या वर्ग की चिंता किए बगैर जोड़ा था और जिसका उपयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के आवश्यक हिस्से को तैयार करने में किया गया था। यदि हम पूरी गंभीरता के साथ खुद को रचनात्मक कार्यक्रमों में लगा लेते हैं तो सविनय अवज्ञा की जरूरत ही नहीं होगी।

गां

धी जी ने सेवाग्राम से बारदोली की ट्रेन यात्रा के दौरान एक छोटी पुस्तिका लिखी, जिसमें उन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़े सभी लोगों से कुछ बुनियादी बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा। आरंभ में 13 बिंदु थे जिसमें उन्होंने बाद में पांच और जोड़ दिए, इस तरह 18 बिंदुओं का रचनात्मक कार्यक्रम तैयार हुआ, जो उनके लिए भारतीय समाज के सामाजिक-आर्थिक पुर्नांगितन का खाका बन गया। उन्होंने 1942 में लिखा, “यदि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते स्वराज चाहते हैं तो रचनात्मक प्रयासों द्वारा एकदम नीचे से ऊपर की ओर धीरे-धीरे लेकिन लगातार निर्माण करना ही इकलौता रास्ता है।”

यह सक्रियता से होने वाला कार्यक्रम था, जिसे समुदाय के भीतर उसके सदस्यों द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग कर क्रियान्वित किया जाना था ताकि ढांचों और व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके। यह समाज की बेहतरी के लिए उसके भीतर मौजूद सकारात्मक ऊर्जाओं को एक साथ लाने का सुनियोजित प्रयास भी था। उन्होंने आंतरिक शक्ति डृष्टि करने, आम लोगों में आंतरिक वृद्धि तेज करने और उन्हें उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों से परिचित कराने के उद्देश्य से रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया था।


उनके द्वारा दिया गया परिवर्तन का यह मंत्र आजादी के 72 वर्ष बाद आज भी प्रासंगिक है और हम गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों का विश्लेषण आज के संदर्भ में

कर रहे हैं। वे बिंदु अब भी कारगर हैं। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अधिक स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज के विकास के लिए इनकी जरूरत अब भी है।

पृष्ठभूमि: गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु गोखले की सलाह पर पूरे भारत की यात्रा की। भारत के बारे में अपनी समझ के कारण गांधी को विश्वास हो गया कि भारत का ‘विघटन’ हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि लंबे समय के दमनकारी विदेशी शासन ने भारत की जनता को पूरी तरह विभाजित, जातिभेद से ग्रस्त, डरपोक और सामाजिक चेतना एवं नागरिक गुणों से चूंचित बना दिया है। जब तक देश का पुनर्निर्माण

नहीं होता है तब तक न तो वह आजादी हासिल कर सकता है और न ही उसकी आजादी बरकरार रह सकती है। इसलिए गांधी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए समग्र कार्यक्रम तैयार किया, जिसे उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम कहा। लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम के अंग अनूठे थे – इसमें वे मुद्दे और पहलें शामिल थीं, जिन्हें उन्होंने उनीसवीं शाताव्दी के अंत में दक्षिण अफ्रीका से आरंभ हुए अपने समूचे सार्वजनिक जीवन में किसी न किसी तरह बढ़ावा दिया था।

हालांकि उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का औपचारिक वर्गीकरण 1941 में किया, लेकिन उन्होंने अपनी रचनात्मक गतिविधियां



“रचनात्मक कार्य अगर अहिंसक दृष्टि से अहिंसा के ज्ञान के साथ न किया जाए तो उसका स्वराज्य दिलाने का जो बड़ा नतीजा है वह हिन्दुस्तान को नहीं मिल सकता... अहिंसा की दृष्टि जब पैदा हुई और मुल्क को सचमुच स्वतंत्र बनाने का एक ही राजमार्ग अहिंसा और सत्य का, जब स्वीकार माना गया तब हमारी दृष्टि की मर्यादा हिन्दुस्तान तक या यह कहें सम्पूर्ण जगत तक चली गयी और हिन्दुस्तान परतंत्र होते हुए भी हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा सारे जगत में फैल गयी।”

सीडब्ल्यूएमजी वॉल्यूम 82, पृष्ठ 141

चंपारण सत्याग्रह के दौरान हो स्कूल खालकर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के कार्यक्रम चलाकर शुरू कर दी थीं। उनके आश्रम को सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

मात्र उदाहरण के लिए, संपूर्ण नहीं

गांधी जी ने 18 बिंदुओं के कार्यक्रम की सूची तैयार की, लेकिन ये कार्यक्रम केवल उदाहरण मात्र थे और संपूर्ण नहीं। वास्तव में ऐसे भिन्न-भिन्न कार्यों का पहले से ही अनुमान लगाना असंभव है, जो किसी एक स्थान अथवा क्षेत्र में उपयोगी हो सकते हैं। किसी भी स्थान या क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखे वर्गे किसी भी प्रकार की योजना को उस पर थोपना भी अच्छा नहीं है। इसीलिए इस छोटी सी पुस्तिका की प्रस्तावना में गांधी ने कहा, “इसमें दी गई सामग्री को किसी क्रम में नहीं रखा गया है, उनके महत्व के अनुसार क्रमबद्ध तांत्रिक नहीं किया गया है। जब पाठक को पता चलता है कि कोई एक विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वतंत्रता

के मामले में उसे कार्यक्रम में जगह नहीं मिलती है तो उसे पता होना चाहिए कि उस विषय को जानवृद्धकर नहीं छोड़ा गया है। उसे बिना हिचक वह विषय मेरी सूची में जोड़ा चाहिए और मुझे बता देना चाहिए। मेरी सूची संपूर्ण होने की बात नहीं कहती, यह उदाहरण मात्र के लिए है। पाठक इसमें कई नए और महत्वपूर्ण विषय जुड़ते देखेगा।”

गांधी के 18 बिंदुओं के कार्यक्रम को मोटे तौर पर सामाजिक (सांप्रदायिक सौहार्द, छुआछूत उन्मूलन, मध्यिषेध, महिला, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, आदिवासी और कुचल गंगी), आर्थिक (खादी, अन्य ग्रामोद्योग तथा आर्थिक समानता), शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रभाषा और प्रांतीय भाषा) तथा स्वास्थ्य (गंगाओं में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य) की श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

(1) सांप्रदायिक एकता:

शांति और सांप्रदायिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता की रीढ़ हैं और यहीं विकास की युनियाद भी है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद कहते

थे, “इस बात को फौरन माना जा सकता है कि मौजूदा सांप्रदायिक बंटवारा आपसी अविश्वास और संदेह के कारण है। इसने राष्ट्रीय जीवन को इतना विषैला कर दिया है कि धार्मिक कार्यक्रमों, भाषा, संस्कृति, जीवन पद्धति, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक शक्ति - वास्तव में जीवन के हर क्षेत्र में एक-दूसरे के मकसद पर संदेह होने लगा है। आपसी विश्वास तभी होगा जब हम किसी भी स्थिति में बलपूर्वक वह नहीं थोड़े, जो हमें सही लगता है या उसे गलत नहीं ठहराएंगे, जिसे विरोधी सही मानते हैं।” महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक एकता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।”

(2) छुआछूत का उन्मूलन:

छुआछूत या अस्मृश्यता व्यवस्थागत हिंसा का सबसे खराब रूप है और धार्मिक मान्यता के नाम पर की जा रही क्रूरता का प्रदर्शन है। गांधी जी ने जोर दिया कि छुआछूत किसी भी तरह धार्मिक रूप से मान्य नहीं है और इस अमानवीय प्रथा के कारणों एवं जड़ को मिटाना होगा। आधुनिक तकनीक के इस युग में भारत के विभिन्न हिस्सों में छुआछूत प्रचलित होना शर्म की बात है। ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं। गांधी जी भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों के प्रभुत्व के खिलाफ लड़े थे। वे भारतीयों को कमतर ‘कुलों’ मानकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। यदि हम अपने लोगों के साथ वैसा ही करें तो इसे उचित कैसे कहा जाएगा। इसलिए हमें दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और इस अमानवीय व्यवहार को खत्म करने के लिए गंभीरता से प्रयास भी करना चाहिए।



तालीमी संघ, सेवाग्राम का एक प्राथमिक स्कूल

(3) मध्य निषेध:


गांधी जी को शराब की लत से बहुत चिढ़ थी क्योंकि इससे न केवल परिवारों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति विगड़ती थी बल्कि समाज का वह नैतिक ताना-बाना भी विगड़ जाता था, जो अहिंसा के आंदोलन के लिए जरूरी था। एक बार उन्होंने कहा कि यदि उन्हें एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो सबसे पहले वे बिना कोई मुआवजा दिए शराब की सभी दुकानें बंद कर देंगे।

(4) खादी:

खादी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन तथा स्वदेशी की प्रतीक है। चरखा आजादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया और खादी राष्ट्रीयता की पहचान हो गई। भारत ने औपनिवेशिक शक्ति से जनता की शक्ति का पलड़ा भारी होते देखा। एक समय इस देश में आम आदमी पुलिसकर्मियों से डरता था, लेकिन गांधी की अहिंसा की रणनीति के बाद पुलिस वाले 'खादी वाले लोगों' से डरने लगे। विशुद्ध रूप से आर्थिक गतिविधि ताकतवर राजनीतिक हथियार बन गई! अब खादी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि श्रम की गरिमा, विकेंद्रीकरण, अहिंसा और सादगी के मूल दर्शन से समझौता किए बगैर लोगों के लिए इसे अधिक किफायती और आकर्षक कैसे बना जाए। 'स्वतंत्रता संग्राम' या 'स्वदेशी आंदोलन' जैसे ताकतवर प्रभाव की अनुपस्थिति में अब खादी को अपनी दार्शनिक बुनियाद पर अपने बल पर ही खड़ा रहना है।

(5) अन्य ग्रामोद्योग:

गांधी ने सौरमंडल में सूर्य की तरह खादी को केंद्र में रखा और अन्य ग्रामोद्योग ग्रहों की तरह उसके ईर्द-गिर्द घूमते रहे। भारत की उनकी परिकल्पना में स्वावलंबी ग्राम गणतंत्र थे। इसीलिए ग्रामीण श्रमबल को आर्थिक



गतिविधियों में व्यस्त रखने के लिए ग्रामोद्योग जरूरी थे, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लगातार विकास भी होता। गांधी जी ने कहा, "जब हम ग्राम केंद्रित सोच वाले बन गए हैं तो हम परिच्छम या मशीन से बने उत्पादों की नकल नहीं करना चाहेंगे बल्कि हम नए भारत की कल्पना को ध्यान में रखकर खांटी राष्ट्रीय शैली तैयार करेंगे, जिसमें गरीबी, भुखमरी और अकर्मण्यता नहीं होगी।"

(6) गांवों की सफाई:

जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्हें सफाई की बहुत फिक्र रहती थी। उन्होंने देखा कि भारतीयों के घरों में सफाई की हालत देखकर अंग्रेज उनके साथ 'कुत्तों' और 'सुअरों' जैसा बर्ताव करते थे। उन्होंने यह भी कहा, "अक्सर लोग आंखें बंद कर

लिया करते थे या नाक दबा लिया करते थे, आसपास इतनी गंदगी और बदबू होती थी। उन्होंने कहा कि हमें 'अपने गांवों को हर तरह से सफाई का नमूना बना लेना चाहिए।'


(7) नई या प्राथमिक शिक्षा:

उन्होंने शिक्षा में अपने प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स बस्ती के बच्चों के साथ शुरू किए। उन्हें पता था कि शिक्षा ही हमारी सभ्यता की रीढ़ है। अंग्रेजों के समय में शिक्षा की अंग्रेजी प्रणाली ने लोगों को उनकी सभ्यता से दूर कर दिया और शिक्षित लोग अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगे। गांधी लोगों की मानसिकता बदलने के लिए नई शिक्षा चाहते थे। उन्होंने नई सामाजिक व्यवस्था के लिए शिक्षा की प्रणाली ईजाद की। गांधी ने कहा कि नई शिक्षा "शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करती है और बच्चे को उसकी मिट्टी से जोड़े रखती है। साथ ही भविष्य की ऐसी शानदार कल्पना देती है, जो स्कूल में पढ़ना शुरू करने के साथ ही उसके मन में समा जाती है।"

(8) प्रौढ़ शिक्षा:

प्रौढ़ शिक्षा निरक्षरों को पढ़ना-लिखना सिखाने भर से पूरी नहीं होती। गांधी जी कहते थे, "यदि मुझे प्रौढ़ शिक्षा का जिम्मा दे दिया

“चरखा एक ऐसी सामान्य वस्तु है कि वह प्रत्येक गांव में बन सकता है उसका हरेक हिस्सा जिस गांव में लुहार और बढ़दड़ हैं उसमें बन सकता है... जब हिंदुस्तान में तीन करोड़ चरखे चलने लगेंगे, स्वराज्यवादियों को तभी शांति मिलेगी। किंतु यदि इतने चरखे एक ही स्थान पर तैयार करने पड़े तो काम रुक जाएगा। **”**



महाराष्ट्र में महिला स्वच्छता दस्ते का निरीक्षण करते हुए गांधी जी (1939)

जाए तो मैं प्रौढ़ या वयस्क छात्रों को इस देश की महानता और विशालता की जानकारी देने के साथ शुरूआत करूँगा।" प्रौढ़ शिक्षा के जरिये हम ग्रामीणों को पढ़ने-लिखने के साथ-साथ उनके अधिकारों, ग्राम स्वराज, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि पद्धतियों आदि से भी परिचित करा सकते हैं।

(9) महिलाएं:

गांधी ने दुनिया को महिलाओं की ताकत दिखाई। वह महिलाओं को त्याग करने की प्रकृति, कष्ट, प्रेम और करुणा को जानते थे। वह उन्हें राष्ट्र निर्माण में सही स्थान देना चाहते थे। वह कहते थे कि महिलाओं को कमजोर नहीं कहा जाना चाहिए, वास्तव में वे अपने क्षेत्र में बेहद मजबूत हैं, जिसमें पुरुष बहुत कमजोर हैं। वह यह भी कहते थे कि स्त्री और पुरुष बराबर नहीं हैं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। वह मानते थे कि महिलाओं का सशक्तीकरण उन्हें समाज में अधिकार और सम्मानजनक स्थान देगा तथा अहिंसक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। गांधी ने बताया कि उन्होंने महिलाओं को रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल क्यों किया। उन्होंने कहा, "मैंने रचनात्मक कार्यक्रम में महिलाओं को

शामिल किया है क्योंकि सत्याग्रह इतने कम समय में भारत की स्त्रियों को उनके अंधकार से बाहर ले आया है, जितने कम समय में कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि महिलाएं स्वराज की लड़ाई में बराबर की साझेदार हो चुकी हैं। उन्हें यह महसूस नहीं हुआ है कि महिला को सेवा के अभियान में पुरुष का असली सहयोगी बनना होगा। महिला को रीतियों और नियमों के तले दबाया गया है, जिसके लिए पुरुष जिम्मेदार है और जिन नियमों को बनाने में महिलाओं का कोई भी हाथ नहीं है। अहिंसा पर आधारित जीवन की योजना में महिला को अपना भविष्य तय करने का उतना ही अधिकार है, जितना पुरुष को।"

(10) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में शिक्षा:

जब सफाई के लिए अलग से कार्यक्रम था तो गांधी जी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में शिक्षा को अलग से स्थान क्यों देना चाहते थे? लेकिन गांधी जी की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की सर्वांगीण परिकल्पना थी। उन्होंने खुद समझाया कि, "इसे सफाई के साथ रखा गया होगा, लेकिन मैं इन बिंदुओं

में दखल नहीं देना चाहता था। केवल सफाई का जिक्र करने भर से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल नहीं होते। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी रखने की कला खुद ही अध्ययन और अध्यास का अलग विषय है। सुव्यवस्थित समाज में नागरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के कानूनों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं।"

(11) प्रांतीय भाषाएं:

गांधी जी हमेशा जोर देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को मातृभाषा की मदद से सीखना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपनी प्रांतीय भाषा में पढ़ाएं। गांधी जी कहते थे, "अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा पर तरजीह देने की हमारी प्रवृत्ति ने शिक्षित एवं राजनीतिक मानस बाले बर्गों एवं आम जनता के बीच गहरी खाई पैदा कर दी है। भारत की भाषाओं को दरिद्रता सहनी पड़ी है।"

(12) राष्ट्रभाषा:

गांधी का इस बात पर जोर था कि मातृभाषा में ही निर्देश दिए जाने चाहिए, लेकिन वह राष्ट्रभाषा के पक्ष में भी थे। वह कहते थे कि "पूरे भारत में संवाद के

लिए हमें भारतीय भाषाओं में से कोई ऐसी भाषा चाहिए, जिसे सबसे बड़ी संख्या में लोग जानते और समझते हों और जिसे दूसरे भी आसानी से समझ सकें... हिंदुस्तानी ही राष्ट्रभाषा है।"

(13) आर्थिक असमानता:

जब गांधी जी ने राष्ट्र के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव पेश किया तो उन्हें अपने अभियान का स्पष्ट भान था। उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता "अहिंसा भरी स्वाधीनता की असली कुंजी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूँजी और श्रम के बीच पुराने टकराव को समाप्त करना। इसका मतलब है कि जिन धनी हाथों में देश की अधिकतम संपदा है उन्हें नीचे लाना है और आधे पेट खाने वाले लाखों नगे लोगों का स्तर ऊपर उठाना है। प्रशासन की अहिंसक प्रणाली तब तक असंभव है, जब अमीरों और लाखों भूखे लोगों के बीच चौड़ी खाई बरकरार है।"

(14) किसान:

विकास की आधुनिक रणनीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कृषि शामिल रही है। गांधी जी की ग्राम स्वराज की योजना में कृषि ही सभी गतिविधियों का केंद्र है और उससे किसान को ठीकठाक जीवनयापन में मदद मिलनी चाहिए। इसीलिए यदि आप असली विकास चाहते हैं तो किसानों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने चंपारण, खेड़ा, बारदोली और वोरसाड में अपने अनुभव बताते हुए कहा, "सफलता का रहस्य इसी में छिपा है कि किसानों की निजी और झेली हुई परेशानियों

का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाए।"

(15) मजदूर:


अहमदाबाद मिल कामगारों की हड्डतालों के जरिये वे सीधे श्रम शक्ति के संपर्क में आए और अहमदाबाद में कपड़ा कामगारों के लिए ट्रेड यूनियन का अनूठा मॉडल तैयार किया। श्रम शक्ति को विकास बाधित करने के लिए नहीं बल्कि सभी पक्षों के सर्वांगीण विकास के लिए संगठित किया जाना चाहिए।

(16) आदिवासी:

अपनी मासूमियत और अनभिज्ञता के कारण आदिवासी हमेशा स्वार्थी लोगों के हाथों शोषित होते हैं। जंगल में समृद्ध संसाधन कई लोगों को आकर्षित करते हैं और उसके बाद स्थानीय लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है या उनकी जड़ों से दूर कर दिया जाता है। प्रकृति मां की रक्षा करने के लिए हमें आदिवासियों और उनकी परंपराओं की रक्षा करनी होगी।

(17) कुष्ठ रोगी:

सेवाग्राम आश्रम में रहते समय गांधी कुष्ठ रोग से पीड़ित संस्कृत विद्वान प्रचुर शास्त्री के घाव साफ करते थे। आज भी कुष्ठ रोगियों को सबसे ज्यादा बहिष्कार और सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। गांधी ने कहा, "यदि भारत में नया जीवन धड़कता है, यदि हम सभी सच्चे और अहिंसक तरीकों से यथासंभव शीघ्रता से आजादी प्राप्त करने के लिए गंभीर होते हैं तो भारत में ऐसा कोई भी कुष्ठ रोगी या भिखारी नहीं होगा, जिसका ध्यान नहीं रखा जाए या जिसे गिना नहीं जाए।"



मगनवाड़ी सेवाग्राम में हाथ से पेयर बनाने की निर्माण इकाई

(18) विद्यार्थी:

गांधी कहते थे, "देश के भावी नेता इन्हीं युवकों और युवतियों के बीच से निकलेंगे। दुर्भाग्य से उन पर हरेक प्रकार का प्रभाव डाला जा रहा है।" तकनीक के इस युग में विद्यार्थी ऑनलाइन सामग्री से प्रभावित हैं और मनुष्यों से संवाद के बजाय आभासी संचार में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इन विभिन्न समस्याओं से हमारे युवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, जिनका ध्यान वापस केंद्रित किए जाने की ओर उन्हें राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ किए जाने की जरूरत है।

रचनात्मक कार्यक्रम और सविनय अवज्ञा आंदोलन:

रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज के पुनर्निर्माण का गांधी जी का तरीका था, जिसमें उन्होंने सभाज की हरेक इकाई को जाति, समुदाय या वर्ग की चिंता किए बगैर जोड़ा था और जिसका उपयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के आवश्यक हिस्से को तैयार करने में किया गया था। यदि हम पूरी गंभीरता के साथ खुद को रचनात्मक कार्यक्रमों में लगा लेते हैं तो सविनय अवज्ञा की जरूरत ही नहीं होगी। अवज्ञा का परिणाम दंड और कारावास है, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम में देश के लिए योगदान करने की इच्छा वाला कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। रचनात्मक कार्यक्रम और सविनय अवज्ञा साथ-साथ चलेंगे। यह जरूरतमंद लोगों को आपस में जोड़ता है। दूसरी ओर सविनय अवज्ञा से लोग अन्यायपूर्ण तौर-तरीकों का विरोध करने के लिए जुटते हैं। इसलिए रचनात्मक कार्यक्रम से सविनय अवज्ञा का प्रशिक्षण मिलता है।

निष्कर्ष

कई आधुनिक अहिंसक आंदोलनों में रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान नहीं दिया जाता या बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कई बार वे अपनी ऊर्जा असहयोग या सविनय अवज्ञा पर लगा देते हैं। जब तक हम लोगों और उनकी समस्याओं से नहीं जुड़ते हैं तब तक विरोध के समय जनता को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। भारत में स्वयंसेवा के क्षेत्र का विकास भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का परिणाम है। कई गैर सरकारी संगठन समाज के असहाय वर्ग की भलाई के लिए सहायता कर रहे हैं।

स्वावलंबन और स्वराज के लिए स्वदेशी की आवश्यकता

निमिषा शुक्ला


गांधी जी के लिए भारत के आर्थिक संरचना का आदर्श वही है अगर जीवन की बुनियादी जरूरतों के उत्पादन का नियंत्रण जनमानस के अधीन रहे गांधी जी के अनुसार व्यापार स्वतंत्र नहीं बल्कि उचित होना चाहिए। उचित का मापदंड गांधी जी के लिए न केवल क्षमता का विकास है बल्कि उनका मानना था कि यह समानता का विकास होना चाहिए जो कि हमारे मूल्यों के काफी करीब है।

आ

जकल स्वयं को स्वदेशी बताने और तगड़े मुनाफे के साथ अपने उत्पाद बेचने का चलन शुरू हो गया है। आयुर्वेद का नाम लेकर और अथवा कभी-कभी गांधी जी के नाम पर पारंपरिक भारतीय एवं स्वदेशी पद्धतियों की बात कहकर कई लोगों को अरसे तक बहकाना आसान है। सोशल मीडिया और विज्ञापन के बेलगाम इस्टेमाल से यह और भी आसान है। राष्ट्र के नाम पर नई चेतना भी पैदा हो रही है, जिसका स्वदेशी के साथ भरपूर तालमेल बैठता है। इसीलिए गांधी जी के स्वदेशी के विचार को समझाने के लिए शायद यह सबसे उपयुक्त समय है।

पूँजीवादी देशों में जनता विकास के किसी भी चरण में हो, उसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण द्वारा होने वाले औद्योगीकरण के कुछ फायदे तो मिल ही रहे हैं। चंद लोगों को अधिक फायदा होने का ही नतीजा है कि अमीर भारतीय दुनिया भर में धूम रहे हैं या कोई संपन्न मेक्सिकोवासी श्रीलंका के खूबसूरत समुद्र तटों की सैर कर रहा है। आम लोगों का जीवन स्तर निस्संदेह बेहतर हुआ है और अमीरों का जीवन स्तर तो बहुत ही सुधर गया है। हालांकि अधिकतर अर्थशास्त्री बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन अस्थायी वृद्धि ज्यादातर लोगों के लिए चिंता का बड़ा विषय है।

मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने बहुमत द्वारा की जाने वाली 'अनंत वृद्धि'



असम में रेशम के कपड़े बुनने का कांदे

की चर्चा के खिलाफ आवाज उठाई है। वे तकनीक की जादुई छड़ी ने खतरनाक नए तेवर के साथ 'वृद्धि की सीमाओं' की स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, जिनसे पृथ्वी पर बात कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी जीवन का अस्तित्व ही जोखिम में पड़ गया

है। लोकतांत्रिक देशों में भी दबंग राजनीतिक नेतृत्व ने राजनीतिक, पर्यावरणवादी और परिस्थितिकी प्रेमियों को भगाकर शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया है। गांधी जी का स्वदेशी दृष्टिकोण ऐसी परिस्थितियों में नई दृष्टि और संभावित समाधान दे सकता है।

भारत और अधिकतर विकासशील देशों के सामने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी समस्याएँ हैं। समस्याएँ अक्सर एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं और उनका अलग-अलग समाधान नहीं किया जा सकता। यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि मूल समस्या प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की है। तकनीकी रूप से उन्नत देशों का औद्योगिकरण के समय से ही दबदबा रहा है। दो विश्व युद्धों ने दुनिया की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। नए आजाद हुए देशों में विकास के लंचे अरमान हैं, लेकिन उन्हें निम्न स्तर की और प्रदूषणकारी तकनीकें थमाई गईं और अब भी दी जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन अब वास्तविकता बन चुका है और भूराजनीति ऐसा आकार ले रही है, जिससे सतत विकास के लक्ष्यों के बावजूद अस्थिरता बढ़ेगी।

गांधी जी और स्वदेशी

गांधी जी का स्वदेशी का विचार लंबे चिंतन और मनन का परिणाम था। इंग्लैंड में

**परम एवं अलौकिक भाव में
स्वदेशी मनुष्य की आत्मा को
सांसारिक बंधनों से अंतिम मुक्ति
देना है। ...इसका समर्थक प्रथम
कर्तव्य के रूप में खुद को अपने
पड़ोसी की सेवा में समर्पित कर
देगा। इसमें शेष के हित को
अलग रखना या उसका बलिदान
करना भी शामिल है किंतु केवल
बलिदान ही स्पष्ट होगा। पड़ोसी
की निष्काम सेवा से कभी दूर
रहने वालों का अहित नहीं
हो सकता...**

युवा छात्र और दक्षिण अफ्रीका में बकील ने औद्योगिक समाज के जोखिम देखे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर उनका निबंध मानी जाने वाली हिंद स्वराज 1909 में आई और उसमें आधुनिक सभ्यता की उचित आलोचना थी। हिंदुस्तान दर्शन ने उन्हें अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का भान हुआ। नौरोजी के साथ बातचीत और आर. सी. दत्त की पुस्तकें पढ़ने से उन्हें हिंदुस्तान की मानसिकता पूरी तरह बदलने की जरूरत महसूस हुई। टॉलस्टॉयं

फार्म और फीनिक्स आश्रम पाश्चात्य सभ्यता का उनके जवाब थे। भारत वापसी के बाद कोचरब में उनके आश्रम और बाद में अहमदाबाद में साबरमती में उनके सत्याग्रह आश्रम ने स्वावलंबन तथा स्वराज के लिए स्वदेशी के उनके विचार को आकार दिया। स्वदेशी का पहला उल्लेख 1905 में और आखिरी जिक्र 1947 में हुआ। उन्होंने इंडियन ओपिनियन में लिखा, इस बार बंगाल में वास्तव में जागृति दिखती है... केवल स्वदेशी वस्तुएँ खरीदने-बेचने का आंदोलन तेजी से मजबूत हो रहा है।

पिछले वर्ष के बहीखाते देखते हुए गांधी जी ने लिखा,

“... स्वदेशी का बहुत व्यापक और गहन अर्थ है। इसका मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल भर नहीं है। ...इसमें एक और अर्थ छिपा है, जो अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का अर्थ है अपनी ताकत पर निर्भर रहना। ‘अपनी ताकत’ का मतलब है शरीर, मन और आत्मा की ताकत... आत्मा सर्वोपरि है और इसीलिए आत्मा की शक्ति से ही मनुष्य का निर्माण होता है।

वह स्वदेशी को भारत की आर्थिक मुक्ति की कुंजी मानते थे।

स्वदेशी के प्रण का उचित तरीके से पालन करने के लिए हाथ से काते सूत से



डांडी मार्च (1930)

“स्वदेशी का मतलब, आपके लिए यह होना चाहिए कि आप अपनी जरूरतों की देखभाल करें। बंबई को कोई विचार न दें। मेरी देशभक्ति मुझे बताती है कि मुझे पहले अपना घर और फिर अपना शहर और फिर अपना प्रांत बनाना होगा। मैं आपको बता दूं कि, अपने 25 कताई-पहियों के साथ, आप इस ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में खुद का एक अच्छा लेखा-जोखा नहीं दे पाएंगे।”

स्वदेशी वॉल्यूम 20, पृष्ठ 125

हाथ द्वारा बुने गए कपड़े इस्तेमाल करना जरूरी है। ... मैं कहूंगा कि स्वदेशी का ही प्रयोग करने का वचन केवल स्वदेशी कपड़ों से पूरा नहीं होगा। उन्हें अन्य वस्तुओं में भी स्वदेशी के हरसंभव प्रयोग का वचन लेना होगा... और जब स्वदेशी का यह मंत्र प्रत्येक कान में गूंजेगा तो लाखों लोगों के हाथों में भारत की आर्थिक मुक्ति की कुंजी आ जाएगी... अंग्रेजी अर्थशास्त्र की नकल से हम बर्बाद ही होंगे।”

गांधी जी ने स्वदेशी के कानून को सबसे बड़ा कानून बताया। उन्होंने लिखा,

“परम एवं अलौकिक भाव में स्वदेशी मनुष्य की आत्मा को सांसारिक बंधनों से अंतिम मुक्ति देना है। ...इसका समर्थक प्रथम कर्तव्य के रूप में खुद को अपने पड़ोसी की सेवा में समर्पित कर देगा। इसमें शेष के हित को अलग रखना या उसका बलिदान करना भी शामिल है किंतु केवल बलिदान ही सप्त होगा। पड़ोसी की निष्काम सेवा से कभी दूर रहने वालों का अहित नहीं हो सकता... दूसरी ओर जो व्यक्ति दूरी में उलझ जाता है और सेवा के लिए धरती के दूसरे छोर की ओर भागता है, उसकी महत्वाकांक्षा तो विफल हो ही जाती है, पड़ोसी की सेवा में भी वह नाकाम रहता है... स्वदेशी अपने विशुद्ध भाव में संसार की सेवा की पराकाष्ठा है।

स्वदेशी का समर्थक अपने आसपास के माहौल को सावधानी से परखेगा और स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं को वरीयता देते हुए अपने पड़ोसी की यथासंभव सेवा करने का प्रयास करेगा... लेकिन यदि स्वदेशी को अंधभक्ति की गई तो किसी भी अन्य वस्तु की तरह वह भी समाप्त हो जाएगा। विदेशी विनिर्माताओं को केवल विदेशी होने के कारण खारिज करना और

अपने देश के ऐसे विनिर्माताओं - जो उपयुक्त नहीं हैं - को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र का समय और धन खर्च करते रहना अपराध है और स्वदेशी की भावना के विपरीत है।”

गांधी का स्वदेशी का विचार उन्हें उनके आदर्श गांव तक ले गया। 28 जुलाई, 1946 को एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था,

“प्रत्येक गांव पूर्ण शक्ति वाला गणतंत्र या पंचायत होगा। इसीलिए प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और अपना काम खुद संभालने में सक्षम होना पड़ेगा... अंत में व्यक्ति ही इकाई है। पड़ोसियों अथवा दुनिया पर निर्भरता और मदद इससे बाहर नहीं है। यह पारस्परिक शक्तियों का मुक्त एवं स्वैच्छिक कार्य होगा... प्रत्येक पुरुष और महिला जानते हैं कि उनकी क्या इच्छा है और जानते हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु की इच्छा करनी चाहिए, जिसे अन्य लोग बराबर श्रम के बांग्रे प्राप्त नहीं कर सकते।”

स्वदेशी का बहुत व्यापक और गहन अर्थ है। इसका मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल भर नहीं है। ...इसमें एक और अर्थ छिपा है, जो अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण है।

स्वदेशी का अर्थ है अपनी ताकत पर निर्भर रहना। ‘अपनी ताकत’

का मतलब है शरीर, मन और आत्मा की ताकत... आत्मा सर्वोपरि है और इसीलिए आत्मा की शक्ति से ही मनुष्य का निर्माण होता है। वह स्वदेशी को भारत की आर्थिक

मुक्ति की कुंजी मानते थे।

“असंख्य गांवों से बने इस ढांचे में हमेशा बड़े होने वाले, कभी न पार किए गए दायरे होंगे। जीवन पिरामिड के समान नहीं होगा, जिसमें आधार के सहारे शिखर टिका होता है। उसके बजाय यह समुद्र के बलय के समान होगा, जिसका केंद्र वह व्यक्ति होगा, जो गांव के लिए बलिदान करने को हमेशा तैयार रहेगा, गांव अन्य गांवों के चक्र के लिए बलिदान को तब तक तैयार रहेगा, जब तक वह व्यक्तियों से बना एक जीवन नहीं बन जाता, जो कभी घमंडी और आक्रामक नहीं होंगे बल्कि विनम्र रहेंगे और उस समुद्री बलय ऐश्वर्य को साझा करेंगे, जिसकी बे अटूट इकाई है।”

दिल्ली में 20 जून, 1947 को एक प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा,

“मैं कहना चाहता हूं कि आज हम स्वदेशी को भूल गए हैं। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि यदि हम विदेशी तौर-तरीकों की नकल करेंगे तो स्वशासन की बात करना व्यर्थ है। हमारा नुकसान करने वाला, हमें भूखा रखने वाला स्वदेशी नहीं है।”

कृपलानी जी के लिए स्वदेशी सार्वभौमिक घटना थी। उनके अनुसार निजी पक्षों के बीच मुक्त व्यवहार का पक्ष लेने वाले देशों में भी स्वदेशी का अलिखित कानून चलता है। न तो पूंजीवाद और न ही समाजवाद से सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता एवं राष्ट्रीय एकात्मता के उद्देश्य एक साथ पूर्ण छो सकते हैं। गांधी ने विकेंद्रीकरण को केंद्र मानने वाली नई लोकतात्रिक प्रकृति और निष्पक्ष प्रणाली पर आधारित समाज का सपना देखा था।

गांधीवादी अर्थशास्त्री जे. सी. कुमारपा के लिए ‘कुटीर उद्योग’ उत्पादन का एक तरीका भर नहीं था बल्कि एक अर्थव्यवस्था के समान था, जो उसका अखंड हिस्सा थी। ...मूल्य और मूल्यांकन मानव प्रगति के रथ को खींचने वाला जोड़ा था। उन्होंने कहा, “जिन पैमानों पर हम किसी को तैलते हैं, वे संपूर्ण नहीं हैं। हम अक्सर कम कीमत देखकर वहक जाते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसी अदूरदर्शी पसंद से हमारे आर्थिक एवं सामाजिक संगठनों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। हमारे पड़ोसियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं में ऐसे मूल्य होते हैं, जो कीमत में नहीं दिखते।”

गांधी जी के सहयोगी नरहरि पारिख ने अपनी पुस्तक मानव अर्थशास्त्र में कहा कि

स्वदेशी का विचार गांधीवादी विचारधारा का एक स्तंभ है। इसमें भारी पैमाने पर उत्पादन का विरोध किया गया। कृषि प्राथमिक व्यवसाय और आय का स्रोत था और ग्रामोद्योग सहायक भूमिका निभाते थे। बेहतर जीवन स्तर पर सबाल उठाते हुए उन्होंने दलील दी कि टॉर्च लाइट या कलाई घड़ी या फाउटेन पेन रखने को उच्च स्तर नहीं मानना चाहिए। आज वही बात सेल-फोन या मोटरबाइक के लिए कही जा सकती है। गरीबों को पर्याप्त भोजन, सब्जियां और दूध-घी मुहैया कराना अधिक अहम है।

दिलचस्प है कि गांधी जी समेत किसी ने भी स्वदेशी ब्रांड का समर्थन नहीं किया। मूल बात है जरूरत पड़ने पर उचित तकनीक का प्रयोग कर आत्मनिर्भर स्थानीय उत्पादन प्रणालियों से विकास करना। स्वदेशी का अर्थ है मूल आवश्यकताओं और आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय का प्रयोग।

आज के समय में स्वदेशी

अब यह पूछने का समय है कि क्या गांधी जी का स्वदेशी आज के संकट का समाधान दे सकता है? अर्थशास्त्र प्रमुख व्यवस्था हो गया है, इसलिए समाधान भी अर्थशास्त्र से ही आरंभ होना चाहिए। स्वदेशी मानसिकता है, इसीलिए वह गैर आर्थिक तत्व है। लेकिन ऐसा तो तकनीक के साथ भी है! और आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में बाहरी कारकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाजार के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्थाएं अधिक से अधिक भौतिक समृद्धि का प्रयास करती हैं। दुनिया के वैश्वीकरण का मतलब है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रचलित और समर्थित जीडीपी वृद्धि उदाहरणों को अपनाना। इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश एवं पूँजी प्रवाह के जरिये अधिक अर्थिक लेनदेन की

मदद से देशों के बीच आर्थिक संवाद अथवा एकीकरण बढ़ाने वाली आर्थिक घटना कहते हैं। आर्थिक लेनदेन से होने वाली जटिलताओं का समाधान करने के लिए तकनीक इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है (आयंगर, 2005)। इसमें उत्पाद तथा खपत के माहौल तथा पर्यावरणीय आचरण को सिरे से नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांधी की स्वैच्छिक गरीबी का मतलब था कि समाज के संपन्न तबके को संयम भरे और पितृसुलभ मूल्यों द्वारा अपने उपभोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। गांधीवादी विचारक रावल इसे 'गांधी प्रभाव' कहते हैं।

गांधी जी के लिए ग्राम स्तर की आत्मनिर्भरता से स्थानीय स्तर पर उत्पादन के लिए अधिकतम अवसर मिल रहे थे। चूंकि वह प्रत्येक मानव की गरिमा के लिए जीते और काम करते रहे, इसलिए इससे अधिक मानवीय तरीके से निपटना था। उन्होंने इसे ब्रेड लेबर कहा। उनकी आत्मनिर्भरता में व्यक्ति के अपने श्रम से जीवन की आवश्यकताएं उत्पन्न होती थीं या ऐसी वस्तुएं उत्पन्न होती थीं, जिनसे आवश्यकताएं पूरी हों। शूमाकर मानते थे कि बड़े स्तर पर उत्पादन के बजाय बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन होना चाहिए। भारी उत्पादन हिंसक भी होता है, पारितंत्र को नुकसान पहुंचाता है और अक्षय स्रोतों के अनुकूल नहीं होता तथा मानव को निरथक बना देता है।

गांधी जी के लिए स्थानीय आवश्यकताएं ही कुंजी थीं। इच्छाएं सीमित करने से उत्पादक को संकेत मिलता और उत्पादन की प्रणाली उपभोक्ता को राह दिखाती। एलिवन टॉफलर थर्ड वेब की बात करते हुए प्रोज्यूमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रोज्यूमर उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। गांधी जी के लिए भारत की आर्थिक संघटना का आदर्श 'एक साथ तभी महसूस किया जा सकता है, जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के उत्पादन के तरीके जनता के नियंत्रण में रहें।' उनके लिए व्यापार मुक्त नहीं निप्पक्ष होना चाहिए। निप्पक्षता आंकने के लिए गांधी जी केवल दक्षता का पैमाना नहीं अपनाते थे बल्कि वह निप्पक्षता के पैमाने पर जाते थे, जो नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी जी ने वैकल्पिक एवं मानवीय अर्थव्यवस्था के आदर्श खोजे और बताए, जिनके केंद्र में स्वदेशी का सिद्धांत

था। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उन्होंने व्यक्ति के नैतिक विकास में विश्वास किया, जो अनापशनाप उपभोग को नियंत्रण में रखकर और विकेन्द्रीकृत उत्पादन व्यवस्था के जरिये मानवीय गरिमा में परिलक्षित होता था ताकि आत्मसम्मान और सच्चे अधों वाला जीवन जिया जा सके। अंत में भारतीय मानवता को एक बार प्रयास करने की जरूरत है। □

संदर्भ


- आयंगर कृपलानी, 1987, गांधी विचार विमर्श (गुजराती में), श्रवण दस्त
- भारत सरकार, 2000, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 1 एवं 4 (संशोधित संस्करण), प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- सुदर्शन आयंगर, 2005, गांधीज इकनॉमिक थॉट एंड मॉडल इकनॉमिक डेवलपमेंट: समरिप्लेक्शन्स, वर्किंग पेपर नंबर 1, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सूरत
- नरहरि पारिख, 2004, संक्षिप्त मानव अर्थशास्त्र (गुजराती में), गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
- एम. एन. रावल, 1971, 'कॉटेटमेंट एंड कॉटेटमेट ऑफ वॉर्क्स - 31 सजेस्टेड इंटरप्रिटेशन', एम. एन. रावल एवं अन्य (संपादक) नी 'गांधीज इकनॉमिक थॉट्स एंड इट्स रेलिंगेस एट ब्रेंजेट' में, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत
- ई. एक. शूलाकर, 1973, स्माल इज ब्यूटिपूल, हार्पर एंड रो पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क
- एलिवन टॉफलर, द थर्ड वेब, वाइकिंग प्रेस, न्यूयॉर्क
- जे. सी. कुमारप्पा, 1958, इकनॉमिक्स ऑफ परमानेंस, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ प्रकाशन
- राघवन अच्यर, 2003, द इंसीशनल राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,
- महात्मा गांधी समग्र एंडनोट
- एमआईटी ने 1972 में लिमिट्स दु ग्रोथ नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें खाली होते प्राकृतिक संराखनों का मसला विश्व मंच पर रखा गया।
- कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 5, पृष्ठ 114, इंडियन ओपिनियन, 2 जनवरी, 1909
- कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 15, पृष्ठ 198-199, बॉम्बे कॉन्विक्ल, 18 अप्रैल, 1919 और न्यू इंडिया, 22 अप्रैल, 1919
- कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 16, पृष्ठ 134, यंग इंडिया, 17 सितंबर, 1919
- कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 46, पृष्ठ 254-256, नवजीवन में 31 मई, 1931 में प्रकाशित, प्यारेलाल द्वारा ओजी में अनूदित।



स्वच्छाग्रह की रोशन होती मशाल

अक्षय राउत

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान - संकल्प, जनआंदोलन, अमदान जैसे गांधी जी के आवश्यों से प्रेरित है और यह स्वच्छता की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। साल 2017 के दौरान 'स्वच्छता ही सेवा' में तकरीबन 10 करोड़ भारतीयों ने हिस्सा लिया और 2018 में यह आंकड़ा सीधा दोगुना यानि 20 करोड़ हो गया।



नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता अधिकारण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा अन्य गणराज्य व्यक्ति

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती करीब है। गांधी जयंती को गूंज दुनियाभर में सुनाई पड़ सके और उनके जीवन का संदेश भी तमाम जगहों तक पहुंच सके, इसके लिए देश की 1.25 करोड़ आवादी पूरी तैयारी में जुटी है। देश की हवाओं में जश्न का माहौल है। उपलब्धियों, आत्मविश्वास और उत्सुकता का ऐसा वातावरण पहले कभी नहीं देखा गया था। आखिरकार, बापू को याद कर और उनकी बातों पर ज्यादा से ज्यादा अमल कर भारत की आत्मनिर्भरता का स्तर और मजबूत हुआ है और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इन तमाम चर्चों में भारत और यहां

तक कि पूरी दुनिया, अपनी प्राथमिकताओं के नए सिरे से निर्धारण और जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए साबरमती के संत की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को खोजती रही है।

गांधी जी ने कहा था, "मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।" उनका यह कथन हमें उस मार्ग की तरफ ले जाता है, जहां बेहतर समाज, बेहतर देश और बेहतर इंसान बनने का सूत्र मौजूद है। गांधी जी के जीवन से सीखने वाली तमाम बातों में हम स्वच्छता पर उनके बेमिसाल काम को भी याद कर सकते हैं। उन्होंने यह पहल 100 साल से भी अधिक पहले की थी, जब वह 1893

में पहली बार वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां नस्लीय भेदभाव और शोषण के खिलाफ उन्होंने दो दशकों तक संघर्ष चलाया। हालांकि, जब उन्होंने स्वच्छता को भी अपने अभियान में शामिल किया, तो उनके इस संघर्ष में इससे भी काफी फायदा मिला। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आगे दो दशक के प्रवास के दौरान लोगों को एकजूट करने के लिए 'सत्याग्रह' जैसे उपायों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया। उन्होंने स्वच्छता को हमेशा प्राथमिकता दी, चाहे वह किसी भी जगह, समृद्धि या लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों। उनका कहना था कि "हर किसी को अपना मेहतर होना चाहिए!" गांधी जी ने

अपने इस विचार को फीनिक्स और टॉलस्टॉय आश्रमों में लागू किया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने इसी देश में ये दोनों आश्रम स्थापित किए थे।

गांधी जी के इस अभियान को एक सदी से भी अधिक गुजर जाने के बाद 'सत्याग्रह' और 'स्वच्छता' से जुड़ी उनकी मान्यताओं की भारत में बड़े पैमाने पर चापसी हुई। पांच साल पहले इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्र ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी नेतृत्व में दुनिया से एक साहसिक वादा किया। यह वादा देश के सभी नागरिकों को स्वच्छता मुहैया कराने और भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने में जुड़ा था। इस वादे का मकसद महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी था।

स्वच्छ भारत अभियान शुरू रूप से गांधीवादी विचारों की उपज था। स्वच्छता अभियान में जन-आंदोलन का प्रयोग स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लोगों को इकट्ठा करने के गांधी जी के प्रेरणादायी तौर-तरीकों से प्रेरित था। इस अभियान में स्वच्छाग्रही, स्वच्छता के नए वाहक बने और उन्होंने पुराने सत्याग्रहियों की तरह स्वच्छता पर जोर दिया। स्वच्छ भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण आह्वान-

'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' रहा है। अप्रैल 2018 में चंपारण में स्वच्छाग्रहियों का एक सम्मेलन हुआ। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के मौके पर यह सम्मेलन हुआ था।

गांधी जी ने स्वच्छता की मशाल भारत में भी जलाए रखी और तत्कालीन हालात का जायजा लेने के लिए देशभर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि तमाम समुदायों और धर्मों के लोगों के बीच स्वच्छता की स्थिति काफी दयनीय थी। यह देखकर वह अचंभित और निराश हुए। उनका कहना था, "स्वतंत्रता के लिए कुछ समय तक इंतजार किया जा सकता है, लेकिन स्वच्छता के लिए ऐसा करना संभव नहीं है।" उन्होंने स्वच्छता को 'सबसे बड़ा धर्म' बताया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाले किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय वेदना को कुछ इस अंदाज में आवाज दी, "क्या हमें कभी इस बात से तकलीफ हुई है कि आज भी हमारी माताएं और बहनें खुले में शौच के लिए मजबूर हैं? क्या महिलाओं का सम्मान हमारी सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं है? हमें इस दाग को हटाना होगा। हमें कम से कम अपनी माताओं और बहनों के सम्मान के लिए ऐसा करना चाहिए।"

प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक आह्वान का मकसद खुले में शौच करने वाले 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के व्यवहार में बदलाव की शुरुआत करना था। काफी बड़ी आबादी के लिए 5 वर्षों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का लक्ष्य हासिल करने योग्य लम्बे लगा। भारत में उस वक्त ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की पहुंच महज 39% आबादी तक थी और वैश्विक स्तर पर खुले में शौच करने वालों का 50% से भी ज्यादा हिस्सा भारत में था। देश के भौगोलिक विस्तार, विविधता और क्षेत्रीय चुनौतियों के कारण यहां खुले में शौच की समस्या से निपटना बड़ा काम था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत साल 2030 तक समग्र स्वच्छता हासिल करना इस बात पर निर्भर था कि भारत इस मोर्चे पर क्या कर सकता था और क्या नहीं कर सकता था।

गांधी जी की प्रेरणा से ही प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। देश को खुले में शौच की समस्या से मुक्त करने और गांधी जी के सपनों का स्वच्छ भारत बनाने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद अगले पांच वर्षों में इस मोर्चे पर अभूतपूर्व




ग्रामीण समुदाय को प्रेरणा देतीं अनेक महिला स्वच्छाग्रही

सामुदायिक गोलबंदी देखने को मिली। इसमें राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक फंड, बेहतर सम्बन्ध और लोगों को भागीदारी के जरिये बड़ी सफलता देखने को मिली।

इस अभियान की शुरुआत एक सरकारी कार्यक्रम के तहत हुई और धीरे-धीरे इसने दुनिया के एक बड़े जन-आंदोलन की शक्ति अखियार कर ली। अभियान के दौरान सभी स्तरों पर नेताओं, स्वयंसेवकों और अन्य लोगों का उभार देखने को मिला। ग्राम सरपंच और स्वच्छाग्रहियों ने इस अभियान को रास्ता दिखाया। इसे व्यवहार में बदलाव से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया गया। स्वच्छ भारत अभियान जमीनी स्तर पर लाखों-करोड़ों लोगों की जबरदस्त मेहनत का नमूना है।

स्वच्छ भारत मिशन प्रमुख रूप से महिलाओं के साथ खड़ा है और इस प्रक्रिया में वे नेतृत्व वाली भूमिका निभाते हुए सम्मान और सशक्तीकरण भी हासिल कर रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं न सिर्फ स्वच्छता पर चर्चा के लिए बाहर निकलीं, बल्कि उन्होंने शौचालय बनवाने के लिए मुहिम छेड़ने की खातिर बाकी महिलाओं को भी प्रेरित किया। देश के कई हिस्सों में शौचालय को 'इन्जिन घर' का नाम दिया गया है। बच्चों और युवाओं ने इस अभियान में बड़े पैमाने पर सहयोग दिया। उन्होंने स्वच्छता को अपने व्यवहार में शामिल किया और इस अभियान के लिए श्रमदान भी किया। साथ ही, जनता को इकट्ठा करने से जुड़े अभियान में ये लोग बड़े पैमाने पर शामिल हुए। कई स्थानों पर स्कूली बच्चों ने बदलाव के एजेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है। इन बच्चों ने 'मुझे स्वच्छता चाहिए' मांग के साथ माता-पिता और स्कूल प्रबंधन को स्वच्छता को अनिवार्यता के बारे में सक्रिय किया। बच्चों ने इस सिलसिले में बेहद सक्रियता के साथ सुबह की निगरानी का काम संभाला और सीटी और टॉर्च की रोशनी की मदद से खुले में शौच करने वाले छिप्पुट लोगों को बापस शौचालय भेजा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो लक्ष्य हासिल किए गए, वे बाकई में हैरान करने वाले हैं। इस अभियान के तहत 10 करोड़ से ज्यादा निजी शौचालयों का निर्माण किया गया है और सभी 699 जिलों और 35



स्वच्छ सुंदर शौचालय - ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की देख-रेख और सुंदर बनाने की एक यहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकरीबन खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। अब यह लक्ष्य महज कुछ दशमलव प्रतिशत से दूर है। निश्चित तौर पर भारत खुले में शौच से मुक्ति के मोर्चे पर हासिल उपलब्धियों के आधार पर संतुष्ट होकर नहीं बैठा जा सकता। अब इस अभियान को और मेहनत के साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन जैसे बड़े लक्ष्य को तरफ बढ़ाना होगा।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की महत्वपूर्ण भूमिका के जिक्र के बिना स्वच्छ भारत मिशन अभियान की सफलता की कहानी अधूरी है। आईईसी स्वच्छ भारत मिशन की आत्मा है और इसने इस जटिल अभियान को बेहद आसान बना दिया। तकरीबन 4.5 लाख स्वच्छाग्रहियों ने जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत संवाद-संचार का सहारा

स्वच्छ भारत अभियान का बुनियादी सिद्धांत यह है कि स्वच्छता का संबंध हर किसी से है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कई बार रेखांकित किया है। इसमें सबका सहयोग जरूरी है। पिछले 5 साल में कोई भी शाखा इस अभियान से अछूता नहीं है। सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों स्तरों पर लोग इससे जुड़े हुए हैं। सिविल सोसायटी, उद्योग जगत, मीडिया, अकादमिक संस्थान सभी इस अभियान से जुड़े हैं। स्वच्छता परिवार, स्वच्छता कार्य योजना के अलावा स्वच्छता आदर्श स्थल और नमामि गंगे जैसी विशेष परियोजनाओं से देशभर में स्वच्छता के स्तर में काफी सुधार हुआ है। यह सुधार

इस अभियान से जुड़े हैं।

लेते हए दूर-दराज के गांवों और अन्य हिस्सों में काम किया और समुदायों में व्यवहार संबंधी बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। देशभर में व्यक्तिगत स्तर पर संचार-संवाद के सहरे अभियान की रूपरेखा तैयार की गई और जनजागरूकता के लिए नियमित तौर पर यह अभियान चलाया गया। इनमें 'स्वच्छता ही सेवा' और 'स्वच्छ शक्ति' जैसे अभियान प्रमुख हैं। महात्मा गांधी के चश्मे वाला स्वच्छ भारत का विचारोत्तेजक 'लोगों' आज देश के तमाम गांवों, शहरों, गलियों आदि में आसानी से देखा जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान की एक खूबी, कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता अभियान के दौरान चीजों के बारे में व्यावहारिक तौर पर जानकारी प्रदान करना है। साथ ही, प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक भाषणों और रेडियो पर आने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम में स्वच्छ भारत पर प्रमुखता से बात की है।

स्वच्छ भारत अभियान का बुनियादी सिद्धांत यह है कि स्वच्छता का संबंध हर किसी से है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कई बार रेखांकित किया है। इसमें सबका सहयोग जरूरी है। पिछले 5 साल में कोई भी शाखा इस अभियान से अछूता नहीं है। सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों स्तरों पर लोग इससे जुड़े हुए हैं। सिविल सोसायटी, उद्योग जगत, मीडिया, अकादमिक संस्थान सभी इस अभियान से जुड़े हैं। स्वच्छता परिवार, स्वच्छता कार्य योजना के अलावा स्वच्छता आदर्श स्थल और नमामि गंगे जैसी विशेष परियोजनाओं से देशभर में स्वच्छता के स्तर में काफी सुधार हुआ है। यह सुधार

सार्वजनिक स्थानों से लेकर पर्यटन केंद्रों तक, तमाम जगहों पर देखने को मिला है। जिन विभागों का स्वच्छता से सीधा कोई संबंध नहीं है, वे भी इस अभियान में योगदान कर रहे हैं। स्वच्छ भारत कोष के लिए बड़े पैमाने पर निजी चंदा मिल रहा है। स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप जैसे कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों के छात्र भी गांवों की सफाई के अभियान से जुड़े रहे हैं। यह अपने आप में काफी अच्छी बात है। देश की स्वच्छता यात्रा में अक्टूबर 2018 मील का पत्थर साबित हुआ। इस दौरान भारत ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ-साथ 70 देशों से भी ज्यादा के मंत्रियों और स्वच्छता विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये प्रतिनिधि स्वच्छ भारत मिशन की प्रेरणादायी यात्रा से कुछ सीखने और इस क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने यहां पहुंचे थे। इन महानुभावों ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत तमाम प्रतिनिधियों ने सभी लोगों के लिए स्वच्छता को लेकर संयुक्त प्रतिबद्धता जताई।

2 अक्टूबर की तारीख करीब है और देश वह बाद पूरा करने के लिए तैयार है, जो उसने 5 साल पहले किया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि के तहत राष्ट्र को खुले में शैन्च से मुक्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि, अगर हमें भारत जैसे बड़े राष्ट्र में वर्षों की जमीं गंदगी साफ कर सर्वांगीण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमारे पास खड़ा होकर सोचने का बक्त नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में भारत को खुले में शैन्च से मुक्त करने के लिए राष्ट्र को सलाम किया। साथ ही, उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 से स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के लिए नया जन-आंदोलन शुरू करने आहान करते हुए हर किसी से इस अभियान से जुड़ने का अनुरोध किया। इस बारे में उनका कहना था, “इस 2 अक्टूबर को क्या हम भारत को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त कर सकते हैं? हम आगे बढ़ें, घरों, स्कूल, कॉलेज से बाहर निकलें और टीम बनाएं। आदरणीय बापू को



याद करते हुए हमें घरों से बाहर निकलकर घरों, गलियों, चौक और नालों से एक-एक प्लास्टिक चुनकर इकट्ठा करना चाहिए।” एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए नगर निकायों, ग्राम पंचायतों को व्यवस्था करनी चाहिए। भारत को एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के मकसद से क्या हम 2 अक्टूबर को पहला बड़ा कदम उठा सकते हैं?

एक अनुमान के मुताबिक, भारत हर साल 95 लाख टन प्लास्टिक पैदा करता है। इसमें से 38 लाख टन प्लास्टिक इकट्ठा नहीं हो पाता। इनमें से ज्यादातर हिस्सा एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक का होता है और इस तरह के प्लास्टिक कचरे के ढेर, नदियों और अन्य जगहों पर जागह बना लेते हैं। हमारी जमीन, पानी, हवा, खाना, सब कुछ ऐसे प्लास्टिक के बुरे प्रभाव में है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में कैरी बैग और अन्य पैकिंग सामग्री, सजावट वाले सामान आदि शामिल हैं, जिन्हें इकट्ठा कर रीसाइकल करने या हटाने की जरूरत है। ऐसा नहीं किए जाने पर इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचेगा। हमारे देश में रोजाना 22,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता और इसे इकट्ठा करना मुश्किल है। तकरीबन 10,000 टन कचरा कभी इकट्ठा नहीं होता।

इस सिलसिले में प्रधानमंत्री की घोषणा बिल्कुल सही समय पर हुई है। यह एक दीर्घकालिक समस्या है और इससे निपटने के लिए निर्णायक पहल बेहद जरूरी है। सितंबर को ‘स्वच्छता ही सेवा’ की औपचारिक

शुरुआत से ठीक पहले मथुरा में महिलाओं के एक समूह के साथ बैठक में भी उन्होंने इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया। प्लास्टिक कचरे को अलग करने से जुड़े अभियान के सिलसिले में यह बैठक हुई थी। इस मामले में सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने देशभर के 4 लाख से भी ज्यादा सरपंचों और स्वच्छग्रहियों को चिट्ठी लिखकर एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ अभियान की अगुवाई करने का अनुरोध किया है। इन चिट्ठियों को ग्राम सभा की बैठकों में पढ़ा गया है, ताकि इस अभियान को लेकर प्रतिबद्धता के बारे में लोगों को बताया जा सके। दरअसल, प्रधानमंत्री के आहान के बाद कई संगठनों और प्रतिष्ठानों ने एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक से नाता तोड़ने का फैसला किया और इसका विकल्प ढूँढ़ने की दिशा में आगे बढ़े।

‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान - संकल्प, जनआंदोलन, श्रमदान जैसे गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित है और यह स्वच्छता की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। साल 2017 के दौरान ‘स्वच्छता ही सेवा’ में तकरीबन 10 करोड़ भारतीयों ने हिस्सा लिया और 2018 में यह आंकड़ा सीधा दोगुना यानि 20 करोड़ हो गया। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2019 में अपने ‘मन की बात’ संबोधन में देश के नागरिकों से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019 के दौरान ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और उसके निपटारे के लिए श्रमदान देने का अनुरोध किया था। प्लास्टिक कचरे के खिलाफ अभियान के तहत जन-आंदोलन का एक नया अध्याय अभी तुरंत शुरू हुआ है। पिछली बार खुले में शैन्च से मुक्ति के तहत कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। ‘स्वच्छता ही सेवा’ के दौरान हमारे द्वारा अपने-अपने स्तर पर की गई कोशिशों के बाद गांधी जयंती जैसा बेहद खास मौका होगा। इस अवसर पर भारत को खुले में शैन्च से मुक्त घोषित किया जाएगा। इस दिन हम सतत प्रेरणा के लिए महात्मा को नमन करते हैं और इस दौरान यह ख्याल भी आता है कि बापू स्वच्छ भारत के अपने सपनों को पूरा होते देख कितने खुश होते!

खादी की समस्या और भोजन का प्रबंध

विनय कुमार सक्सेना

खादी के लिए चूंकि किसी खर्च या पूँजी की ज़रूरत नहीं थी, अतः गांधी जी ने विदेशी शासन के प्रतीक विदेशी माल पर निर्भरता खत्म करने के लिए इसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि एक ऐसे देश में, जहां हाथ से श्रम करने को इन्जिन से न देखा जाता हो, खादी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अमीर और गरीब को एक साथ लाने का काम कर सकती है। गांधी के खादी आंदोलन के पीछे राजनीतिक कारण की बजाए आर्थिक और सामाजिक कारण अधिक महत्वपूर्ण थे।

महात्मा गांधी ने भारत के गांवों में रहने वाले निर्धन समुदायों के लिए राहत कार्यक्रम के रूप में 1918 में खादी आंदोलन प्रारंभ किया। कताई और बुनाई को बहुत शीघ्र आत्मनिर्भरता और स्व-शासन की विचारधारा के रूप में देखा जाने लगा। महात्मा गांधी के आहान के बाद प्रत्येक गांव ने सूत के लिए स्वयं का कच्चा माल पैदा करने को ध्यान में रख कर कपास की खेती करना शुरू कर दिया। सभी महिलाएं और पुरुष क्रमशः कताई बुनाई के काम में लग गए ताकि स्वयं के इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पूरी की जा सके।

खादी के लिए चूंकि किसी खर्च या पूँजी की ज़रूरत नहीं थी, अतः गांधी जी ने विदेशी शासन के प्रतीक विदेशी माल पर निर्भरता खत्म करने के लिए इसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि एक ऐसे देश में, जहां हाथ से श्रम करने को इन्जिन से न देखा जाता हो, खादी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अमीर और गरीब को एक साथ लाने का काम कर सकती है। गांधी के खादी आंदोलन के पीछे राजनीतिक कारण की बजाए आर्थिक और सामाजिक कारण अधिक महत्वपूर्ण थे।


गांधी जी ने जब यह कहा कि "खादी भूखे पेटों को भोजन देती है और आपको वेशभूषा उन मूल्यों का ध्वज बन जाती है, जो आपने मन में संजोए हैं," तो इसका अर्थ बहुत व्यापक था। चूंकि गांधी के लिए, खादी स्वदेशी का प्रतीक है, जनता के लिए यह

अपने आप में एक भावना में बदल जाती है, जो उसे इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित करती है और अपने आसपास के परिवेश के लोगों और उनकी सेवा को बहिष्कृत करने से रोकती है।

गांधी जी का हमेशा यह विश्वास रहा कि व्यापक जन समुदाय में घोर गरीबी का एक बड़ा कारण आर्थिक और औद्योगिक जीवन में स्वदेशी से दूरी बनाना रहा है। उन्होंने परिकल्पना की कि स्वदेशी को भी किसी अन्य नेक वस्तु की भाँति मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का साधन बनाया जा सकता है, बशर्ते, उसे पूँजीय वस्तु समझा

जाए, और यहां खादी की भूमिका प्रारंभ होती है, जो निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी जड़ें विशुद्ध अहिंसा में हैं, जो खतरे से राष्ट्र की रक्षा करती हैं।

स्वदेशी का अर्थ है, जब कोई देश अपनी ज़रूरत की सभी चीजें स्वयं के संसाधनों से पैदा करे। प्रत्येक गांव/क्षेत्र अपने स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उत्पादन करता है। गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी धर्म यह मांग करता है कि भारत को सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को वरीयता देनी चाहिए, भले ही वे देश के लिए लाभदायक हों।



स्वदेशी का अर्थ है कि गांव उन चीजों का आनंद उठाएं जो स्थानीय रूप में उपलब्ध हैं, चाहे वे खेतों, लघु उद्योग, हस्तशिल्प आदि, जो भी हों।

स्वदेशी की भावना को पोषित करने के लिए आपको अपने पड़ोसी के साथ मिल कर काम करने के साथ ही व्यापार भी करना होगा। जो चीजें हम देश में पैदा कर सकते हैं, वे विदेश से आयात नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्वदेशी पड़ोसी की आत्मीयता का एहसास है। परंतु वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर आयात से बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसका अद्यतन उदाहरण भारत में अगरवत्ती विनिर्माण उद्योग है, जो कभी देश में प्रमुख कुटीर उद्योग हुआ करता था। कच्ची अगरवत्ती, गोल वांस की छड़ें और अन्य सुगंधयुक्त सामग्री के आयात में छूट के बाद से यह उद्योग अपर्ग हो गया था। इस वर्ष 29 अगस्त को ये वस्तुएं आयात की प्रतिवधित ब्रैकेट में शामिल किए जाने से पहले खादी की अगरवत्ती इकाइयों के लिए संकट की स्थिति थी। विशेष रूप से, खादी ने भारत में अगरवत्ती उद्योग में आयात की निर्भरता को कम करने और लाखों स्थानीय रोजगार सृजित करने के लिए देश भर में एक वांस वृक्षारोपण अभियान चलाया है—जो स्वराज और स्वदेशी के गांधीवादी दर्शन का मूल उद्देश्य है।

खादी और स्वदेशी हमेशा अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करते हैं, जो पिछले पांच दशकों में प्रसंगवश दुनिया भर में बढ़ गयी है। इन पांच दशकों के दौरान दुनिया भर में अमीरों की आय 7 गुना बढ़ गई। इस तरह अमीर और गरीब के बीच की खाई निरंतर गहरी होती जा रही है।

स्टीफन ग्रेफी के अनुसार, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा खतरा यह है कि राष्ट्र अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देता है, लाभ देश से बाहर ले जाया जा सकता है और कंपनियों की स्थानीय जवाबदही खत्म होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के 43 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और अन्य छोटे व्यापारिक संस्थानों जैसे मिट्टी के वर्तनों, बढ़ींगोरी, चमड़े-शिल्प, हस्तशिल्प आदि पर निर्भर हैं।



खादी का उत्पादन, जो वर्ष 2014-15 में 879.98 करोड़ रुपये का था, वह 2018-19 में बढ़कर 1902 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इसी तरह, खादी की बिक्री वर्ष 2014-15 में 1310.9 करोड़ रुपये की थी, जो 2018-19 में बढ़कर 3215.13 करोड़ पर पहुंच गयी, अर्थात् इसमें 145 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार 2018-19 में बढ़कर 74.323 करोड़ पर पहुंच गया।

इतना ही नहीं, ग्रामोद्योग का कारोबार भी 2018-19 में बढ़कर 71,123.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 2014-15 में 31,965.52 करोड़ रुपये था, जिसमें 123 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। पिछले पांच वर्षों में खादी वस्त्र के उत्पादन में 62 प्रतिशत की औसत वृद्धिरेट हुई है, अर्थात् यह 2014-15 के 10.

322 करोड़ वर्ग मीटर से बढ़कर 2018-19 में 17,080 करोड़ वर्ग मीटर हो गया। जित वर्ष 2014-15 में, कुल कपड़ा उत्पादन में खादी का हिस्सा 4.23 प्रतिशत था, जो वर्ष 2018-19 में 8.49 प्रतिशत हो गया है, जो लगभग दोगुना है। और, यह विकास गांधी के स्वदेशी के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है।

पिछले पांच वर्षों में, प्रधानमंत्री के 'आर्थिक परिवर्तन के लिए खादी के आहान' के बाद कई कारीगर केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए गए। इस दौरान केवीआईसी ने 32,000 से अधिक नए मॉडल चरखे और 5,600 आधुनिक करघे प्रदान किए, जिससे खादी के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। यही नहीं, 40,000 से अधिक नए खादी कारीगरों के साथ लगभग 400 नए खादी संस्थानों की स्थापना की गई। केवीआईसी ने खादी के

“विदेशी वस्त्रों को प्रश्रय देकर हमने घोर पाप किया है। हमने एक ऐसे धंधे की उपेक्षा की जिसका महत्व कृषि के बाद सबसे अधिक है। जिस पेशे के लोगों के घर कबीर का जन्म हुआ और जिसे उन्होंने स्वयं भी गौरवान्वित किया, आज हमारे सामने उसी धंधे की समाप्ति की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैंने जो स्वदेशी व्रत सुझाया है उसका एक मतलब यह है कि इसे अपनाकर हम अपने पापों का प्रायशिक्षण करना चाहते हैं, हाथ-बुनाई की दम तोड़ती कला का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, और इस बात के लिए वृद्धसंकल्प हैं कि विदेशी कपड़े के बदले में देश के जो करोड़ों रुपये बाहर जाते हैं उनकी अपने देश हिंदुस्तान के लिए बचत करेंगे।”

सीडब्ल्यूएमजी, वॉल्यूम-15, प. 196

माध्यम से देश के सुदूरतम भागों जैसे लेह, लद्दाख, कार्जिरांगा के जंगल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आदि में भी रोजगार के अवसर पैदा किये हैं। पहली बार, खादी के विपणन के लिए खादी क्षेत्र में प्रमुख कपड़ा निगमों को शामिल किया गया, जिससे खादी की विक्री में कई गुना वृद्धि हुई। केवीआईसी ने प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को भी प्रेरित किया कि वे अपने कर्मचारियों के लिए खादी उपहार कूपन खरीदें, जिससे उसे 100 करोड़ रुपये का व्यापार मिला। खादी को खरीदार अनुकूल बनाने के लिए ई-वॉलेट्स और शॉप 'एन शॉप' के माध्यम से ई-मार्केटिंग की शुरुआत की गई तथा खादी वर्दी और रस्मी गाड़न अपनाने को प्रेरित करने के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों, नगर निकायों से संपर्क किया गया, जिससे युवा पीढ़ी के बीच खादी की पहुंच बढ़ी। उच्च गुणवत्ता पूर्ण सिलाई के साथ नए ट्रैडी डिजाइन शुरू किए गए, जैसे महिलाओं के लिए वेस्टर्नवियर, जैकेट, कुर्ता, विचार वस्त्र और अन्य अभिनव उत्पाद, जिनसे खादी की छवि बदल गई।

गांधीवादी स्वदेशी की स्वर्यसिद्ध योजना के अंतर्गत ग्राम उद्योग क्षेत्र में-गरीब से गरीब व्यक्ति और समाज में 'पंक्ति के अंतिम व्यक्ति' की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों, बनवासियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कुम्हारों तथा चर्मकारों जैसे सीमान्ति समुदायों के लाभ के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे हनी मिशन, कुम्हार सशक्तीकरण योजना, चमड़ा कारोगर विकास योजना आदि।

हनी मिशन के तहत, देश भर में किसानों, जनजातियों और बेरोजगार युवाओं में 1.15 लाख बी-बॉक्स बांटे गए और 12,000 से अधिक रोजगार के अवसर सुजित किए, जो अपने में एक कीर्तिमान है। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में गुमराह युवाओं और हताश किसानों को विकास की राह पर लाने के लिए, केवीआईसी ने भारतीय सेना के सहयोग से एक ही दिन में 2,300 बी-बॉक्स वितरित किए और बल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी प्रकार, कुम्हार सशक्तीकरण योजना के तहत, देश भर के कुम्हारों को 10,000 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स और अन्य उपकरण प्रदान किए गए, जिससे 40,000 नए रोजगार सुजित हुए और उनकी आय प्रतिदिन 150 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गई। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में केवीआईसी ने सीमांत कुम्हार समुदाय के बीच 30,000 और इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स वितरित करने की योजना बनायी है। ये इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स प्रति दिन कम से कम 2 करोड़ कुल्हड़ और अन्य टेराकोटा वस्तुओं का उत्पादन सुनिश्चित करेंगे, जो भारतीय रेलवे की जरूरतों को पूरा करेंगा, जिसने हाल ही में देश के 400 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर केवल टेराकोटा उत्पादों का उपयोग करने का आदेश दिया था।

बापू हाशिए पर रहने वाले समुदायों से प्यार करते थे, जिन्हें वे हरिजन (भगवान के लिए प्रियजन) कहते थे। उनके सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, खादी ने हाल ही में हाशिए के एक अन्य समुदाय, मोची समुदाय के उन सदस्यों के विकास के लिए एक

कार्यक्रम शुरू किया है, जो चिलचिलाती धूप और कंपकपाती सर्दी में फुटपाथों पर बैठे-बैठे जूते-चप्पल पॉलिश और मरम्मपत आदि करते हैं। केवीआईसी ने इस समुदाय को एक सामाजिक दर्जा देने के लिए, चर्म-चिकित्सक (चमड़ा-तकनीशियन) के रूप में नवा नाम दिया और उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान करते हुए इस वर्ष 70,000 चमड़े के उन्नत उपकरण-किट वितरित करने की तैयारी की है।

स्वदेशी की गौरवशाली स्मृतियों को ताजा करने के लिए हाल के दिनों में कुछ अभिनव पहल भी की गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर स्थापित किया गया है, जो चरखे और गांधीवादी दर्शन की महत्व दर्शाता है। केवीआईसी ने कनॉट प्लेस में चरखा संग्रहालय के साथ एक भव्य स्मारकीय स्टील चरखा स्थापित किया, जो कनॉट प्लेस के मुख्य आकर्षण के रूप में उभरा है। इसी तरह के भव्य स्टील के चरखे अहमदाबाद में सावरमती के किनारे और बिहार के चंपारण के मध्य में भी स्थापित किए गए थे।

गांधी जी हमेशा स्वच्छता में विश्वास करते थे। खादी ने, उनके नकरों कदम पर चलते हुए, पहली बार बेकार प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित पेपर कैरी बैग सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ प्रकृति से प्लास्टिक खतरे को कम करने में सहायक है।

चूंकि स्वदेशी के गांधीवादी दर्शन ने हमेशा से ही ईको-सिस्टम में संतुलन बनाने पर जोर दिया है, मोरिंगा वृक्षारोपण अभियान के तहत, इस साल केवीआईसी द्वारा 46,500 मोरिंगा पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं, जो न केवल किसानों की मदद करेंगे, बल्कि हनी मिशन को भी पूरा करेंगे।

समय आ गया है जब हमें आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच के अंतर्विरोध को मिटाना चाहिए। हमें स्वदेशी के महात्मा के सिद्धांतों की ओर उन्मुख आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का मसौदा तैयार करना चाहिए, जो बंचित वर्ग, किसानों और महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामयाः।
(सभी प्रसन्न हों, और सभी निरोगी हों।)



रचनात्मक अभियान में महिलाओं की भूमिका

अपर्णा बसु

गांधी जी चाहते थे कि रचनात्मक अभियान में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उनका कहना था कि सैन्य अभियान के बजाय रचनात्मक अभियान में सहिष्णुता, त्याग, दृढ़ता और प्रायश्चित्त जैसी खूबियों की जरूरत होती है और इन गुणों के मामले में महिलाओं से बेहतर कौन हो सकता है?

Rचनात्मक अभियान, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी के अहिंसात्मक संघर्ष का अटूट हिस्सा था। गांधी के मुताबिक, ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता उनके संपूर्ण संघर्ष का महज एक हिस्सा थी। उनका मानना था कि भारत में असली स्वराज रचनात्मक कार्यक्रमों और अभियानों से आएगा। रचनात्मक अभियान को सच्चाई और अहिंसा के जरिये पूर्ण स्वराज के निर्माण का माध्यम कहा जा सकता है। उनके मुताबिक, यह बिना किसी भेदभाव के 'हर इकाई को स्वतंत्रता' दिलाने में मददगार होगा, चाहे वह किसी नस्ल, रंग या धर्म से ताल्लुक रखता हो।

गांधी जी चाहते थे कि रचनात्मक अभियान में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उनका कहना था कि सैन्य अभियान के बजाय रचनात्मक अभियान में सहिष्णुता, त्याग, दृढ़ता और प्रायश्चित्त जैसी खूबियों की जरूरत होती है और इन गुणों के मामले में महिलाओं से बेहतर कौन हो सकता है?

रचनात्मक अभियान में जितनी भी चीजों को शामिल किया गया, गांधी जी ने उनमें सबसे ज्यादा महत्व खादी को दिया। चरखा चलाना और खादी पहनना दो ऐसे प्रतीक थे, जिसके जरिये भारतवासियों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीयता को भावना जागृत हुई। 19वीं सदी के समाज सुधारकों के उलट गांधी जी को महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर औपनिवेशीकरण के नकारात्मक असर का अहसास हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कुटीर उद्योग को चौपट कर दिया था और इसका सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को झेलना पड़ा था। इन बजहों से खादी आंदोलन शुरू करने के उनके फैसले को मजबूती मिली। स्वदेशी अभियान को फिर से शुरू करने से देश की आधी-भूखी महिलाओं को काम और आय का सहारा मिला।

गांधी जी ने खादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का उपयोग कर पुरुषों को यह दिखाया कि स्वदेशी आंदोलन की सफलता में महिलाओं की भागीदारी भी बेहद आवश्यक है। खादी को मुख्य रूप से महिलाओं को आंदोलन बताने से कई तरह के मकसद पूरे हुए। इससे महिलाएं अपनी आजीविका के लिए न्यूनतम आय प्राप्त कर रही थीं। महिलाओं को परदे से बाहर निकलने में भी मदद मिली। इसके जरिये गांधी को उस वक्त प्रचलित उच्च मध्यवर्गीय मूल्यों को चुनौती

देने में मदद मिली, जिसमें महिलाएं उत्पादक कार्यों से जुड़ी नहीं थीं। उन्होंने संपन्न घरों की महिलाओं से अनुरोध किया कि वे उत्पादक और उपभोक्ता बनकर इस आंदोलन में सहयोग दें। उन्होंने इन महिलाओं से चरखा चलाने और खादी खरीदने की अपील की थी।

यह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा एक अभियान था, जिसके जरिये बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ा गया। महिलाएं इस अभियान के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी थीं। कई महिलाएं सूत काट रही थीं, अन्य ने विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। कई



गांधी जी और मृदुला साराभाई (बिहार, 1946)

विध्वाओं ने सूत कातने का काम शुरू किया और पैसे कमाने लगीं। महिलाएं अपने बेटों से सरकारी नौकरी करने के बजाय अपना व्यापार करने को कह रही थीं- खासतौर पर स्वदेशी कपड़ों को तैयार करना और करने की बिक्री के बारे में। राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई उसकी बिक्री के बारे में। राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर महिला शिल्पमेला का आयोजन किया गया। स्वदेशी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेले में महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई चीजों की बिक्री की गई। इन मेलों में बड़ी मात्रा में खादी की बिक्री हुई। कई राष्ट्रवादी गानों में महिलाओं को अपने पतियों से चरखा खरीदने का अनुरोध करने का जिक्र किया गया, ताकि वे अपना धर्म बचा सकें और अभाव दूर कर सकें।

लाहौर में खादी की साड़ी में जनसभा को संबोधित करने वाली पहली महिला सरलादेवी चौधरानी थीं। कई महिलाओं ने उनका अनुसरण किया। उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत का दौरा कर खादी और चरखा के प्रचार-प्रसार के लिए भाषण दिया। उन्होंने लाहौर में सूत कातना सिखाने के लिए कक्षाओं का भी आयोजन किया।

उड़ीसा में खादी के लिए काम सुभद्रा महताब ने किया। उन्होंने गांधी 'कर्म मंदिर' तैयार किया और प्रांत के विभिन्न हिस्सों में भाषण देकर लोगों को खादी और स्वदेशी का महत्व समझाया। सुभद्रा महताब ने रमादेवी चौधरी और अन्य के साथ मिलकर यह कार्य किया। राजकुमारी अमृत कौर ने पंजाब में सूत कातने वालों का संघ बनाया। मणिबेन नानावती और उनके साथ काम करने वालों ने तत्कालीन बंबई के विल्ले पाले में 'खादी-मंदिर' शुरू किया। महिलाओं ने इस क्रम में यह गीत भी गाया - 'चरखा चला-चला के लोंगे स्वराज'। लोग मणिबेन को 'खादीबेन' कहते थे। बिहार में प्रभावती देवी ने पटना में महिला चरखा संघ बनाया, जिसका मकसद सूत कातने से महिलाओं को जोड़ना था। 'गृहलक्ष्मी' और 'स्त्री धर्म' जैसी महिलाओं की पत्रिकाओं ने स्वदेशी, चरखा और खादी का मुद्दा उठाया।

खादी और स्वेदशी के प्रचार-प्रसार के अलावा रचनात्मक अभियान में एक और महत्वपूर्ण एजेंडा छुआछूत को खत्म करने का था। गांधी छुआछूत को हिंदू धर्म के लिए 'दाग' और 'सामाजिक अधिशाप' मानते थे। उनके मुताबिक, इस कुर्सित को खत्म करने के लिए महिलाओं की सहभागिता जरूरी थी।

रामेश्वरी नेहरू ने खुद को हरिजनों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें 1934 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रामेश्वरी नेहरू ने हरिजनों के उत्थान के लिए नई योजनाएं तैयार कीं। नेहरू ने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मद्रास प्रांतीय सभा में हरिजनों के पक्ष में मंदिर प्रवेश बिल पास कराने की कोशिश की। मार्गेट कजिन ने रामेश्वरी नेहरू को हरिजन सेवक संघ में 'गांधी का दाहिना हाथ' बताया था।

उड़ीसा में रमादेवी चौधरी और उनके पति ने हरिजन बच्चों को रखने और उन्हें रचनात्मक अभियान से जुड़ी विभिन्न चीजों का प्रशिक्षण देने के लिए 'सेवानगर' आश्रम की स्थापना की थी। रमादेवी ने छुआछूत विरोधी बोर्ड के तत्वाधान में हरिजन लड़कियों (ज्यादातर भंगी परिवारों की लड़कियों) को पढ़ाया। कोकिला देवी ने बालासोर में हरिजन बच्चों के लिए स्कूल और आश्रम स्थापित किया था।

बिहार में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत 1917 में चंपारण में गांधी के आगमन के साथ शुरू हुई। गांधी नील की खेती करने वाले किसानों का दुख-दर्द जानने चंपारण पहुंचे थे। इस दौरान जो महिलाएं



कस्तूरा (1915 में)

उनके साथ अभियान में जुड़ीं, उनमें प्रभावती देवी, राजबंसी देवी और भागवती देवी आदि शामिल थीं। इन महिलाओं ने परदा प्रथा के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई की। प्रभावती देवी ने अस्पृश्यता खत्म करने के लिए काफी काम किया।

अनुसूया साराभाई ने हरिजन बच्चों के लिए अहमदाबाद के मिल वाले इलाके में रात्रि विद्यालय खोला। विद्यागौरी नीलकंठ ने भी अहमदाबाद में चिंतित और पिछड़े लोगों की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। सौदामिनी मेहता ने कलकत्ता की बस्ती (झुग्गी इलाके) में रहने वाले हरिजन बच्चों के लिए क्लीनिक खोला, जहां डॉक्टरों द्वारा बच्चों की नियमित रूप से जांच कर उन्हें दवाएं और पोषणयुक्त आहार दिए जाते थे। सौदामिनी मेहता को बंगाल हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने बंगाल के कई गांवों का दौरा किया। महिलाओं द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में छुआछूत विरोधी अभियान चलाए गए। महिलाओं ने हरिजन आश्रम और बाल आश्रम खोले।

गांधी जी हिंदू-मुस्लिम एकता को जरूरी मानते थे और यह उनके रचनात्मक अभियान का एक प्रमुख हिस्सा था। उन्होंने महिलाओं से सांप्रदायिक एकता बढ़ाने का आहान किया। गांधी के आहान से प्रेरित होकर हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की मुहिम से कई महिलाएं जुड़ीं। हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के मकसद से सरोजनी नायडु ने कई बैठकों को संबोधित किया और कई मंचों से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा था, "हिंदू और मुसलमान देश की दो आंखें हैं और अगर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज के लक्ष्य पर दोनों आंखें केंद्रित होती हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं लगेगा।"

सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए राजकुमारी अमृत कौर ने पंजाब के कोने-कोने का दौरा कर सभाओं को संबोधित किया। सरलादेवी चौधरानी ने पंजाब के कई शहरों में जाकर लोगों से दोनों समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का अनुरोध किया। सांप्रदायिक दंगों के दौरान शांति और सौहार्द बहाल करने में मृदुला साराभाई ने

काफी सक्रिय भूमिका निभाई। अहमदाबाद में 1941 में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। उन्हें जब दंगों के बारे में पता चला तो उस वक्त वह मुंबई में थीं। इसके बाद मृदुला हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, रायपुर गई और उन्होंने लोगों से दुकानों को लूटन-जलाने या मस्जिदों पर हमला नहीं करने की अपील की। गुस्साई भीड़ ने उनसे पहले मुसलमानों के पास जाने और फिर वहां आने को कहा। हालांकि, वह रायपुर में डटी रहीं और लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया।

इन तमाम दंगों और सांप्रदायिक घृणा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता को लेकर गांधी काफी चिंतित थे। साथ ही, उन्होंने इस दौरान तीन महिलाओं - मृदुला, इंदुमति चिमनलाल सेठ और पुष्पाबेन मेहता द्वारा दिखाए गए साहस की तारीफ की। सांप्रदायिक सौहार्द की बहाली के लिए मृदुला ने 'शांति सेवक संघ' की स्थापना की और महादेव देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया। उसी साल मई में जब फिर से सांप्रदायिक दंगे हुए तो शांति का माहौल बनाने में मृदुला एक बार फिर सबसे आगे रहीं।

मृदुला ने 1946 में मेरठ में जबरदस्त साहस दिखाया। वह गुस्साई भीड़ के बीच पहुंचीं और एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गई, ताकि सभी को नजर आ सकें। इसके बाद लगातार 7 घंटे तक उन्होंने भीड़ के साथ संघर्ष किया, उन्हें शांत करने की कोशिश की और यह समझाया कि हिंसा का रास्ता आत्मघाती है। उन्होंने भीड़ से कहा कि महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए ऐसा कर वे उनकी (गांधी) पीठ में छुरा भोक रहे हैं।

1947 में गांधी के विहार दौरे के दौरान मृदुला भी उनके साथ थीं। गांधी उस वक्त कड़ी धूप में गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने की अपील कर रहे थे। मृदुला ने 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में अगवा हिंदू और सिख महिलाओं और हिंदुस्तान में अगवा मुस्लिम महिलाओं को छुड़ाने में जबरदस्त साहस का परिचय दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान के 'खुदाई खिदमतगार' की तर्ज पर जनवरी 1970 में एक और संगठन बनाने का प्रयास किया गया था। मृदुला ने इसी तरह के संगठन 'इंसानी बिरादरी' की शुरूआत की थी, जिसका मकसद देश के सभी धर्मों, संस्कृतियों और जीवनरौली में एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता और परस्पर सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करना था। गांधी के रचनात्मक अभियान में शराबबंदी एक अहम कार्यक्रम था। उन्होंने इस बुराई से लड़ने के लिए दो सूत्री कार्यक्रम तैयार किया था - शराब पीने के खराब असर के बारे में लोगों को बताना और शराब की दुकानें बंद करवाना। यहां भी गांधी का मानना था कि इस अभियान में महिलाओं की विशेष भूमिका हो सकती है। वह कहते थे कि जिन महिलाओं के पति शराबी हैं, उन्हें पता होगा कि शराब घर में किस तरह से तबाही मचाती है। कई महिलाओं ने गांधी के इस आहान को लेकर सक्रियता दिखाई। असहयोग और सविनय अवज्ञा आदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब की



राजकुमारी अमृतकुमार



सौदमिनी मेहता (1903-1989)

जानीमानी समाज सुधारक

दुकानों पर पहुंचकर धरना दिया। इस अभियान में हंसा मेहता, मणिबेन नानावती, मृदुला साराभाई, खुर्शीदाबेन नैरोजी, मिथुबेन पेटिट (Mithuben Petit), अबूजामल, मालती देवी और कई अन्य महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई।

गांधी घर और बाहर दोनों जगहों पर महिलाओं की स्थिति में सुधार चाहते थे। कमला देवी ने लोगों से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुधार कर घर के भीतर उनकी गुलामी खत्म करने को कहा था। उत्तर प्रदेश में गुलामी क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहे थे। उड़ीसा में अन्नपूर्णा देवी, बुधाकुमार चौहान, उड़ीसा में अन्नपूर्णा देवी, बंगाल में हेमप्रभा मजूमदार, आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी उत्तर और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास व अन्य जगहों की कई महिलाओं ने अभियान चलाए,

लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज खोले और कई अन्य मोर्चों पर संघर्ष किया। मुथूलक्ष्मी रेडी ने देवदासी प्रथा को खत्म करने का प्रयास संघर्ष किया और 1930 में मद्रास प्रांतीय सभा में इसके लिए बिल पेश किया।

मृदुला साराभाई ने परिवार और समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों, मसलन लैंगिक असमानता, अन्याय, दमन और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने 1934 में अहमदाबाद में महिलाओं का संगठन 'ज्योतिसंघ' स्थापित किया। मृदुला साराभाई में जीवन के क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता थी और उन्होंने चारूमति योद्धा, हंसलता हिंगसे, पेटिन मिस्ट्री, उदयप्रभा मेहता, पुष्पापेन मेहता और विद्यावेन मेहता जैसे वेहद समर्पित और वफादार कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की थी। उनकी अगुवाई में देश में पहली बार पारिवारिक काउंसिलिंग का चलन शुरू किया गया, ताकि परेशान परिवारों की समस्याओं को निपटाने में मदद मुहैया कराई जा सके। महिलाओं का शोषण और परिवार को बिखरने से रोकने में काउंसिलिंग काफी मददगार साबित हुई।

गांधी के 75वें जन्मदिन (2 अक्टूबर 1944) पर उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की याद में कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट स्थापित किया गया। कस्तूरबा की मौत 22 फरवरी 1944 को आगा खान महल में हुई थी। ट्रस्ट का उद्देश्य सरोजिनी नायडु ने किया था

और इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना था। गांधी आजीवन इसके अध्यक्ष रहे और वह इससे संबंधित हर काम पर बारीक नजर रखते थे और उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। वह चाहते थे कि इस ट्रस्ट के जरिये गांवों में काम हो। उन्होंने कहा था, "यह मेरी पत्नी की याद में है। मेरी पत्नी अशिक्षित और ग्रामीण महिला थीं। वह शहरों की इन प्रबुद्ध महिलाओं जैसी नहीं थीं।" महिलाओं ने ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने, ग्रामीण स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाने आदि में भी योगदान किया। इस तरह से महिलाओं ने न सिर्फ राजनीतिक आंदोलन बल्कि गांधीवादी रचनात्मक अभियानों को लागू करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। □

व्यक्तित्व का समग्र विकास



शलेंदर शर्मा

गांधी जी के शिक्षा के सिद्धांत का एक और उल्लेखनीय पहलू शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान और इस तरह के काम में माहिर होने के लिए सम्मान की भावना रखना है। तथाकथित अभिजात वर्ग भी इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि आत्मनिर्भर होने के लिए स्वच्छता सहित ऐसा व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।

मो


हनदास करमचंद गांधी के रूप में एक व्यक्ति को असाधारण कैसे परिभाषित किया जाता है? वे अपने जीवनकाल में, एक साथ-बैरिस्टर, कमंठ कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, सामाजिक-धार्मिक सुधारक, दार्शनिक, लेखक, शिक्षाविद और बहुत कुछ थे। इन सब में से राजनेता के रूप में उनकी हैसियत शयद सबसे बड़ी मानी जाती है। इसका श्रेय शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में उनके योगदान को दिया जाना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। निश्चित रूप से, गांधी जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, और किसी भी क्षेत्र में उनके विचारों की गहराई को प्रस्तुत करना पूरी तरह असंभव कार्य है। उन्होंने भारत के लिए शिक्षा का जो प्रतिमान विकसित किया, इस लेख में उसकी चर्चा करने और आधुनिक में इसकी प्रासारिता को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

सरल लेकिन पथप्रदर्शक : किसी भी दृष्टिकोण, विशेष रूप से गांधी जी जैसे प्रकांड विद्वान को समझने के लिए, उन मूल्यों को समझना आवश्यक है जिन्हें अपनाकर उन्होंने इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया। उनके दर्शन का मुख्य विषय एकीकृत शिक्षा यानी वह शिक्षा है, जो विद्यार्थियों के मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है और यह सिर्फ शिक्षाविदों में योग्यता के संकीर्ण दायरे तक सीमित नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया - "मनुष्य न तो केवल बुद्धिमान है, न ही पशु समाज और

वन्नों को निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा सुलभ होगी। वे जानते थे कि यह संभव नहीं कदम है जो इस विषय पर उनके लेखन का आधार बनाता है।

इसी प्रवृत्ति के मद्देनजर गांधी जी ने ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां सब

बच्चों को निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा सुलभ होगी। वे जानते थे कि यह संभव नहीं होगा, फिर भी उन्होंने स्व-वित्तपोषण की एक अनृती विधि का सुझाव दिया, जिसके तहत विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए श्रम के रूप में भुगतान कर सकते हैं (उदाहरण के



लिए, कपड़े की कताई करके)। गांधी जी हाथ से किए कारों को कितना महत्व देते थे इसे बताने के लिए 'यंग इंडिया' में प्रकाशित उनके इन कथनों को उद्धृत करना प्रासादिक होगा— “हाथ से काम का प्रशिक्षण एक गरीब देश में दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा ... बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करें और उन्हें एक व्यवसाय सिखाएं, जिससे वे जीवनयापन कर सकें ... श्रम का तिरस्कार करने की सीख से राष्ट्र का नुकसान होता है।”

गांधी जी के शिक्षा के सिद्धांत का एक और उल्लेखनीय पहलू शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान और इस तरह के काम में माहिर होने के लिए सम्मान की भावना रखना है। तथाकथित अभिजात वर्ग भी इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि आत्मनिर्भर होने के लिए स्वच्छता सहित ऐसा व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।

गांधी जी के समय में, आज की तरह, पाठ्यपुस्तकों को अक्सर गलती से बाईबल्स के रूप में माना जाता था, जबकि शिक्षक की भूमिका महत्वहीन हो जाती थी। उन्होंने


इस प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि वास्तव में विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों से वह सब हासिल नहीं कर पाते जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। गांधी जी का मानना था कि विभिन्न भौगोलिक स्थितियों और समाज के अलग-अलग वर्गों के बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा देना उचित नहीं होगा। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे पाठ्यपुस्तकों को पढ़ें और सामग्री को विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उनके सामने प्रस्तुत करें। अंततः पाठ्यपुस्तकें नहीं ही हैं जो चरित्र के विकास की पूर्व शर्त — दिल की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं। स्वामी विवेकानंद की इस मान्यता की तरह कि शिक्षा मनुष्य के भीतर मौजूद पूर्णता का प्रकटीकरण है, गांधी जी की भी यही अवधारणा थी कि “वास्तविक शिक्षा को विद्यार्थियों के भीतर से सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा... और इसे किताबी ज्ञान से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।”

नया भारत, नई तालीम: गांधी जी की नई शिक्षा या नई तालीम को समझते हुए हम अब तक के सबसे महान

गांधीवादियों में से एक, उनके उत्साही शिष्य आचार्य विनोबा भावे का उल्लेख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि “... नई तालीम का मूल बिंदु सीखने तथा सिखाने और ... ज्ञान तथा काम के बीच के अंतर को दूर करने में निहित है।” नई तालीम केवल शिक्षा के लिए एक योजना नहीं बल्कि यह स्वराज के साथ अंत और इसे प्राप्त करने के साधन के रूप में सत्याग्रह की समग्र मूल्य प्रणाली का एक हिस्सा है। गांधी जी के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राष्ट्र-निर्माण के अंतिम लक्ष्य के लिए एक पूर्व शर्त थी। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां सत्ता का बंटवारा पदानुक्रमित रूप से नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। उस समय प्रचलित शिक्षा प्रणाली के लिए भी नई तालीम गांधी जी के सामने चुनौती थी, जो काफी हद तक पश्चिमी प्रभावों से ग्रसित थी। उनका मानना था कि प्रचलित मॉडल पेशेवर तरकी के प्रति आसक्त था, जबकि नई तालीम का उद्देश्य व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का समग्र विकास करना था।



सेवाग्राम के 'तालीमी संघ' की प्राथमिक पाठशाला



आश्रम में शाम की प्रार्थना

आज, देश में अधिकतर लोग और हम में से वे जो विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में हैं, इस तथ्य से परिचित हैं कि नामांकन और साक्षरता दर उस समय बड़ी संभावनाओं का एक छोटा सा संकेत मात्र होता है जब रोजगार की समस्या को हल करने की बात आती है। लेकिन एक दूरदर्शी व्यक्ति होने के नाते गांधी जी ने इस समस्या को समझा और सवाल उठाया कि साक्षरता से यदि व्यक्तित्व का विकास नहीं होता तो उसका उपयोग ही क्या है?

उन्होंने शिक्षा को जीवन पर्यन्त, समुदाय से संबद्ध, समग्र, गतिविधि-आधारित और मूलभूत उन्मुख गतिविधि के रूप में देखा। इसका मतलब था स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव-आधारित स्कूलों का निर्माण, जिन्होंने हस्तशिल्प उत्पादन तथा पारंपरिक उद्योगों के लिए कौशल विकास को प्रधानता दी। इनमें शिक्षक और छात्र वास्तव में साथी कर्मचारी थे।

गांधी जी ने जो नमूना सामने रखा था, वह हमारी आजादी के बाद के नीति-निर्माताओं के लिए व्यावहारिक या टिकाऊ नहीं हो सकता था, यह भी एक वास्तविकता थी कि हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति आंखें भूंद ली थीं,

इससे अपने मानव संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करने की हमारी क्षमता पर विपरीत असर पड़ा। इस स्थिति को बदलना और देश को जमीनी स्तर पर शिक्षित करना गांधी जी के मॉडल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक अन्य बुराई यह है कि इसमें रटने पर जोर दिया जाता है: यह एक बच्चे को उसकी विवेचनात्मक सोच और उसके बहुमुखी व्यक्तित्व को विकसित करने के अवसरों से वंचित करती है। हम शिक्षा में साहित्यिक पहलू पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि अन्य व्यावहारिक पहलुओं की अनदेखी की जाती है। हालांकि अब कुछ स्कूल गतिविधि-आधारित शिक्षा के प्रति सजग हो रहे हैं। गतिविधियां करते हुए सीखने का सिद्धांत गांधी जी की नई तालीम का एक महत्वपूर्ण घटक है।

महात्मा गांधी ने 1937 में एक शिक्षा सम्मेलन में जो कहा था, वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली किसी भी रूप में देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव ने शिक्षित वर्ग को उत्पादक कार्यों के लिए लगभग अयोग्य बना दिया है। प्राथमिक शिक्षा पर

खर्च किया जाने वाला पैसा व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा-बहुत सिखाया जाता है वह जल्द ही भुला दिया जाता है और गांवों तथा शहरों के संदर्भ में इसका बहुत कम या बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता। लड़कों और लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए, सभी प्रशिक्षण, जहां तक संभव हो, लाभकारी व्यवसाय के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

इस वर्ष जब हम महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, संभवतः उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनके शिक्षा मॉडल पर फिर से विचार करें। इसे जिस भावना से तैयार किया गया था वह आज जितनी प्रासंगिक है उतनी पहले कभी नहीं थी। वास्तव में, हम एसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां हम गांधी जी के विचारों और आदर्शों की अनदेखी केवल अपने जोखिम पर कर सकते हैं। गांधी जी के विचार उनके समय में विलक्षण थे, और हमारे लिए भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को मौलिक रूप से सुदृढ़ करने का यह उचित समय है, ताकि आने वाले वर्षों में हम लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। □

गांधी जी और सर्वोदय

आर एस भट्टनागर

गांधी जी का अटूट विश्वास था कि समाज का विकास और जनकल्याण का प्रसार तभी संभव हो सकता है, जबकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करे, जैसे वह अपने परिवार और घर में करता है। जिस प्रकार परिवार में वस्तुएं एक की नहीं होतीं, परिवार के सभी सदस्य उनका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार समाज में एकाधिकारी प्रवृत्ति की भी समाप्ति होनी चाहिए।


गा

ंधी जी केवल स्वप्रदर्षा और कोरे आदर्शवाद ही नहीं थे। उन्होंने भारतीय जनजीवन को पैठकर देखने की चेष्टा की थी। उसकी धड़कती सांसों को उन्होंने सही रूप से गिनने का प्रयास किया था। उनकी शुद्ध आत्मा भारत की तत्कालीन दैन्य दशा को देखकर तड़प उठी थी। ब्रिटिश कालीन शोषण और निरंकुशता के उस वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार कुठित एवं छिन-भिन होकर अवनति की ओर उन्मुख थी, इसे देखकर उनका मर्म कराह उठा था। देश में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कूप-मंडूकता, शोषण और भारतीयों की अपने हितों के प्रति स्वयं की उदासीनता ने उस निरीह प्राणी का आह्वान किया कि वह इनके विनाश की दुंधभी बजाने के लिए कटिबद्ध हो। देश की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अधोगति ने उस महामानव को - जिसमें अपार मनोबल था, जो सत्य का पुजारी था, जिसने ‘गीता’ के कर्मक्षेत्र का पाठ अच्छी तरह पढ़कर समझा था- ललकारा कि वह देश और समाज के उथान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। सोंते जागते, उठते-बैठते उस महामानव को केवल जनकल्याण की ही चिंता थी। फिर जहां लक्ष्य महान हों, जहां साधन शुद्ध हों, वहां बैठना, जागरूकता स्फूर्ति और लगन का सहगामी रूप में आना स्वाभाविक है। गांधी जी स्वयं चेतन मूर्ति और चेतना के स्रोत थे। इसी कारण उनकी शुद्ध आत्मा से निकले हुए

शब्द जनसमूह पर जादू का सा असर करते थे, उनका निःस्वार्थ व्यक्तित्व चुंबकीय प्रभाव से युक्त था और उनकी लेखनी से निःसृत शब्दों में बल था। उनके विचार, उनको हृदय की शुद्धता, उनका चिंतन और मनन, उनकी अनुभूतियों की गहराई और उनकी दूरदर्शिता समस्ति हित की भावनाओं के प्रतिविंब थे, द्योतक थे।

गांधी जी की जनकल्याण और समस्ति-हित की भावनाओं को गुजित करने वाला शब्द था ‘सर्वोदय’। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग प्राचीन जैन आचार्यों द्वारा हमें अनेक स्थानों पर मिलता है, परंतु गांधी जी ने जिस प्रेरक शक्ति के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया, वह एक नवीनता लिए हुए हमारे सामने आया। सर्वोदय का शास्त्रिक अर्थ है- ‘सबका उदय’, अर्थात् ‘सबको विकास’। गांधी जी वास्तव में सच्चे समाजवादी और उससे भी आगे बढ़कर मानवतावादी थे। वह चाहते थे कि संपूर्ण समाज का उदय हो, संपूर्ण मानवता विकसित एवं प्रस्फुटित हो। वह वर्गवादी नहीं थे। एक वर्ग संपन्न हो, दूसरा वर्ग शोषित यह उन्हें सहनीय न था। वह समस्ति-कल्याण में ही व्यस्ति कल्याण को देखते थे और इसीलिए वह मानते थे कि इस द्वंद्वमूलक विश्व में भी मानव हित एक-दूसरे से जुड़ा है, एक-दूसरे का पूरक है। एक-दूसरे के हित का ध्यान रखने से ही “सर्वभूत हिते रहता”; की भावना, जिसे हमारी प्राचीन संस्कृति में प्रश्रय प्राप्त है, सार्थक होता है।

गांधी जी का अटूट विश्वास था कि समाज का विकास और जनकल्याण का प्रसार तभी संभव हो सकता है, जबकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करे, जैसे वह अपने परिवार और घर में करता है। जिस प्रकार परिवार में वस्तुएं एक की नहीं होतीं, परिवार के सभी सदस्य उनका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार समाज में एकाधिकारी प्रवृत्ति की भी समाप्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार परिवार का हरेक सदस्य अपनी योग्यतानुसार श्रम करता है, ताकि उसका परिवार और घर सुखी व संपन्न बने, उसी प्रकार समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी योग्यतानुसार पूरे मन से सामाजिक उनति संबंधी कार्यों में योग देना चाहिए। जिस प्रकार परिवार में सुमति और प्रेम, सहयोग और सहनशीलता से काम लिया जाता है, वैसा ही आधार और व्यवहार समाज के लिए भी बांधनीय है। मतभेद होने पर लाठी और डंडे का सहारा लेना एक-दूसरे का बुरा चाहना सामाजिक शांति लाने में कदापि सहायक नहीं हो सकता। जिस प्रकार परिवार में श्रम बेचा और खरीदा नहीं जाता, उसी प्रकार समाज में भी श्रम खरीद कर उसके शोषण की भावना का भी बहिष्कार आवश्यक है। दूसरी ओर जिस प्रकार परिवार में सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखना समाज और राज्य का कर्तव्य हो जाता है।



गांधी जी का मत था कि समाज और मानवता का उदय तभी संभव है, जब लोग अपने अधिकारों की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों के पालन में रहे। जिस प्रकार घर में माता या बड़ी बूढ़ी अपने सुख की चिंता छोड़कर पूरे परिवार के सुख की चिंता में रह रहती है, दूसरों को खिलाकर खाती है, सुलाकर सोती है, दूसरों के दुख में अपना चैन भी भूल जाती है, उसी प्रकार यदि सभी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ की भावना को छोड़कर परहित की भावना को स्थान दें, तो समाज निश्चय ही कल्याण-पथ की ओर अग्रसर होगा।

गांधी जी चाहते थे कि समाज में दरिद्रनारायण की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाए। समाज में साधारणता: तीन वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं - भुखिया, दुखिया और सुखिया। सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है भुखिया के भूख निवारण पर, तत्पश्चात् दुखिया के कष्टों के उन्मूलन पर और फिर ध्यान दिया जाए सुखिया की ओर। जिस प्रकार पानी उसी गड्ढे की ओर तेजी से बढ़ता है जो सबसे अधिक निचाई पर होता है, उसी प्रकार सामाजिक उत्पादन और राष्ट्रीय लाभांश में से सर्वप्रथम भाग उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो सबसे अधिक जरूरतमंद हों। अतः जनसंख्या की आवश्यकताओं को देखते हुए समाज में उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का न्यायोचित वितरण सर्वोदय समाज का आधार स्तंभ है।

गांधी जी के अनुसार 'धन' मनुष्यों के लिए है, मनुष्य 'धन' के लिए नहीं है। जनकल्याण ही आर्थिक व्यवस्था का लक्ष्य है। सुखी और संतुष्ट जन-

राष्ट्र के सच्चे विकास के प्रतीक हैं। अत्यधिक भौतिकवादी इष्टिकोण जीवन में जटिलताओं, असंतोष, अनेकानेक बुराइयों और शोषण का कारण बनता है। अतः वह जीवन की सरलता, सादगी, आत्मशुद्धि, आत्मसंतोष, परम शक्ति में निष्ठा आदि बातों को महत्व प्रदान करते थे।

गांधी जी चाहते थे कि समाज में उत्पादन केवल शुद्ध लाभ की प्रेरक शक्तियों द्वारा ही संचालित न हो। लोगों की आवश्यकताएं अधिक से अधिक पूरित हों, लोगों को आय प्राप्ति के अवसर अधिक से अधिक मिल सकें, बेरोजगारी मिटे और प्रच्छन्न रूप से आपदाओं का कारण न बने - ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। उत्पादन के दौरान गला काटू प्रतियोगिता के स्थान पर सहकारिता की भावना पनपे तथा मनुष्यों के पारस्परित संबंधों का मूल्यांकन केवल द्रव्य की मात्रा या मुद्रा की इकाइयों द्वारा न होकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की भावना से होना चाहिए।

गांधी जी का कथन था कि शोषण हिंसामूलक है, अशांति का कारण है। अतः उत्पादन और वितरण में शोषण को स्थान न प्राप्त हो। इसी कारण वह श्रम और पूंजी के मध्य संबंधों पर बल देते थे। ऐसे संबंध तभी स्थापित हो सकते हैं, जब श्रम की समाज में महत्वा स्वीकारी जाए। यह मान लिया जाए कि श्रम ऊंचा नीचा नहीं होता। चाहे खेत में काम हो, चाहे दस्तकारी का, सभी श्रम उत्पादन में योग देने वाले बन सकते हैं और अपनी महत्वा रखते हैं। इसके साथ ही हरेक श्रमिक को यह अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि वह अपनी योग्यतानुसार

अधिकाधिक रूप में सच्चे भाव से सपान की उन्नति की खातिर अपना श्रम अर्पित करे। वास्तव में कर्मयोगी की हर जगह इज्जत होती है और होनी भी चाहिए। श्रमिक की दक्षता भी उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ओर गांधी जी पूंजी के समाजीकरण में विश्वास करते थे। उनके अनुसार पूंजी का अत्यधिक केंद्रीकरण ऊंच-नीच की भावना को जन्म देता है और शोषण का कारण बनता है। 'सबै भूमि गोपाल की', 'संपत्ति सब रघुवर की' यह धारणा पूंजीपतियों के लिए हृदय में रखनी आवश्यक है। पूंजीपति और भूमिपति अपने को सामाजिक संपत्ति का पहरेदार, न्यासी या धरोहर रखनेवाले समझें, तभी श्रम और पूंजी के संबंध तनाव-रहित बन सकेंगे। हरेक व्यक्ति को यह ध्यान में रखना होगा कि उसे अपनी कमाई का खाना है, परजीवी नहीं बनना है, तभी शोषण समाप्त हो सकता है।

गांधी जी की मान्यता थी कि आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण अनेकानेक सामाजिक बुराइयों, शोषण व आर्थिक दासता का कारण बनता है। इसी कारण वह एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर रोकथाम चाहते थे। इसी कारण वह उद्योग धंधों के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। वह चाहते थे कि स्थानीय इकाइयां अधिक स्वावलंबी बनें। वह नीचे से कफ उन्नति के पक्ष में थे, ऊपर से नीचे उन्नति लाने के नहीं। ग्राम स्वराज और क्षेत्रीय उन्नति के वह प्रबल समर्थक थे। परन्तु वह समर्पित और व्यष्टि के सम्पर्क संतुलन और सामंजस्य को भी ध्यान में रखने की सीख देते थे।

शांति और अहिंसा का पुजारी होने के नाते जहां गांधी जी शोषण को हिंसामूलक मानते थे, दूसरों के अधिकारों का अपहरण हिंसायुक्त मानते थे, वहां वह इसकी समाप्ति अहिंसात्मक ढंग से ही चाहते थे। क्रांतिकारी ढंग के विपरीत वह हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे क्योंकि इसका प्रभाव स्थायी होता है। वह सत्याग्रह पर बल देते थे। इसीलिए तो उनका आग्रह था- 'सत्य बोलो', 'सत्य देखो', 'सत्य सुनो'। वास्तव में 'सत्य' और 'अहिंसा' शब्दों का प्रयोग गांधी जी ने व्यापक और गूढ़ अर्थ में किया है। उनके अनुसार संसार और मानवता का विकास इन्हीं दो बातों पर आधारित है। सारी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बुराइयों की जड़ असत्य है और असत्य की शक्तियों के प्रसार को रोकने का

उपाय हैं अहिंसा और प्रेम से हृदय परिवर्तन।

इस प्रकार गांधी जी एक अहिंसात्मक सत्यनिष्ठ समाज के निर्माण के समर्थक थे, जिसमें स्वावलंबन, सहकारिता, सौहार्द, त्याग, बलिदान आदि सद्वृत्तियां प्रसार पाएं, जिसमें आवश्यकतानुकूल उत्पादन हो, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो, विकेंद्रीकरण हो, एकाधिकार की प्रवृत्तियां पनपने न पाएं, अधिकतम आय प्राप्ति के अवसर हो, ऊँच-नीच का भेद न हो और समाज का आधार 'धन प्रधान' न होकर 'श्रम-प्रधान' व 'जनकल्याण' लेकर हो। यही गांधी जी के 'रामराज्य' की कल्पना थी।

गांधी जी के अनुसार, समाज में सद्प्रवृत्तियां तभी विकसित होंगी, जब लोगों को सही शिक्षा मिलेगी। सही शिक्षा मनुष्य में विवेक लाती है और उसके द्वारा वह यह समझने में समर्थ होता है कि उसका अच्छा बुरा किन बातों में निहित है। गांधी जी का विश्वास था कि सही शिक्षा मिलने पर मनुष्य में इतना संयम स्वयं आ सकता है कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के परहित की चिंता करने लगे। और जैसे-जैसे

मनुष्य आत्मसंयम व सत्य मार्ग पर बढ़ता जाएगा, राज्य के अधिनियमों और नियंत्रण की आवश्यकता भी उतनी ही कम होती जाएगी। ऐसे वातावरण में समाजसेवी संस्थाएं अधिक सक्रिय होंगी। अतः गांधी जी चाहते थे कि मनुष्य को आत्मोदय के लिए सचेष्ट रहना चाहिए आत्मोदय द्वारा ही 'सर्वोदय' संभव है, परन्तु यह आत्मोदय 'परहित' की भावना से संबंधित है क्योंकि यदि दूसरे दुखी हैं और हम सुखी, तब हमारा सुख टिका नहीं रह सकता।

इन्हीं सर्वोदयमूलक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने की सलाह गांधी जी ने भारत की तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक वातावरण के संदर्भ में दी थी। वह पाश्चात्य आर्थिक सिद्धांतों व मान्यताओं की अंधाधुंध नकल के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि प्रत्येक देश को अपना विकास अपनी भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों, साधनों व दूसरे देशों के अनुभवों आदि के संदर्भ में करने की चेष्टा करनी चाहिए और ऐसी राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए जो देश के लिए

सर्वाधिक उपयुक्त हो। त्रिटिशकालीन भारतीय की राजनैतिक व आर्थिक दासता को वह असत्य और हिंसात्मक मानते थे क्योंकि वह देश के विकास व जनकल्याण में वाधक थी। इसीलिए उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। श्रम की महत्ता पर बल देने के लिए व ऊँच-नीच के भेद को मिटाने के लिए उन्होंने 'हरिजन आंदोलन' चलाया, स्थानीय स्वावलंबन के लिए 'पंचायत' व 'ग्रामस्वराज' की कल्पना की, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने व ग्रामोन्तति के लिए कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया और चर्खे को इस विकास का प्रतीक माना। उन्होंने विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विकेंद्रीकरण का समर्थन व अत्यधिक मशीनीकरण का विरोध किया क्योंकि ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था की तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल न था। उन्होंने कृषि भूमि पर अधिकार जोत करने वाले का माना और पूजीवादी प्रवृत्तियों पर आक्षेप किए। साथ ही, सत्य और अहिंसा के प्रयोग को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक-सभी क्षेत्रों में लागू करने की सीख भी उन्होंने दी। □

दिल्ली पुस्तक मेले 2019 में महात्मा गांधी पर प्रकाशन विभाग की महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन



दिल्ली पुस्तक मेले, 2019 में गांधी साहित्य से संबंधित पांच नई पुस्तकों का विमोचन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने नई दिल्ली के प्रगति मेदान में 25वें दिल्ली पुस्तक मेले 2019 के पहले दिन प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। श्री खरे ने प्रकाशन विभाग की पांच पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक श्री ए. अनामलै भी उपस्थित थे।

श्री अमित खरे ने महान व्यक्तित्वों के जीवन को लोगों के निकट लाने के उद्देश्य से, न केवल हिंदी और अंग्रेजी में, बल्कि अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों के लिए प्रकाशन विभाग

की सराहना की। उन्होंने इंटरनेट के युग में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि जहाँ इंटरनेट सूचनाओं का संग्रह है, वहाँ पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं।



स्टॉल में प्रदर्शित महात्मा गांधी के स्मृति चिह्नों से संबंधित प्रतिकृतियां

प्रकाशन विभाग के स्टॉल में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से महात्मा गांधी से जुड़े स्मृति चिह्नों की प्रतिकृतियां प्रस्तुत की गई और गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑडियो, वीडियो और ऑन स्क्रीन किवज् सत्र भी आयोजित किए गए। किवज् कार्यक्रम में अनेक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

बाद में प्रमुख गांधीवादी विचारक और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक श्री ए. अनामलै के '11 सितंबर, 1906-सत्याग्रह का जन्म' शीर्षक से व्याख्यान का भी

आयोजन किया गया। श्री अनामलै ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आरंभिक संघर्ष का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया और यह स्पष्ट किया कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग क्यों और कैसे किया। उन्होंने राष्ट्र के युवाओं द्वारा गांधी जी को अपेक्षा अनुसार एक सत्याग्रही के मूल्यों को आत्मसात करने पर बल दिया।


गांधीवादी आदर्शों पर प्रमुख प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन विभाग ने महात्मा गांधी पर प्रिंट और ई-पुस्तकों के रूप में विभिन्न पुस्तकों प्रदर्शित कीं।

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों के संग्रह तथा इतिहास और विरासत, बाल साहित्य, कला और संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय नेताओं की आत्मकथाएं, राष्ट्रपति भवन शृंखला, वनस्पति, विज्ञान और अर्थव्यवस्था सहित विविध विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित की गईं।

पुस्तक मेला प्रगति मैदान में 11 से 15 सितंबर 2019 तक चला। भारतीय प्रकाशक परिसंघ और भारतीय व्यापार संबंधन संगठन ने पुस्तक मेले का आयोजन किया था। □



भारतीय व्यापार संबंधन संगठन और भारतीय प्रकाशक परिसंघ ने प्रकाशन विभाग के स्टॉल को प्रदर्शित उल्कट हिंदी पुस्तकों के लिए गोल्ड ट्रॉफी प्रदान की




गांधी जी पर 150 पर आयोजित ऑन स्क्रीन किवज् ने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित किया

जारी की गई पुस्तकों का विवरण


- कस्तूरी परिमल (हिंदी):** कस्तूरबा गांधी, मोहन से महात्मा गांधी बने एक युवक के परिवर्तन की यात्रा की प्रमुख गवाह थीं। कहानी के रूप में वर्णित, इस पुस्तक में कस्तूरबा के जीवन के प्रयत्नों और पीड़ा, गांधी जी के साथ उनकी बातचीत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख महिला नेता के रूप में उनके उदय को प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न आश्रमों में सामुदायिक जीवन में कस्तूरबा द्वारा निर्भाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। पुस्तक के लेखक डॉ. विश्वास पाटिल मराठी साहित्य जगत में एक जाना माना नाम है।




- 1921 के असहयोग आंदोलन की झाँकियां:** पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि द्वारा लिखित प्रस्तावना के साथ, इस पुस्तक में डॉ. ताराचंद, श्री प्रकाश, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, काका कालेलकर, आरआर दिवाकर, हरिभाऊ उपाध्याय और डॉ. हरेकृष्ण मेहता सहित अनेक जाने-माने बुद्धिजीवियों, स्वतंत्रता सेनानियों और पत्रकारों के आलेख हैं।



- गांधी कथा (हिंदी और उर्दू):** यह एक ग्राफिक उपन्यास है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। बच्चों को लक्षित पाठक मानकर, प्रकाशन विभाग विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तक का प्रकाशन सुनिश्चित करने का काम कर रहा है।



- सत्याग्रह (गुजराती) में महिलाएँ:** राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की पूर्व अध्यक्ष प्रो. अपर्णा बसु द्वारा लिखित पुस्तक प्रकाशन विभाग ने मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित की है। प्रख्यात गांधीवादी प्रोफेसर वर्षा दास ने इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया है। इसमें अनेक प्रेरक सत्याग्रही महिलाओं की कहानियों का वर्णन है, जो दुनिया के सबसे बड़े साप्राज्य के खिलाफ कठिन संघर्ष के दौरान प्रमुखता से खड़ी हुई, लेकिन कभी भी अहिंसा के रास्ते से नहीं भटकी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इनमें से अनेक महिलाओं की सेवा भावना ने उन्हें स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत के सामाजिक विकास के लिए काम करना जारी रखने के लिए प्रेरित किया।



- महात्मा को श्रद्धांजलि: आकाशवाणी श्रद्धांजलि (तमिल):** यह पुस्तक, मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है, और अब इसका गांधी अध्ययन केंद्र, चेन्नई की मदद से पहली बार तमिल में अनुवाद किया गया है, जिसमें 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की मृत्यु के बाद आकाशवाणी पर महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि को शामिल किया गया है। इस पुस्तक में सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सहित प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ-साथ लॉर्ड माउंटबेटन और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की श्रद्धांजलि को शामिल किया गया है। □



सरकार के 100 दिनों का लेखा-जोखा

के द्वीय पर्यावरण एवं बन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 सितंबर 2019 को संवाददाता सम्मेलन में नई सरकार के पहले 100 दिनों के कामकाज के बारे में जानकारी दी और इस दौरान लिए गए अहम कैसलों के बारे में विस्तार से बताया। श्री जावड़ेकर ने इस मौके पर 'जन कनेक्ट' नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया और 'भारत के विकास को प्रोत्साहन- 100 दिनों की साहसिक पहलें और निर्णायक कार्रवाई' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

'जन कनेक्ट' पुस्तिका में जिन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, उनमें प्रमुख बातें इस तरह हैं-

- जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों के हित में अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म किया जाना;
- भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़ डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहल;
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऐतिहासिक विलय और इन बैंकों के जरिये क्रेडिट का अतिरिक्त विस्तार; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को मदद; रेपो दर को लिंक करना - होम लोन, गाड़ियों के लिए लिए गए कर्ज की ईएमआई में कटौती; आधारभूत संरचना संबंधी कर्ज;
- ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस यानी कारोबार करना आसान बनाने संबंधी उपाय; कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही; कैपिटल गेन्स पर बढ़े हुए सरचार्ज से राहत; ग्राहकों को राहत; एमएसएमई के लिए विशेष उपाय;
- स्टार्टअप को बढ़ावा; कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास; श्रम कानून; पर्यावरण संबंधी मंजूरी; कॉरपोरेट मामले; भारत में बॉन्ड बाजार की पहुंच बढ़ाना; वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की पहुंच बढ़ाना;
- कॉरपोरेट कर में कटौती; विभिन्न क्षेत्रों की एफडीआई नीति की समीक्षा; कंपनी संशोधन अधिनियम 2019; विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2019;
- वाहन उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा;
- मजदूरी कोड, बिल 2019;
- तीन तलाक के खिलाफ कानून समेत समाज के सभी तबके के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना; पोस्को अधिनियम में संशोधन; उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019; आदि।



केंद्र में नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में "भारत के विकास को प्रोत्साहन-100 दिनों की साहसिक पहलें तथा निर्णायक कार्रवाई" प्रदर्शनी का अवतारणा करते हुए। इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खेरे सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे।

- अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई तरह के उपाय किए गए;
- मजदूरी सुरक्षा संबंधी प्रावधान, महिलाओं की समानता सुनिश्चित करना आदि।
- किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी उपाय;
- पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन; हर घर बिजली योजना; गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना; आयुष्मान भारत; जन भागीदारी आंदोलन; फिट इंडिया और एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर अभियान; आदि।
- सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए;
- उच्च शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर;
- खोज संबंधी और वैज्ञानिक प्रयासों पर जोर;
- सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान;
- भारत का दुनिया में बढ़ता प्रभाव; पड़ोसी को प्राथमिकता वाली नीति;
- उत्तर-पूर्व का सशक्तीकरण।

'द रिपब्लिकन एथिक (वॉल्यूम-2)' और 'लोकतंत्र के स्वर (खंड-2)' की प्रथम प्रतियां राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट की गईं



माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'द रिपब्लिकन एथिक (वॉल्यूम-2)' और 'लोकतंत्र के स्वर (खंड-2)' की प्रथम प्रतियां भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट कीं। साथ में सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना रात भी हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 सितंबर, 2019 को भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री राम नाथ कोविन्द से मुलाकात की और राष्ट्रपति के भाषणों के संकलन 'द रिपब्लिकन एथिक (वॉल्यूम-2)' और 'लोकतंत्र के स्वर (खंड-2)' की प्रथम प्रतियां उन्हें भेंट कीं। उनके साथ सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना रात भी थे। माननीय राष्ट्रपति ने समयबद्ध तरीके से और बड़ी सुरुचिपूर्ण रूपसज्जा के साथ दोनों पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा प्रकाशन विभाग की सराहना की। श्री जावड़ेकर ने राष्ट्रपति को बताया कि ये पुस्तकें एमेजॉन और गूगल प्ले जैसे ई-प्लेटफार्मों पर पाठकों, खासतौर पर युवा पाठकों के लिए उपलब्ध रहेंगी।

दोनों पुस्तकें - 'द रिपब्लिकन एथिक' और 'लोकतंत्र के स्वर' राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिये गये चुने हुए भाषणों के संकलन का दूसरा खंड हैं। दोनों खंडों में 95-95 भाषण संकलित हैं जिन्हें आठ अध्यायों में बांटा गया है: एड्रेसिंग द नेशन, विंडो टू द वर्ल्ड, एनुकेटिंग इंडिया, एक्विपिंग इंडिया, धर्म ऑफ पब्लिक सर्विस, ऑनरिंग अवर सेंट्रेलेस, स्प्रिट ऑफ द कान्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एकनोलोजिंग एक्सेलेंस और महात्मा गांधी की डेढ़ सौवां जयंती पर उन्हें समर्पित एक विशेष अध्याय भी शामिल है। ये खंड भारत के ज्ञान और भावनाओं, इसकी विविधता और उन आकांक्षाओं का ऐसा प्रतिबिम्ब हैं जो गणतांत्रिक मूल्यों और भारत के माननीय राष्ट्रपति के चुने हुए भाषणों से परिलक्षित होते हैं। प्रकाशन विभाग माननीय राष्ट्रपति के चुने हुए भाषणों का गैरवशाली प्रकाशक है। विभाग ने इससे पहले दो पुस्तकों का पहला खंड प्रकाशित किया था।

इन पुस्तकों की प्रतियां नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सूचना भवन में प्रकाशन विभाग की बुक गैलरी से प्राप्त की जा सकती हैं। ये पुस्तकें www.publicationsdivision.nic.in और www.bharatkosh.gov.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। इनके ई-संस्करण एमेजॉन और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध हैं। □